खण्ड-321, अंक-3
मंगलवार, 7 वैशाख, शक संवत् 1898
(27 अप्रैल, 1976 ई0)

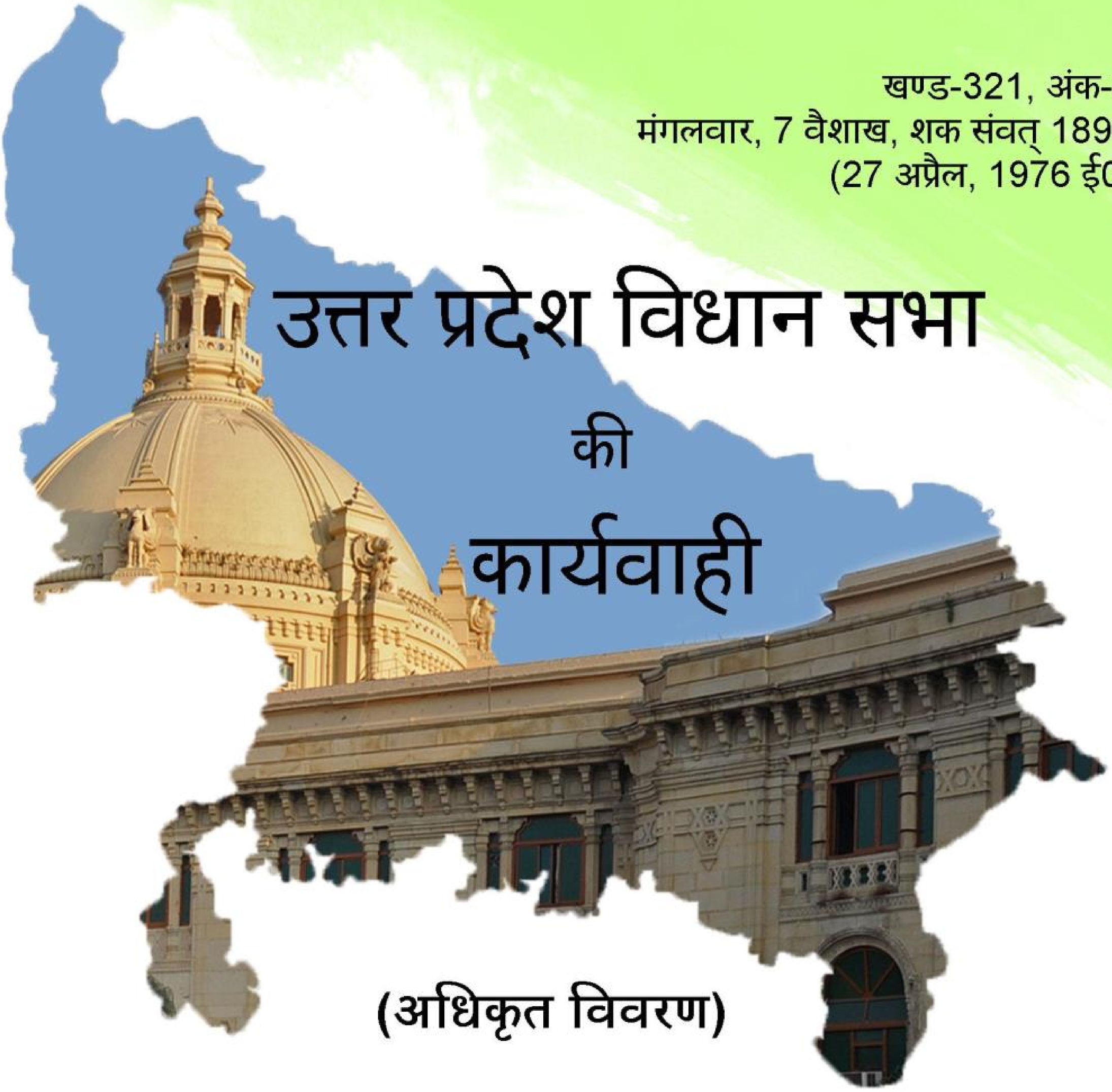

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 321 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	194
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	194–195
उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	195
उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	195
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	195
उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	195
उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	195
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	196
उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	196
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	196
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	196
उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	196
उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	196–197
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	197
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	197
उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	197
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	197
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	197–198
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	198
उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	198

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	198
उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	198
राजस्व राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	198–199
जालौन जिले के थानेदार, श्री देव बहादुर सिंह गौतम के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	199
श्री बी0एन0 प्रकाश, अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	199–202
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	202
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय–निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	202–203
डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना ..	203
सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना	203
30 मार्च, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का शोधन वक्तव्य	203–205
किंग एडवर्ड सप्तम सैनीटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	205
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	205
उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	205–206
उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	206
1976–77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	206–243
कानपुर के लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, एथर्टन वेस्ट मिल्स तथा जयपुर जूट उद्योग के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	243–246
नत्थियां	247–270

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 27 अप्रैल, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—215

अजीजुर्रहमान ,श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप , श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरेलाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर ,श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री

ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमदत्त श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महावीर प्रसाद श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मेघ नाथ सिंह सिशोदिया, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रणंजय सिंह, राजा
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेशचन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पूजन पटेल, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री

रामसमुझ तिवारी, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामहर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मी नारायण पाण्डे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालूराम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
वीरेन्द्र सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामीप्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—विद्युत् राज्य मंत्री, श्री रमेन्द्र वर्मा तथा स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 27 अप्रैल, 1976

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

फूलपुर, इलाहाबाद स्थित खाद फैक्ट्री हेतु अधिगृहीत भूमि

*1—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के फूलपुर में बन रही खाद फैक्टरी में कुल कितनी उपजाऊ जमीन ली जा रही है और उसमें कितने काश्तकार ऐसे हैं जो भूमिहीन हो जायेंगे ? क्या यह बात सही है कि फूलपुर फैक्टरी जहां बन रही है वहां पर काफी मात्रा में ऊसर पश्चिमी जमीन खाली पड़ी ह अगर उसे ले लिया जाए तो उपजाऊ जमीन बच सकती है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

419 एकड़ उपजाऊ भूमि खाद फैक्ट्री के लिये ली गई है। इससे 64 किसान भूमिहीन हो गये हैं।

जहां फैक्ट्री बन रही है उसके पश्चिम में लगभग 32 एकड़ ऊसर जमीन है। किन्तु फैक्ट्री के लिये उसका लिया जाना उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि यह नीची है।

[मंगलवार, 27 अप्रैल, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री अठई राम—

[3रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 पर स्थानान्तरित।]

*2—श्री अठई राम—

[3रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 पर स्थानान्तरित।]

*3—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न सख्या 8 पर स्थानान्तरित।]

सहकारिता संघ, कमल सागर, आजमगढ़ के सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*4—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 अप्रैल, 1975 का प्रेषित एक शिकायती-पत्र सहाकारिता संघ, कमल सागर, जिला आजमगढ़ के सुपरवाइजर के विरुद्ध मुख्य मंत्री, जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ ह ? यदि हां, तो उनके पत्र में चर्चित आरोपों की जांच किसके द्वारा कराई गई और परिणाम क्या निकाला तथा आवेदकों से पूछतांछ की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री विजय कुमार)—

जी हां। दिनांक 14-4-75 के शिकायती पत्र में चर्चित खाद वितरण में गड़बड़ी से सम्बन्धित एक पूर्व शिकायती पत्र दिनांक 5-8-74 की जांच जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा की गयी तथा 14-4-75 के शिकायती पत्र से ही उल्लिखित कपड़े की बिक्री में की गयी गड़बड़ी की जांच सहायक निबंधक, आजमगढ़ द्वारा सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 से करायी गई। जिला नियोजन अधिकारी की जांच में सहकारी पर्यवेक्षक क विरुद्ध लगाये गये आरोप पूर्णतया सिद्ध नहीं हुए। सहकारी निरीक्षक की जांच में कपड़े की बिक्री में की गई गड़बड़ी के लिये सेल्स मैन दोषी पाया गया जिसकी सेवायें समाप्त हो गयी हैं। पर्यवेक्षक को कठोर चेतावनी देकर स्थानान्तरित कर दिया गया। कपड़े की दुकान निलम्बित कर दी गयी। जिला नियोजन अधिकारी ने अपनी जांच के दौरान आवेदकों से पूछतांछ की थी।

श्री राम सुदर पांडेय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के विरुद्ध कौन-कौन आरोप थे ?

श्री विजय कुमार—

इसमें दो प्रकार के आरोप थे एक तो खाद के वितरण के संबंध में और दूसरा कपड़े की बिक्री के सम्बन्ध में। पहला आरोप यह था कि खाद के वितरण में उन्होंने सुनियोजित ढंग से नहीं किया। पुरानी और नई खाद का जैसे वितरण होना चाहिये था, वैसा नहीं किया। इसी तरह से कपड़े के सम्बन्ध में उन्होंने जो दाम लिये, वह 1.22 रु0 की जगह 2.45 रु0 लिए।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि पुरानी खाद की कीमत नई खाद की कीमत पर दी गई ? एक तरह से घपला करके दोनों के दाम बराबर

करके लिया गया ? केवल इसी दुकानदार ने नहीं किया बल्कि अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कि आजमगढ़ जिले में सभी ने पुरानी खाद के दाम ज्यादा लिये ? तो क्या जो पुरानी खाद के ज्यादा दाम किसानों से लिए गये, उसे वापस करेंगे ?

श्री विजय कुमार--

इस प्रकार का कोई विवरण नहीं है कि पुरानी और नई के एक दाम लिये। कुछ गड़बड़ी जरूर है कि किसी को पुरानी दी, किसी को नई दी। अधिकांश यही शिकायत नई व पुरानी मिला कर दी गई।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि एकाएक खाद के दाम बढ़ गये बल्कि डबल हो गये, तो क्या सहकारिता मंत्री इस बात की जांच करायगे कि जहां यह सुपरवाइजर थे, वहां पर उस वक्त कितनी पुरानी खाद थी और उसको किन-किन किसानों को किन-किन गांवों में दी गयी।

श्री विजय कुमार--

जांच करा लगे ।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

क्या सहकारिता मत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस सुपरवाइजर ने कपड़े की बिक्री में गड़बड़ी की और उसे चेतावनी देकर स्थानान्तरित कर दिया गया, तो क्या वह सजा पाने के भागी नहीं थे ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

जैसा कि बताया गया कि दो प्रकार की शिकायतें थीं। जहां तक कपड़ की बात थी, उसने कपड़े के दाम ज्यादा चार्ज किये, लेकिन जो ज्यादा दाम लिए थे वह जमा कर दिये गये थे, हमारी रिपोर्ट यह है।

श्री ऊदल--

उसको आप सही मान रहे हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

तभी तो उसे हटा दिया गया है। असल में यह हुआ कि 1.22 के दाम 2.45 जो चार्ज किये गये, वह पूरे जमा कर दिये गये। शुरू-शुरू में जो कपड़ा बेचने की बात थी, तो कितने दाम का है, यह आर्डर नहीं गया था यदि उसकी बेईमानी होती, तो वह वास्तविक मूल्य से ज्यादा वसूले गये दाम, वह अपने पास रख लता। किन्तु उसने ऐसा न करके पूरे जमा किये और उसने उतने की ही रसीद काटी है। उसे चार्ज ज्यादा नहीं करना चाहिये था यह ठीक है और इसीलिए उसे हटा दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी उस रिपोर्ट को फिर देखने की कृपा करेंगे कि कपड़े और खाद की बिक्री कब हुई है, यानी अधिक पैसा कब लिया गया है और वह जमा कब किया गया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

आपको इस बारे में अधिक जानकारी हो सकती है, अगर आप कोई ऐसी सूचना देंगे तो उसे दुबारा देख लेंगे और अपनी कोई भूल होगी तो उसे मान लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

जैसे-जैसे बिक्री हुई, वह रुपया जमा कर दिया गया या बाद में जमा किया गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

साथ-साथ जमा किया गया है।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

आखिर उसने यह दाम ज्यादा कैसे लिए कपड़ों पर दाम छपे नहीं थे, या उसने अपने मन से ज्यादा ले लिए ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

कहीं कोई गलतफहमी होगी और जब मालूम हुआ कि ज्यादा लिया गया है और वह ज्यादा चार्ज किया था, जो नहीं करना चाहिये था, तो उसको सजा दे दी गई है। लेकिन उसमें बेईमानी वाली कोई बात पाई नहीं जाती है। ऐसी बात होती तो वह पूरा रुपया जमा न करता।

*5—श्री ऊदल—

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 पर स्थानान्तरित।]

*6—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

[9वे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

*7—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

[9वे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर स्थानान्तरित।]

*8—श्री श्रीनारायण—

[3रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 पर स्थानान्तरित।]

*9—श्री श्रीनारायण—

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 पर स्थानान्तरित।]

पंचायत उद्योग, लालपुर, वाराणसी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*10—श्री ऊदल—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरहुआ ब्लाक, जिला वाराणसी म पंचायत उद्योग गांव सभा, मड़वां तथा लालपुर में टाट-पट्टी बनाने का कारखाना चलाया जा रहा है, जिसमें 15 गांव सभाओं का शेयर है? क्या यह बात सच है कि उक्त उद्योग म 15,000 के मुनाफे को हरहुआ ब्लाक का बी0 डी0 ओ0 तथा मड़वां पंचायत के ग्राम सेवक मिलकर खा गए जिसके सम्बन्ध में गांव सभा कोहासी के प्रधान ने कोई शिकायती-पत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1975 तथा 29 सितम्बर, 1975 को दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री राम जी लाल सहायक)—

पंचायत उद्योग, लालपुर में 14 गांव सभाओं के शेयर हैं।

गांव सभा कोहांसी के प्रधान द्वारा की गई शिकायतें जांच के उपरान्त निराधार पाई गईं।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी उस पत्र को देखेंगे और उसके बाद भी मैंने पत्र दिया था, यह गबन जो किया गया है 15 हजार रुपए का, जो मुनाफा था, उसके बारे में किस अधिकारी से जांच कराई गई? जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिया था, उनसे भी इस सम्बन्ध में बयान लिया गया?

श्री रामजी लाल सहायक—

जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से इसमें जांच कराई गई और जो शिकायतकर्ता थे, उनको दो-तीन बार तारीख दी गई और उनको बुलाया गया, लेकिन तथ्य यह है कि वह आए नहीं।

श्री ऊदल—

क्या सरकार हमारी बात को सत्य मानकर कि जो सज्जन जांच करने गए थे, वह ज्ञानपुर में दौरा करते रहे और शिकायतकर्ता उनका इन्तजार करते रहे, उनको ढूंढ़ते रहे, लेकिन वह उनको नहीं मिले और उनका बयान नहीं लिया गया, इसकी जांच करायेंगे ? तथा इस उद्योग का पूरा आडिट करायेंगे और जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया था, उनको भी बुलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जब किसी की जांच होगी तो उनको बुलाया जाएगा, अब इसकी जांच लेखा परीक्षा आडिट, सहकारिता व पंचायत को सौंप दी गई है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या इन जांचकर्ता ने यह कष्ट किया कि जिन्होंने शिकायत की थी, उनके पास जाकर जांच करते ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इसकी सूचना तो नहीं है।

*11—श्री अनवार जमील—

[2रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 22 पर उत्तरित।]

*12—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 18 पर उत्तरित।]

*13—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर स्थानान्तरित।]

*14—श्री श्रीनारायण—

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित।]

*15—श्री हरिकेवल—

[6ठे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 पर पुन: वापस।]

राज्य सड़क परिवहन निगम को घाटा

*16—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जून, 1972 से जून, 1975 तक परिवहन निगम को कितना घाटा हुआ और क्या इस कारण सरकार परिवहन निगम को भंग करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मन्त्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)—

जून, 1972 से जून, 1975 तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को अनुमानत: 4 करोड़ 22 लाख रुपए का घाटा हुआ है। इसका कारण इन वर्षों में संचालन व्यय के सभी मदों में वृद्धि हो जाने के बावजूद किराए की दरों में वृद्धि न होना है। लेकिन 15 मई, 1975 से निगम की बसों के किराए में वृद्धि कर दी गई है, जिससे बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हो जाने के साथ साथ लाभ भी होने की संभावना है। ऐसी दशा में परिवहन निगम को भंग करने का प्रश्न नहीं उठता है।

इकौना-लक्ष्मनपुर-सिरसियां व सिरसिया-विशनापुर-पडवलिया, बहराइच की सड़कों को पक्का किये जाने की मांग

*17—श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि बहराइच जिले की इकौना से पिपरा घाट, कटरा में मथुरा घाट, सिरसियां से विशुन पुर पडवलिया होते हुए लक्ष्मनपुर बाजार व इकौना

से लक्ष्मनपुर बाजार होते हुए सिरसिया की सड़कें जिला परिषद्, बहराइच के अधीन हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों को जिला परिषद् से हटा कर सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप कर पक्की बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

प्रश्नगत सड़कें जिला परिषद् के अधीन हैं। उनको सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने का कोई मामला शासन के विचाराधीन नहीं है।

विकास खंड जसपुरा, जिला बांदा के हरिजनों के लिये कूप निर्माण और उनमें कथित अनियमिततायें

*18—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खंड जसपुरा में किन-किन गांवों में हरिजनों को पेय जल की व्यवस्था के लिए हरिजन कुओं का निर्माण 1 जनवरी, 1972 से 31 जनवरी, 1976 तक कराया गया और प्रत्येक में अलग-अलग कितना-कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सम्बन्धित गांवों में व्यय का विवरण इस प्रकार है :

ग्राम		व्यय रुपया
(1) जसपुरा	..	8,999.45
(2) नरी	..	6,001.32
(3) खपटिहा कलां	..	7,966.50
(4) गौरी कलां	..	7,600.00
(5) पडोहरा	..	7,600.00

*19—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह भी बताएगी कि उक्त कुओं की खुदाई एवं चुनाई हरिजनों से ही करायी गयी और इस मद का पूरा पैसा सरकारी कोष से खर्च दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करा कर दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

केवल ग्राम गौरी कलां तथा नरी के कूप निमाण में खुदाई का कार्य हरिजनों द्वारा श्रमदान से किया गया था, परन्तु इस मद का पैसा सरकारी कोष से खर्च नहीं किया गया था। अत: इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध जांच की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर में सहायक शस्यविद् की नियुक्ति

*20—श्री मानपाल सिंह (जिला एटा)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर के लिए प्रादेशिक लोक सेवा आयोग द्वारा 13 सहायक शस्यविद् पदों हेतु दिनांक 28 नवम्बर, 1974 को साक्षात्कार किया गया था ? यदि हां, तो उसमें से अब तक कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है ? शेष की नियुक्ति न होने का कारण क्या है ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

जी हां। आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों में से 6 को नियुक्ति आदेश जारी किए गए। निम्न कारणों से शेष 7 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गयी :

(1) विषय विशेषज्ञ (एग्रोनामी) के तीन पद समाप्त हो गए थे।

(2) दो पद गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित हो गए थे।

(3) कृषि विज्ञान संस्थान के दो विज्ञापित पदों को कृषि विभाग के पहले से ही लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित दो अधिकारियों के स्थानान्तरण द्वारा भर दिया गया था।

*21—श्री मानपाल सिंह—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश कृज्ञि विज्ञान संस्थान, कानपुर में सहायक शस्यविद् के स्थानों पर अनेक अधिकारी तदर्थ रूप से पदासीन हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किए गए चयन में असफल घोषित हो गए ? यदि हां, तो क्यों और कब तक आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को इनके स्थान पर पदासीन होने का अवसर दिया जाएगा ?

श्री चेतराम गंगवार—

उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर 1, जुलाई, 1975 से चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में हस्तान्तरित हो गया है। विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके अन्तर्गत 9 सहायक शस्यविद् तदर्थ रूप से कार्यरत हैं। लोक सेवा आयोग के चुनाव में असफल हुए व्यक्तियों की कोई सूची शासन में नहीं प्राप्त हुई है, जिससे ज्ञात हो सके कि इन तदर्थ-रूप से कार्यरत व्यक्तियों में से कौन-कौन से व्यक्ति उक्त चुनाव में असफल रहे। इन पदों पर नियमित नियुक्तियां विश्वविद्यालय के नियमों एवं परिनियमों के अधीन आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा की जाएंगी।

श्री मानपाल सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 3 पद विषय विशेषज्ञ एग्रोनोमी के थे, व कौन सी तारीख को समाप्त हो गए थे ?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मानपाल सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दो पद गोविन्द बल्लभ पन्त को स्थानान्तरित हो गए थे, ये किस तारीख को हो गए थे ?

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, रिसर्च स्टेशन्स जितने थे, वे कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर के पास थे ; जब यह पन्तनगर में हुआ तो फिर इस संस्थान में उनकी आवश्यकता नहीं हुई, और पन्तनगर उस कार्य को स्वयं देख रहा है।

श्री मानपाल सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 28 नवम्बर, 1974 को जो लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर की 13 सहायक शस्यविद् की रिक्तियों को करने के लिए साक्षात्कार किया गया था, अब तक उन चुने हुए व्यक्तियों की नियुक्ति न किए जान के क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, सरकार ने यह निर्णय लिया था कि क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वहां हो रही है, इसलिए किसी भी प्रकार की नियुक्तियां, जो वहां के वाइस चांसलर बनेंगे, उनकी स्वीकृति के अनुसार की जाएंगी। इसी बीच यह भी निर्णय लिया गया कि जिनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा हो गया है और जो स्थायी पद हैं, उन पर उनको ले लिया जाय। इसी ही प्रकार उन पदों पर जिनकी विश्वविद्यालय को आवश्यकता थी, नियुक्ति कर दी गयी और शेष विश्वविद्यालय के ऊपर छोड़ दिया गया।

फर्रुखाबाद के आलू उत्पादकों को राहत दिये जाने की योजना

*22—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी फर्रुखाबाद जनपद के आलू उत्पादक भयंकर मन्दी के शिकार हुए हैं। यदि हां, तो सरकार ने इस वर्ष आलू उत्पादकों को भयंकर मन्दी की चोट से बचाने के लिए क्या कदम उठाए ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां।

इस वर्ष शासन द्वारा आलू के रोग रहित होने का प्रमाण-पत्र तथा ग्रेडिंग कराने के पश्चात् राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड)) तथा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उचित दर से खरीद कराई गई है जिससे आलू के भाव बढ़े हैं।

फतेहपुर सहकारिता विभाग की कलेक्शन जीप की लाग बुक और पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि

*23—श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद में सहकारिता विभाग की कलेक्शन की जीप की 1974-75 तथा 1975-76 की लाग बुक मेन्टेन की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त जीप में उक्त वर्षों में कितनी कीमत का पेट्रोल खर्च किया गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी हां।

परन्तु दिनांक 16 दिसम्बर, 1975 से 11 मार्च, 1976 तक की लाग बुक उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 1974-75 व 1975-76 में उक्त जीप में क्रमश : रु0 1,485.90 तथा रु0 3,577.81 कीमत का पेट्रोल तथा मोबिल आयल खर्च किया गया है।

*24—श्री जयनारायण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद की सहकारिता विभाग की कलेक्शन जीप में 1974-75 तथा 1975-76 में आफिस में रखने वाली प्रथम नम्बर की परची रखी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या पेट्रोल पम्प में दी गई पर्ची में पेट्रोल अधिक लिखा गया और इस प्रकार जो बढ़ोत्तरी हुई उसका पैसा गबन किया गया ? क्या सरकार इस तथ्य की जांच सी0 आई0 डी0 विभाग द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

सहकारिता विभाग की कलेक्शन की जीप को 1974-75 तथा 1975-76 में आफिस में रखने वाली प्रथम नम्बर की पर्चियां उपलब्ध नहीं हैं।

पेट्रोल पम्प में दी गयी पर्ची में पेट्रोल अधिक लिखना एवं पैसा गबन की स्थिति विभागीय जांच के उपरान्त पता हो सकेगी। विभागीय जांच चल रही है।

राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र के केर सेक्शन कार्यशाला व भंडार और क्षेत्रीय कर्मशाला व भंडार का निरीक्षण

*25—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य परिवहन सड़क निगम ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किसी विशेष दस्ता की नियुक्ति की है जिसने कुछ मास पूर्व लखनऊ डिपो में छापा मारा और चार लाख रुपए के सामान का घोटाला पाया ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यशालाओं तथा भन्डारों में भ्रष्टाचार मिटाने के उद्देश्य से उनके आकस्मिक निरीक्षण हेतु एक विशेष दस्ते (टास्क फोर्स) का गठन अक्तूबर, 1975 से किया गया है। इस दस्ते ने लखनऊ क्षेत्र से सम्बद्ध कार सेक्शन कार्यशाला व भन्डार का निरीक्षण जनवरी, 15 से 18, 1976 तक किया। इस निरीक्षण के फलस्वरूप लगभग रुपए 2,495 के सामान की न्यूनता व लगभग रुपए 3,601 के सामान की अधिकता तथा रुपए 335 के सामान की अन्य प्रकार की अनियमितताओं का पता चला। क्षेत्रीय कर्मशाला व भन्डार लखनऊ का निरीक्षण दिनांक 3 फरवरी से 2 मार्च, 1976 तक किया गया। इस निरीक्षण के दौरान रुपए 2,07,158 मूल्य के सामान की न्यूनता रुपए 1,86,449 के मूल्य के सामान की अधिकता व रुपए 27,400 मूल्य के सामान की अन्य प्रकार की अनियमितता पाई गई।

लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लि० के सचिव की गिरफ्तारी और उन पर आरोपित चार्ज शीट

*26—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)—

क्या यह बात सही है कि लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड, लखनऊ के सचिव को दिनांक 29 अक्तूबर, 1975 को सहकारिता पुलिस सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो इन्हें किन धाराओं के अन्तर्गत पकड़ा गया और क्या सचिव को निलम्बित कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विजय कुमार—

जी हां।

भारतीय दन्ड संहिता की धारा 409, 468, 471, 477(ए), 420, 120 (बी) के अन्तर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

उन्हें निलम्बित नहीं किया गया था क्योंकि इनके विरुद्ध प्राइमाफेसी केस अब तक नहीं साबित हो पाया है।

*27—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

क्या यह बात सही है कि उक्त गिरफ्तारी के बाद केस में चार्जशीट लग गई और कोर्ट भेज दी गई? यदि हां, तो किस तारीख को? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक चार्जशीट कोर्ट पहुंच जाएगी?

श्री विजय कुमार—

जी नहीं।

पुलिस की विशेष अनुसन्धान शाखा द्वारा विवेचना जारी है। विवेचना पूरी हो जाने पर जब जुर्म साबित होगा तब उनके द्वारा चार्जशीट न्यायालय भेजी जाएगी।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सचिव को कब निलम्बित किया गया?

श्री अध्यक्ष—

यह तो लिखित जवाब में दिया है।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

मैं निश्चित जानकारी चाहता हूं।

श्री विजय कुमार—

इसकी निश्चित सूचना नहीं है। मालूम करके बता सकूंगा।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

इस सरकार के जिन कर्मचारियों को किसी आरोप में पकड़ा जाता है, तो उसको सस्पेण्ड कर दिया जाता है, लेकिन इनको क्यों नहीं किया गया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

चार्ज शीट जब देते हैं तो सस्पेण्ड किया जाता है। कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। चार्ज शीट में प्राइमा फेसी केस बन जाता है, तो सस्पेंड करने का नियम है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 29 अक्तूबर, को एक ड्राइवर ने इतने उच्च अधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट लिखाने के 3-4 घन्टे बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा अथवा अन्य किसी व्यक्ति से करायी जाए। एक ड्राइवर की रिपोर्ट पर इतने उच्च अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जब कि बहुत सी रिपोर्ट होने पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सी0 आई0 डी0 से जांच कराने पर इस अधिकारी के साथ न्याय हो सकेगा।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि जांच की रिपोर्ट पूरी होने वाली है। रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

अध्यक्ष महोदय, इस मामले में ड्राइवर ने रिपोर्ट लाज करायी है और उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। आप कहते हैं कि रिपोर्ट आ जाएगी तब देखूंगा, कोई प्राइमाफेसाई केस नहीं है, इसलिए सस्पेन्ड नहीं किया गया। अगर प्राइमाफेसाई केस नहीं बनता है, तो इस अधिकारी के साथ न्याय होना चाहिए और इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करानी चाहिए।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

कोआपरेटिव का पुलिस सेल इसकी जांच कर रहा है। यह बताया गया है, उसकी रिपोर्ट करीब-करीब तैयार है। उस रिपोर्ट के आने पर यदि आवश्यक हुआ तो सी0 आई0 डी0 से जांच करा ली जाएगी।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

जब सहकारिता में गबन के मामले होते तो विभाग द्वारा जांच की जाती है। माननीय मन्त्री जी उल्टी बात कह रहे हैं। प्राइमाफेसाई केस बन गया तो रिपोर्ट लिखायी गयी। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उसे सस्पेण्ड क्यों नहीं किया गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मिल्क यूनियन संघ के श्री राम गोपाल ने पुलिस थाना हजरतगंज में कोआपरेटिव मिल्क यूनियन के धन के गबन के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखायी, यूनियन के प्रेसीडेन्ट ने लिखायी, हमारे कोआपरेटिव में एक पुलिस सेल है, उसको सूचना दी गयी। यह जरूर है कि उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी जमानत हो गयी है। कोआपरेटिव का पुलिस सेल उसकी जांच कर रहा है। उसकी रिपोर्ट आने वाली है। उसको मैं देखूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह मामला सन् 1975 का है और अब तक रिपोर्ट नहीं आयी। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि उसे निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह तो साधारण नियम है कि अगर किसी के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखी जाती है, तो पुलिस को अधिकार है कि वह चाहे तो सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन यदि जांच करके यह पता चले कि उसने चोरी नहीं की तो उसको अधिकार है कि वे गिरफ्तार नहीं भी कर सकते हैं।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस दिन इस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, उससे अगले दिन ही दुग्ध संघ की समिति का कोई चुनाव होने वाला था और दूसरे दिन ही इनकी गिरफ्तारी के बाद, किसी दूसरे अधिकारी को इनके पद पर नियुक्त कर दिया गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ गोलमाल का मामला हुआ है, शायद ज्यादती हुई है। जो माननीय ओम प्रकाश जी ने सवाल किया था, उसका उत्तर ही नहीं आया है।

श्री ऊदल—

जो गबन की रिपोर्ट लिखाई गई है, उसमें कितने रुपए का गबन हुआ दिखाया गया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जो रिपोर्ट है, वह अलग-अलग चीजों की है। एक तो यह है कि श्री के0 एन0 घोष रजिस्ट्रार की स्वीकृति के बिना 6 मास से काम कर रहे हैं, जो अनियमित था। दूसरे यह है कि जो दूध बेचना चाहिये था, वह ट्रान्सफर कर दिया। तो इस प्रकार से कई बातें रिपोर्ट में लिखाई गई हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, अभी भी सफाई नहीं हुई है। क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि किन कारणों से इस अधिकारी को पहले मुअत्तिल किया गया और मुअत्तिल करने के बाद दुबारा रिइन्सटेट किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो दिया जा चुका है।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

किन कारणों से श्री चौहान को 8 मार्च, 1976 को मुअत्तिल किया गया और फिर उनको रिइन्सटेट किया गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

श्रीमन्, इसको स्थगित कर दें, इसमें बड़ा गोलमाल मालूम पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—

स्थगित कराने के बजाय आप प्रश्न करें।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनको सस्पेन्ड करके रिइन्सटेट करने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप उसी प्रश्न को दुहरा रहे हैं।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चौहान साहब को 8 मार्च, 1976 को सस्पेन्ड किया गया और फिर शासन ने 13 मार्च, को वे आर्डर्स रद्द किए, तो उसका क्या कारण है ?

श्री विजय कुमार—

इसके विषय में इस समय कोई सूचना नहीं है, लेकिन जानकारी कराके माननीय सदस्य को बता देंगे।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जिन अध्यक्ष और बोर्ड ने इस सचिव के खिलाफ कार्यवाही की तो उसके मैला-फाइडी रुख को देखते हुए बोर्ड को ही मुअत्तिल क्यों नहीं किया गया ? अगर यह सही है, तो क्या उसको सुपरसीड नहीं होना चाहिए था ?

(उत्तर के लिए मन्त्री का नाम न पुकारे जाने पर)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

इसी से उठता है श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन यह तो परवर्ती है। मन्त्री जी जवाब देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि इस पर सूचना की आवश्यकता है कि सचिव को निलम्बित किया गया या नहीं। यह सूचना क्यों नहीं मंगायी गयी, ऐसे ही खड़े होकर क्यों जवाब दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जवाब तो दिया। जवाब से आप सहमत हों, सन्तुष्ट हों या न हों।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

इस प्रकार से जो किया गया है तो आईन्दा जो कर्मचारी गबन में पकड़ लिए जायेंगे, उनको भी सस्पेंड नहीं किया जायगा, जब तक कि चार्जशीट नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो सामान्य सवाल है कि गलत आदमी को नहीं पकड़ना चाहिए और गलत फंसाने वाले को सजा देनी चाहिये—यह सामान्य सिद्धान्त है।

फर्रुखाबाद जिला परिषद् के मेटों और बेलदारों की मासिक मजदूरी

*28—श्री विमल प्रसाद तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जिला परिषद् की कच्ची व पक्की सड़कों पर कार्य करने वाले गैंगमैन व मेट को बहत्तर रुपया प्रतिमाह दिया जाता है जबकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी इससे कहीं अधिक है ? यदि हां, तो इस राजकीय आदेश की अवहेलना का क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जिला परिषद्, फर्रुखाबाद में कच्ची व पक्की सड़कों पर कार्यरत मेटों तथा बेलदारों को मासिक भुगतान किया जाता है और दरें इस प्रकार हैं :—

(1) 5 वर्ष से कम सेवा वाले मेट व बेलदार को क्रमश : 90 रुपए व 70 रुपए

(2) 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले मेट व बेलदार को क्रमश : 110 रुपए व 96 रुपए।

चूंकि जिला परिषद् के अधीन कार्यरत परिषदीय कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नहीं है अतः शासकीय कर्मचारियों के बारे में लागू आदेश जिला परिषदों पर स्वतः लागू नहीं होते हैं। जिला परिषद् के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भुगतान की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

*29—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री मधुकर दिघे तथा श्री शारदा प्रसाद रावत—

[24-3-76 को तारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत उत्तरित।]

*30—श्री प्रियदर्शी जेटली—

[माननीय सदस्य ने प्रश्न वापस लिया।]

*31—कुमारी रमा पन्त, श्री बालकृष्ण सनवाल तथा श्री देव बहादुर सिंह—

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 63 पर स्थानान्तरित।]

*32—श्री राम अधार—

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर स्थानान्तरित।]

विकास क्षेत्र पडरौना, देवरिया में गंडक परियोजना क्षेत्र के अधीन सड़कों का निर्माण

*33—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के पडरौना विकास खंड के अन्तर्गत गन्डक नहर कमान्ड एरिया में सत्तर किलो मीटर पक्के मार्गों के निर्माण का प्राविधान है? यदि हां, तो विकास खंड के अन्तर्गत अब तक कुल कितने किलोमीटर मार्ग निर्माण हो चुका है? क्या मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में जनवरी, 1975 में गन्डक प्रोजेक्ट कमिश्नर, पडरौना गए थे तथा विभिन्न मार्गों तथा पुलों के निर्माण का आश्वासन भी दिया था? उसकी पूर्ति कहां तक हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

गन्डक परियोजना क्षेत्र में 78.01 किलो मोटर सड़कों के निर्माण का प्राविधान है। देवरिया जनपद के पडरौना तहसील के दुधई और सिवरहीं मन्डी के विकास हेतु उनसे सम्बन्धित 48.71 किलो मीटर सड़कें निर्माणाधीन हैं जो इस वर्ष पूरी हो जायेंगी। प्रायोजना प्रशासक गन्डक कमान्ड माह जनवरी, 1975 में पडरौना गए थे, परन्तु निर्माण के विषय में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया था।

लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लि० के स्टोर इन्चार्ज की गबन के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

*34—श्री मोहम्मद शकील अहमद—

क्या यह बात सही है कि लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड, लखनऊ के स्टोर इन्चार्ज के विरुद्ध वाराणसी मिल्क यूनियन के मिल्क बार में, तथा फर्रुखाबाद जिले में पी0 सी0 यू0 की लार्ज साइज सोसाइटी में जब वह सुपरवाइजर थे, धन का गबन करने पर धारा 409 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 में गिरफ्तार किये गए थे? यदि हां, तो वह कितने दिन जेल में रहे तथा इनके विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

श्री विजय कुमार—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*35—श्री मोहम्मद शकील अहमद—

क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों केस में बन्द होने पर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश ने कई बार उक्त लखनऊ दुग्ध संघ के स्टोर इन्चार्ज को निलम्बित करने के लिए इस संस्था के सचिव को लिखा किन्तु सचिव ने इन्हें उनके द्वारा किए गए 409 के कार्यों में सहयोगी होने के कारण अब तक कोई कार्यवाही नहीं की? यदि हां, तो सरकार निलम्बन की कार्यवाही करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विजय कुमार--

सूचना एकत्र की जा रही है।

(श्री मोहम्मद शकील अहमद का नाम पुकारे जाने और उनके न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न संख्या 36, माननीय मलखान सिंह। माननीय पंचायत राज मन्त्री।

(श्री मोहम्मद शकील अहमद के खड़े होने पर।)

आप खड़े नहीं हुए और मैं इतनी देर तक आपकी तरफ देखता रहा। अब पुनः खड़ हुए, तो अब तो सब प्रश्नों के बाद आएगा, तब समय मिलेगा।

श्री मोहम्मद शकील अहमद--

मैं आधा खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष--

अध्यक्ष के सामने इस तरह से सत्य से परे बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी तो नजर आपको देख रही थी। आप बैठे हुए थे और बैठे रहने का मतलब होता है कि माननीय सदस्य उदासीन हो गए हैं, अब प्रश्न नहीं करना चाहते हैं, इसलिए खड़ा होना आवश्यक नही है।

यह अगले दिन आएगा। अभी आज नहीं।

पंचायत सेवक, राजपुर, कानपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*36--डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)--

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को ग्राम प्रधान राजपुर, जिला कानपुर का दिनांक 18 फरवरी, 1975 तथा 3 अप्रैल, 1975 का पत्र तथा प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1975 का प्राप्त हुआ है जिसमें पंचायत सेवक राजपुर द्वारा ग्राम सभा के हजारों रुपयों की क्षति पहुंचाने का जिक्र है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की थी?

श्री रामजी लाल सहायक--

वर्णित तिथियों में ऐसे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए हां, ग्राम प्रधान के दिनांक 8 सितम्बर, 1975 तथा 25 नवम्बर, 1975 के पत्र तथा प्रश्नकर्ता का दिनांक 24 अप्रैल, 1975 का पत्र प्राप्त हुआ है।

इनमें अनियमितताओं का उल्लेख है। शासन द्वारा जांच कराई गई थी।

डाक्टर मलखान सिंह--

जो शासन से जांच कराई गई थी उसमें क्या रिपोर्ट मिली?

श्री रामजी लाल सहायक--

उसमें तो जो शिकायत थी वह निराधार पायी गयी।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री राम सुन्दर पान्डेय--

[1ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 पर उत्तरित।]

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 36 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

सहकारी गन्ना समिति, फरेन्दा, गोरखपुर मैनेजिंग बोर्ड का गठन

2—श्री लक्ष्मी नरायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना समिति, फरेंदा गोरखपुर वर्तमान मैनेजिंग बोर्ड का गठन कब किया गया था और बोर्ड का नया निर्वाचन अब तक न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, फरेंदा, गोरखपुर के मैनेजिंग बोर्ड (प्रबन्ध कमेटी) का गठन दिनांक 25 अक्तूबर, 1970 को किया गया था।

समिति के सचिव द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 1974 के लिए प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन हेतु एजेन्डा प्रसारित किए जाने पर समिति के अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 229(2) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर दिए जाने के फलस्वरूप उस पर सोल आर्बीट्रेटर (एस0 डी0 एम0, महराजगंज) के स्थगन आदेश हो जाने के कारण चुनाव कार्य दिनांक 23 दिसम्बर, 1975 तक रुका रहा। दिनांक 23 दिसम्बर, 1975 को अध्यक्ष द्वारा उक्त वाद उठा लिए जाने पर अब इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

3—श्री रामपति—

[परिवहन निगम के दैनिक कार्य से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

बस आपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष द्वारा दिया गया कथित ज्ञापन

4—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 मई, 1975 से 22 मई, 1975 के बीच बस आपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष, श्री रोशन लाल गुलाठी के नेतृत्व में कोई प्रतिनिधि मन्डल उनसे मिला और अपनी मांगों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उनकी मांग क्या है तथा उनमें कौन-कौन मांगें स्वीकार करने का आश्वासन सरकार ने दिया है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

5—श्री बाबू लाल वर्मा—

[3रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर उत्तरित।]

गोरखपुर में ट्रक-दुर्घटना के फलस्वरूप मृत व्यक्तियों की संख्या

6—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 22 नवम्बर, 1974 को जनपद गोरखपुर से लगभग बीस किलोमीटर दूर चौरी चौरा जाने वाली कोई ट्रक खड्ड में गिर पड़ी है ? यदि हां, तो कितने लोग मरे तथा कितने आहत हुए ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

जी हां, 14 व्यक्ति घटनास्थल पर मरे तथा 1 व्यक्ति दूसरे दिन अस्पताल में मरा। 21 व्यक्तियों की अस्पताल में चिकित्सा करके उन्हें उनके घर भेजा गया।

जिला परिषद् बहराइच में कृषि एवं विकास प्रदर्शनी के आय और व्यय का विवरण

7—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, 1975 तथा जनवरी, 1976 में जिला परिषद्, बहराइच द्वारा आयोजित कृषि उद्योग एवं विकास प्रदर्शनी को सरकार ने

मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया था ? यदि हां, तो उक्त प्रदर्शिनी में कुल आय एवं व्यय का पूर्ण विवरण क्या है और सरकार द्वारा क्या सहायता दी गयी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां।

आय और व्यय का पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

शासन द्वारा कोई सहायता नहीं प्रदान की गयी।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 247 पर।)

8—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 पर स्थानान्तरित।]

आलू विकास निगम की स्थापना की मांग

9—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत अप्रैल, 1975 में उन्होंने उत्तर प्रदेश आलू विकास निगम बनाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। किन्तु अनावश्यक व्यय रोकने के उद्देश्य से प्रस्तावित आलू विकास निगम के कार्यों को एग्रो तथा अन्य क्षेत्रीय विकास निगमों द्वारा कराया जाएगा।

भूमि संरक्षण इकाई, बहराइच के स्थानान्तरण का आदेश

10—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जिला भूमि संरक्षण भूमि यूनिट, बहराइच जिले में कब लागू की गयी और वर्ष 1972 से अब तक बहराइच जनपद की किन-किन तहसीलों में कितना-कितना रकबा कहां-कहां भूमि क्षरण से संरक्षित किया गया ? यदि यह सही है कि बहराइच जनपद से उक्त यूनिट किसी अन्य जिले में हटाकर खोलने का आदेश हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

भूमि संरक्षण इकाई बहराइच में वर्ष 1966-67 में स्थापित की गई थी। वर्ष 1972 से दिनांक 27 जनवरी, 1976 तक बहराइच जिले की बहराइच व नानपारा तहसीलों में क्रमश: 6030 व 961 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया। शारदा सहायक कमान्ड परियोजना के क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्यक्रमों में गति लाने के उद्देश्य से तथा परियोजना क्षेत्र में समुचित रूप से 'आन फार्म-डेवलेपमेंट' कार्य सम्पन्न कराए जाने हेतु शासन ने इस यूनिट को हटाने के निदेश जारी किए हैं।

वाराणसी के केवलापुर-सेमराध मार्ग का निर्माण

11—श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वाराणसी के अन्तर्गत विकास खंड डीघ में केवलापुर सेमराध मार्ग त्वरित योजना के अन्तर्गत बनना शुरू हुआ है ? यदि हां, तो यह मार्ग कब से बन रहा है और कितना बना है तथा कब तक पूरा बन जाएगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

वाराणसी जनपद के डीघ क्षेत्र विकास खंड में त्वरित योजना के अन्तर्गत केवलापुर-सेमराध मार्ग का निर्माण कार्य 4 अक्तूबर, 1971 से प्रारम्भ हुआ। छः किलोमीटर लम्बे इस मार्ग के केवल 5.5 किलोमीटर भाग पर कार्य कराया गया जिसमें से एक किलोमीटर

भाग पर पहली सतह लेपन तथा शेष 4.5 किलोमोटर पर टापकोट कुटाई का कार्य किया जा चुका है। इस जिले में त्वरित योजना का कार्य 31 दिसम्बर, 1974 से समाप्त हो जाने के कारण इस सड़क पर निर्माण कार्य बन्द है।

मथुरा के विकास खंड, सहपऊ का भवन

12—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद मथुरा के विकास खण्ड सहपऊ का भवन निर्माण होना ह ? यदि हां, तो निर्माण कब प्रारम्भ हो जाएगा और निर्माण प्रारम्भ में हो रही देरी का क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, जनपद मथुरा के विकास खंड सहपऊ का भवन निर्माण होना है। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी। देरी का कारण भूमि का उपलब्ध न होना है।

गोरखपुर में बस दुर्घटना के फलस्वरूप मृत व्यक्तियों की संख्या

13—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि परिवहन विभाग की एक बस दिनांक 28 जनवरी, 1976 को गोरखपुर जनपद में बड़हलगंज, गोरखपुर रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी ? यदि हां, तो उसमें कुल कितने आदमियों की मृत्यु हुई, कितने जख्मी हुए तथा दुर्घटना का कारण क्या था?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

परिवहन निगम की बस संख्या यू0 टी0 ए0 293, दिनांक 28 जनवरी, 1976 को बड़हलगंज-गोला-गोरखपुर मार्ग पर लगभग 10 बजे दिन में ऊंचागांव के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुई।

उक्त दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 46 आदमी जख्मी हुए।

दुर्घटना स्थल की जांच से दुर्घटना का कारण यह निकला कि बस के अगले दायें टायर में किसी पैनी वस्तु (sharp object) लगने के कारण आकस्मिक कटाव हुआ, जिसके फलस्वरूप पहिया बर्स्ट हो गया और बस तीव्रगति में होने के कारण चालक के नियन्त्रण से बाहर होकर एक पेड़ से टकरा गई।

14—श्री सत्य प्रकाश—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

नेशनल हाई वे दिल्ली—लखनऊ रोड पर गजरौला तथा मुरादाबाद के बीच ट्रक दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मृत व्यक्तियों की संख्या

15—हाजी मोहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि नेशनल हाई वे दिल्ली-लखनऊ रोड पर गजरौला से मुरादाबाद तक सड़क पर ट्रकों द्वारा तथा अन्य किसी वाहनों द्वारा वर्ष 1975 में कितनी दुर्घटनायें हुईं, उनमें कितने लोग मरे तथा कितने लोग घायल हुए, मरने तथा घायल होने वालों को सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

कुल 28 दुर्घटनायें हुईं। उनमें 24 व्यक्ति मरे तथा 21 व्यक्ति घायल हुए। मरने तथा घायल होने वालों को सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई।

16—श्री सूबेदार प्रसाद—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 18 पर स्थानान्तरित।]

केन सोसाइटी, सेवहारा, बिजनौर का वार्षिक आय-व्यय और बजट

17—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या गन्ना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि केन सोसायटी, सेवहारा, जिला बिजनौर में 1971-72, 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 का वार्षिक आय-व्यय तथा अनुमानित बजट एवं अधिकतम दायित्व सोसाइटी की साधारण वार्षिक सभाओं से स्वीकार कराया गया है ? यदि नहीं, तो आय-व्ययक किस आधार पर किया गया ह ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी हां।

18—श्री अनवार जमील—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 पर उत्तरित।]

प्रदेश में नई मण्डी समिति की स्थापना

19—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष (वित्तीय वर्ष) 1976-77 में राज्य सरकार किन-किन जिलों में नई मन्डी समिति की स्थापना का विचार कर रही है ? इन समितियों पर कुल कितने व्यय का अनुमान है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

राज्य सरकार किसी भी जिले में नई मन्डी समिति की वर्ष 1976–77 में स्थापना के सम्बन्ध में विचार नहीं कर रही है। अत: व्यय अनुमान का प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा मंडी समिति द्वारा सम्पादित कार्य की सूचना

20—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोन्डा जिले की मन्डी समितियों में अलग-अलग 1975-76 में कितनी-कितनी लागत से व्यापार किया गया और प्रत्येक मन्डियों को कितना लाभ या हानि हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मन्डी समितियां व्यापारिक संस्था नहीं हैं। अत: गोन्डा जिले की मन्डी समितियों ने वर्ष 1975-76 में कोई व्यापार नहीं किया है। लाभ हानि का प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सदस्य, श्री दलजीत सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष—

अब निधन के निर्देश। माननीय मुख्य मन्त्री, नेता सदन।

(नेता सदन के सदन में उपस्थित न होने पर)

यह अत्यन्त खेद का विषय है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

यह बहुत ही दुखद बात है।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री जी को और संसदीय-कार्य मन्त्री जी को एक-एक कापी भेजी गयी थी।

(कुछ देर पश्चात्)

श्री ऊदल—

कल के लिए इसको रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसको टाल दें कल के लिए। लेकिन यह अभूतपूर्व होगा।

(कुछ देर पश्चात्)

इसको स्थगित नहीं किया जाता है। मैं स्वयं इसको रख देता हूं। ऐसी खेदजनक स्थिति में मुझे रखना पड़ रहा है।

(व्यवधान)

गृह राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर)—

मान्यवर, आज बड़े दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, ठाकुर दलजीत सिंह का स्वर्गवास दिनांक 3 अप्रैल, 1976 को हृदयगति रुक जाने से होने की सूचना मिली है। स्वर्गीय श्री दलजीत सिंह का जन्म सम्वत् 1964 विक्रमी में ग्राम परेउपुर, जिला बहराइच में हुआ था। ठाकुर साहब निर्वाचन क्षेत्र बहराइच (दक्षिण) से वर्ष 1962 में कांग्रेस के टिकट पर चुन कर इस सम्मानित सदन में आए थे तथा 1967 तक यहां सदस्य के रूप में रहे। स्वर्गीय ठाकुर दलजीत सिंह जिला बहराइच के सदस्य तथा मन्डल व जिला कांग्रेस कमेटी के भी पदाधिकारी रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र में अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। नेहरू स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिलौला के अध्यक्ष, न्याय पंचायत के सरपंच तथा सहकारी बैंक में डाइरेक्टर के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। ठाकुर साहब एक व्यवहार कुशल तथा कर्त्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता होने के साथ-साथ अपने क्षेत्र में काफी प्रभावशाली एवं सम्भ्रान्त व्यक्ति के रूप में जाने जाते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्री दलजीत सिंह जी के निधन पर यह सदन अपना दुःख प्रकट करता है। आप कृपा करके इस सदन की समवेदना उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष जी, श्री दलजीत सिंह जी के निधन के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और हमारे दल के सभी सदस्य उनके निधन पर दुखी हैं और समवेदना प्रकट करते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे दल का समवेदना सन्देश उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गृह मन्त्री और माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा श्री दलजीत सिंह जी के बारे में जो समवेदना और शोक व्यक्त किया गया है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री दलजीत सिंह, जैसा कहा गया है, बहराइच में पैदा हुए थे सम्वत् 1964 में। वह इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं और काफी दीर्घ उम्र भी उनको मिली, लेकिन 3 अप्रैल को हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गयी। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनके निधन से सार्वजनिक क्षेत्र में जो रिक्तता आयी है वह अपूरणीय है।

जैसा कि शासन तथा प्रतिपक्ष की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति कहा गया है, समवेदना का सन्देश उनके सन्तप्त परिवार के पास भेज दिया जाएगा। अब उनकी आत्मा की शान्ति के लिए 2 मिनट मौन खड़े होकर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

थाना राजापुर, जिला बांदा में हुई घटनाओं की जांच हेतु नियुक्त जांच आयोग की रिपोर्ट †

गृह राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 को थाना राजापुर, जिला बांदा में हुई घटनाओं की जांच के लिए नियुक्त एक सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट को, कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

गोण्डा नगर में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में जांच आयोग का प्रतिवेदन ††

गृह राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर)—

श्रीमन्, मैं दिनांक 14 फरवरी, 1973 को गोन्डा (नगर) में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में जांच आयोग के प्रतिवेदन को ज्ञापन सहित, कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

बिक्री-कर अनुभाग-2 द्वारा जारी की गयी विज्ञप्तियां *

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

श्रीमन्, मैं वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की :

विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-दो-2985/दस—10(2)-1974, दिनांक 3 अप्रैल, 1975;

विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-2988/दस—10(2)-1974, दिनांक 3 अप्रैल, 1975;

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2-2991/दस—6(7)-73, दिनांक 3 अप्रैल, 1975;

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2-2992/दस—6(7)-73, दिनांक 3 अप्रैल, 1975, को शुद्धि-पत्र, संख्या एस0टी0-दो-10153/दस—10(2)-73, दिनांक 3 जनवरी, 1976 सहित;

विज्ञप्ति संख्या एस0-टी0-2-4945/दस—10(2)-74, दिनांक 30 मई, 1975;

विज्ञप्ति संख्या एस0-टी0-2-4946/दस—10(2)-74, दिनांक 30 मई, 1975;

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2-4947/दस—10(2)-74, दिनांक 30 मई, 1975;

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2-4948/दस—10(2)-74, दिनांक 30 मई, 1975,

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2-4949/दस—10(2), दिनांक 30 मई, 1975, को शुद्धि-पत्र संख्या एस0टी0-दो-10154/दस—10(2)-74, दिनांक 3 जनवरी, 1976 सहित;

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2-8444/दस—11(2)-75, दिनांक 1 अक्तूबर, 1975;

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2-8445/दस—1(2)-75, दिनांक 1 अक्तूबर, 1975;

---

†छापी नहीं गयी।
††छापा नहीं गया।
*छापी नहीं गयी।

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2–8446/दस—1(2) 75, दिनांक 1 अक्तूबर, 1975, को शुद्धि-पत्र संख्या एस0टी0-दो–10035/दस—1(2)-75, दिनांक 30 दिसम्बर, 1975 सहित;

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2–9057/दस—11(29)-75, दिनांक 2 जनवरी, 1976; तथा

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2–9060/दस—11(2) 75, दिनांक 2 जनवरी, 1976, का शुद्धि-पत्र संख्या एस0 टी0–208/दस—11(29)-75, दिनांक 27 जनवरी, 1976 सहित, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की :—

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2–2983/दस—10(2)-1974, दिनांक 3 अप्रैल, 1975;

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2–2986/दस—10(2)-1974, दिनांक 3 अप्रैल, 1975;

विज्ञप्ति संख्या एस0-टी0-2–2993/दस—6(7)-73, दिनांक 3 अप्रैल, 1975;

विज्ञप्ति संख्या एस0टी2-0–2995/दस—6(7)-73, दिनांक 3 अप्रैल, 1975 को शुद्धि-पत्र संख्या एस0टी0–दो–10153/दस—10(2)-74, दिनांक 3 जनवरी, 1976 सहित;

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0–2–4942/दस—10(2)-74, दिनांक 30 मई, 1975;

विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2–4943/दस—10(2)-74, दिनांक 30 मई, 1975;

विज्ञति संख्या एस0टी0-2–4944/दस—10(2)-74, दिनांक 30 मई, 1975 को, शुद्धि-पत्र संख्या एस0टी0-2–10154/दस–10(2)–74, दिनांक 3 जनवरी, 1976 सहित; तथा

विज्ञप्ति संग्या एस0टी0-2–8447/दस—1(2) 75, दिनांक 1 अक्तूबर, 1975, शुद्धि-पत्र संख्या एस0 टी0-दो–10035/दस—1(2)-75, दिनांक 30 दिसम्बर, 1975 सहित, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-घ की उपधारा (8) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—

करीब-करीब 1 साल हो गया है, तब आपने रखा है। 10 महीने बीत गए, बहुत विलम्ब से रखा गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की —

(1) विज्ञप्ति संख्या एस0-टी0-2–4250/दस—10(2)-74, दिनांक 30 मई, 1975 को शुद्धि-पत्र संख्या एस0टी0-दो–10154/दस–10(2)-74, दिनांक 3 जनवरी, 1976 सहित, तथा

(2) विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2–10262/दस—4(5)-75, दिनांक 2 जनवरी, 1976, को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना†

न्याय मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 282/1-उ0प्र0-75, दिनांक 16 जनवरी, 1976, को, परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (2) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976†

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना सं0 2535-टी/तीस-4—65-के0एम0-75, दिनांक 27 फरवरी, 1976 द्वारा प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976, को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली, 1976†

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कृषि अनुभाग-4 की अधिसूचना सं0 1433/12-4-411(13)-76, दिनांक 2 मार्च, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली, 1976 को, उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा 45 की उपधारा (2) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध नियमावली, 1975†

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना सं0 5724 छत्तीस-स0क0-458-67, दिनांक 7 नवम्बर, 1975, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध नियमावली, 1975 को, उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 की धारा 31 की उपधारा (3) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976†

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय अनुभाग की अधिसूचना सं0 957-सं0/सत्रह-76-181-75, दिनांक 24 मार्च, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 को, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों को उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वर्ष 1976-77 का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र††

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र वर्ष 1976-77 (भाग प्रथम) तथा (द्वितीय भाग) को, इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 248 पर।)

उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 249 पर।)

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976, में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 250 पर।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976, में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 251 पर।)

धन्यवाद के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का आभार प्रदर्शन सम्बन्धी पत्र

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 22 मार्च, 1976 को विधान मन्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषणों के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19(8) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाता हूं —

प्रिय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 1976 के लिए जिसे आपने, उपाध्यक्ष ने तथा सदन के सचिव ने आकर मुझे भेंट किया, अनुग्रहीत हूं। मैंने विधान मन्डल

[श्री अध्यक्ष]

के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष जो अभिभाषण 22 मार्च, 1976 को दिया उसके प्रति विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान सभा की 27 मार्च, 1976 की बैठक में तद्विषयक प्रस्ताव स्वीकृत करके धन्यवाद की जो अभिव्यक्ति की है, उसे मैंने परम संतोषपूर्वक प्राप्त किया। उसमें निहित भावना के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं।

भवदीय,
म० चेन्ना रेड्डी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 7 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमायली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि भारतीय विद्युत् (उ0 प्र0 संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा 30 मार्च, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 7 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमायली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 1 अप्रल, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 8 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन तथा संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 1 अप्रल, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 8 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश

गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 8 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 8 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 8 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुन : अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञासे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 मार्च, 1976 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया है।

उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदव, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना)

विधेयक, 1976, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 मार्च, 1976 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुन: अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा —

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अप्रल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 10 अप्रैल, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अप्रैल, 1976 का प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 पर, जिसे

[सचिव, विधान सभा]

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 मार्च, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई, और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 मार्च, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अप्रैल, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

राजस्व राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने माननीय राज्य मन्त्री श्री वीर बहादुर सिंह के विरुद्ध इस आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना दी है

कि 2 अप्रैल, 1976 को नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर से सम्बन्धित श्री जंग बहादुर वर्मा के पूरक प्रश्न का उत्तर माननीय राज्य मन्त्री ने जानबूझ कर गलत दिया और सदन को गुमराह किया है और उसका अवमान किया है।

माननीय श्री जंग बहादुर वर्मा ने यह प्रश्न किया था कि जब सीलिंग की नोटिस दे दी गयी और वह जमीन सीलिंग से निकली तो उनको मुआवजा देने का क्या तात्पर्य था ? इस पर माननीय राज्य मन्त्री ने यह कहा था कि मुआवजा पहले भी दिया जा चुका है और उसके बाद सीलिंग की नोटिस दी गयी। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया है जिससे प्राग्दर्शन में यह प्रतीत हो सके कि माननीय राज्य मन्त्री ने जानबूझ कर गलत उत्तर दिया है। अत: इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न अन्तर्गस्त नहीं है और मैं इस विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

जालौन जिले के थानेदार श्री देव बहादुर सिंह गौतम के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना श्री मलखान सिंह की है। श्री मलखान सिंह, सदस्य, विधान सभा, जिला जालौन ने श्री देव बहादुर सिंह गौतम, थानेदार, पुलिस थाना जालौन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। श्री मलखान सिंह का कहना है कि जब वे पुलिस थाना जालौन के थानाध्यक्ष से दिनांक 12 अप्रैल, 1976 की रात्रि में लगभग आठ बजे माननीय गृह राज्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश के सभा मंच के स्थान तथा इस सम्बन्ध में अन्य बातें करने थाने पर गए तो बाहर गेट पर एक थानेदार , जिनका नाम श्री देव बहादुर सिंह गौतम बतलाया गया, उन्हें मिल गए। श्री मलखान सिंह ने उक्त थानेदार से यह पूछा कि क्या थानाध्यक्ष श्री शुक्ला जी हैं ? इस पर वे कुछ नाराज से हुए। श्री मलखान सिंह ने उन्हें अपना परिचय दिया और कहा कि शुक्ला जी से कुछ काम है। यह सुन कर वह बहुत चिढ़ गए और कहा कि "यहां तीन सौ साठ एम0एल0ए0 आते हैं, किस-किस को पहचानें, चले आते हैं, सर चाटने। एम0 एल0 ए0 गीरी विधान सभा में करना। यह विधान सभा नहीं ह, थाना ह, आप चले जायं।" माननीय सदस्य का कहना है कि इस प्रकार उन्हें प्रताड़ित करके श्री गौतम ने समस्त माननीय सदस्यों तथा माननीय सदन की घोर अवमानना की है।

जो तथ्य दिए गए हैं, उससे यह स्पष्ट है कि उनका सम्बन्ध माननीय सदस्य के सदन के किसी कार्य से नहीं है। अत: मैं इस विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं देता हूं। शासन ने अपने अधिकारियों को एसी हिदायतें दी हैं कि जब माननीय सदस्य किसी अधिकारी से मिलने जायं तो उस अधिकारी को माननीय सदस्य से सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए। ऐसी दशा में श्री गौतम के तथाकथित व्यवहर से सरकारी आदेशों की अवहेलना प्रतीत होती है। मैं शासन से कहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच करके उचित कार्यवाही करे।

श्री बी० एन० प्रकाश, अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

तीसरा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है जिसे माननीय सत्य प्रकाश मालवीय ने जेल से भेजा है। श्री सत्य-प्रकाश मालवीय, सदस्य, विधान सभा ने श्री बी0 एन0 प्रकाश, अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार भंग करने और उसका अवमान करने की सूचना दी है। श्री मालवीय का कहना है कि उन्होंने उक्त अधीक्षक को 31 मार्च, 1976 को प्रात: लगभग साढ़े नौ बजे अपने, श्री धीरेन्द्र सहाय व श्री राघवेन्द्र सिंह, विधायकगण के हस्ताक्षरों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 में एक संशोधन भेजा। किन्तु

[श्री अध्यक्ष---]

उक्त अधीक्षक ने उस संशोधन को सचिव, विधान सभा के पास नहीं भेजा, जिसके फलस्वरूप वह संशोधन विधान सभा की 1 अप्रैल, 1976 की कार्य-सूची में नहीं छपा।

श्री बी0 एन0 प्रकाश, अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ने माननीय श्री मालवीय की उक्त सूचना को अग्रसारित करते हुए यह लिखा है कि दिनांक 31 मार्च, 1976 को साढ़े नौ बजे प्रातः श्री मालवीय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 में एक संशोधन की सूचना अपने तथा माननीय श्री धीरेन्द्र सहाय व श्री राघवेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर से इस अनुरोध के साथ दी कि उसे तत्काल सचिव, विधान सभा के पास अग्रसारित कर दिया जाय। उनका कहना है कि उक्त संशोधन इसलिए अग्रसारित नहीं किया गया क्योंकि जेल मैनुअल के पैरा 692 के अन्तर्गत संयुक्त पत्र भेजने का प्राविधान नहीं है। अतः यह आपत्ति कर के उक्त संशोधन श्री मालवीय को तुरन्त वापस दे दिया गया था, जिसे उन्होंने पुनः उसी दिन सायं यह कहकर वापस किया था कि विधायक लोगों के संयुक्त संशोधन जाया करते हैं। इस पर उन्होंने उक्त सूचना को 1 अप्रैल, 1976 को अग्रसारित कर दिया। श्री बी0एन0 प्रकाश, अधीक्षक, आदर्श कारागार का यह कहना है कि श्री मालवीय का यह कथन कि जानबूझ कर कारागार अधीक्षक द्वारा माननीय विधायकों एवं सदन का अवमानना की गयी है, बिलकुल असत्य है।

श्री बी0 एन0 प्रकाश, अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ द्वारा 1 अप्रैल, 1976 को अग्रसारित संशोधन इस सचिवालय में 2 अप्रैल, 1976 को 3-50 बजे अपरान्ह को प्राप्त हुआ जब कि राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 पारित हो चुका था। अतः माननीय सर्वश्री सत्य प्रकाश मालवीय, धीरेन्द्र सहाय व राघवेन्द्र सिंह के संशोधन पर इस सचिवालय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 224 पर मद्रास उच्च न्यायालय के के0 आनन्दन नम्बियार के मामले में (ए0 आई0 आर0 1952, मद्रास 117) निर्णय तथा द्वितीय लोक सभा की विशेषाधिकार समिति के चौथे प्रतिवेदन, जो श्री कंसारी हलधर, संसद सदस्य के मामले से सम्बन्धित है, में निर्णयों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि हिरासत में रोके गये किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष, सचिव या किसी संसदीय समिति के सभापति के नाम लिखे पत्र को रोकना विशेषाधिकार भंग है जो हाउस आफ कामन्स में मि0 जिन्नेल का मामला (1908) तथा कैप्टन रैम्जेन का मामला (1939-40) हुआ था जिनको देखने से यह प्रतीत होता है कि ब्रिटेन में संसद के जो सदस्य हिरासत या जेल में होते हैं, उन्हें सम्बन्धित अधिकारियों ने हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष, संसदीय समितियों के सभापतियों से पत्र-व्यवहार करने की अनुमति दी है, लेकिन 1908 में हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष ने मि0 जिन्नेल के मामले में यह भी निर्णय दिया है कि ---

"इस प्रश्न पर उनका कोई निर्णय नहीं है कि हिरासत में रोका गया सदस्य अध्यक्ष के साथ किसी प्रकार का भी पत्र-व्यवहार कर सकता है यह प्रश्न जेल के अनुशासन का है और इसका निर्णय जेल के अधिकारियों को करना है।"

श्री जिन्नेल के मामले में ही आगे चल कर हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष ने इस प्रश्न का उत्तर कि क्या ऐसे सदस्य को संसदीय पत्रों को प्राप्त करने की अनुमति दी जाय अथवा उसे यह हक होगा कि वह कोई पत्र-व्यवहार कर सके, उपर्युक्त उत्तर देते हुए यह भी कहा कि ---

"The authorities of the prison in Ireland have no objection to the Hon. Member sending questions to the Table of the House, I have no objection to their appearing on the Paper, provided that it does not presuppose or necessitate the appearance of Hon. Member here. The House has been officially informed that the Hon. Member cannot be present in his place for some little time, and therefore, it will be carrying

things to an absurdity if his name appeared on the Paper and I should be asked to call upon him when it is known that he cannot be here to respond. But in other respects, as for as the chair is concerned, there is no objection to his enjoying the usual privileges."

(यदि आयरलैन्ड में जेल के अधिकारियों को माननीय सदस्य द्वारा सदन के पटल पर प्रश्न भेजने में कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे उनको सदन के पत्रों में सम्मिलित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, जब तक कि यहां माननीय सदस्य की उपस्थिति उसके कारण अपेक्षित या आवश्यक न हो जाय। सदन को सरकारी तौर पर यह सूचना दी गयी है कि माननीय सदस्य कुछ समय के लिए इस सदन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे और इसलिए यदि उनका नाम सदन के पत्रों में छपता है और मुझे, यह जानते हुए कि वे मेरे बुलाने पर उसका उत्तर न दे सकेंगे, मेरे द्वारा उनका नाम पुकारा जाना एक निरर्थक स्थिति का द्योतक होगा, लेकिन अन्य मामलों में जहां तक अध्यक्ष पीठ का सम्बन्ध है उक्त सदस्य द्वारा सामान्य विशेषाधिकार का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है।)

तो यह हाउस आफ कामन्स के स्पीकर साहब की राय मैंने आपके सम्मुख रखी। जहां तक इस मामले का प्रश्न है, माननीय सदस्य श्री सत्य प्रकश मालवीय आदि सदस्यों द्वारा विधेयक में संशोधन की दी गयी सूचना को रोका नहीं गया है, बल्कि विलम्ब से भेजा गया है विलम्ब से न भेजा गया होता तो उनको मिल जाता। यदि उनको अधिकार हो तो उन्हें सुविधा प्रदान की जाय। अधीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें किसी के अधिकार को समझना चाहिए। आवेदन देना, किसी व्यक्ति द्वारा क्षोभ या दुख प्रकट करना या विधान सभा के अधिकार के अन्तर्गत कुछ संशोधन पेश करना, इनके बारे में उन्हें मालूम होना चाहिए। लेकिन इस अपेक्षा से अधीक्षक अवगत नहीं था। इसलिए विलम्ब से भेजा गया। जहां तक विलम्ब से भेजने का सवाल ह कोई उदाहरण अब तक नहीं है जिसमें कि जेल में निरुद्ध किसी बन्दी द्वारा अध्यक्ष, सचिव आदि को सम्बोधित पत्र-व्यवहार को विलम्ब से भेजने के आधार पर विशेषाधिकार भंग माना गया हो, बल्कि उसके विपरीत हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष का जो 1908 में मि0 जिन्नेल के मामले में निर्णय है और जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उसको देखते हुए तो इस प्रकार विलम्ब से भेजे जाने में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता क्योंकि जो सदस्य जेल में बन्दी है और जिसकी सूचना सदन को दी जा चुकी है, यह एक वास्तविकता है कि वह सदस्य अपना संशोधन सदन में प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित नहीं हो सकते और उनके संशोधन को वैसे भी कार्यसूची में सम्मिलित करके उनका नाम पुकारा जाना, जबकि वह सदन में उपस्थित नहीं है, एक निरर्थक श्रम है। इन इक्सरसाइज आफ अटर अनयूटिलिटी। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इस कारण से भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता।

विलम्ब से भेजने के सम्बन्ध में आदर्श कारागार, लखनऊ के अधीक्षक, श्री बी0 एन0 प्रकाश ने जो अपना स्पष्टीकरण दिया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जल मैनुअल के पैरा 692 के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी बन्दी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र-व्यवहार की मनाही होने तथा सदन की प्रक्रिया एवं विशेषाधिकार की पूरी जानकारी न होने के कारण कुछ विलम्ब हुआ। यह शायद इसलिये है कि द्वितीय लोक सभा के पूर्वोक्त चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार मद्रास सिक्यूरिटी प्रिजनर्स रूल्स, 1950 के नियम 11(4) की भांति कोई उपबन्ध शासन द्वारा यहां पर नहीं किया गया है। यदि इस प्रकार का उपबन्ध होता तो संभवत: भ्रम के कारण जो विलम्ब हुआ है, वह न होता। मैं समझता हूं कि यह अपनी किस्म का पहला मामला ह और चूंकि इस प्रकार के विलम्ब से विशषाधिकार की अवहेलना होने के कोई दृष्टान्त भी नहीं मिलते, अत: इसे संज्ञान में न लेना ही सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुरूप होगा।

[श्री अध्यक्ष]

उपर्युक्त स्थिति में मैं इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की इजाजत तो नहीं देता, परन्तु यह अवश्य कहना चाहूंगा कि जब शासन सदन के किसी सदस्य को जेल में बन्दी या निरुद्ध रखे तो उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि ऐसे निरुद्ध या बन्दी सदस्यों के सदन से सम्बन्धित अनुमत अधिकारों या कर्त्तव्यों में, किसी भी प्रकार की रुकावट न हो। ऐसा प्रतीत होता है कि शासन ने सदन के सदस्यों को बन्दी या निरुद्ध तो किया, परन्तु इस प्रकार के कोई निर्देश या आदेश नहीं जारी किए हैं जिससे कि सदस्यों के सदन सम्बन्धी कर्तव्यों में, जो विशेषाधिकार से सुरक्षित हों, कोई बाधा न पहुंचे। ऐसी स्थिति में यह उचित प्रतीत नहीं होता। मैं शासन से यह अपेक्षा करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा जेल मैनुअल में आवश्यक संशोधन करके द्वितीय लोक सभा के पूर्वोक्त चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी सिफारिश के अनुसार उपबन्ध करने की कार्यवाही तुरन्त करे।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर) —

अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सभापति की हैसियत से उक्त समिति (1975-76) का तृतीय प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के विषय पर है, प्रस्तुत करता हूं।

समिति द्वारा जारी की गई सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धित प्रश्नावली के सन्दर्भ में सिंचाई विभाग के विभिन्न मातहत कार्यालयों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं पर दिनांक 7, 8, 17 तथा 18 जुलाई, 1975 की बैठकों में समिति द्वारा विचार किया गया। समिति ने विभाग के बारे में संकलित सूचना मांगी। इस पर समिति ने दिनांक 2, 3 सितम्बर तथा 10 अक्तूबर, 1975 की बठकों में विचार किया और सचिव, सिंचाई विभाग की अनुपस्थिति में समिति ने विभाग के संयुक्त सचिव, श्री के0 पी0 बहादुर का साक्ष्य लिया। दिनांक 27 नवम्बर, 1975 की बैठक में समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे कुछ संशोधन करने के उपरान्त अंगीकृत किया।

समिति को खेद है कि विभाग से श्रेणी 1 के पदों में नियुक्त अनुसूचित जातियों के दो अधिकारियों के सम्बन्ध में तथा श्रेणी 3 तथा 4 के पदों में दिनांक 1 अप्रैल, 1974 को वास्तविक रूप में कार्यरत कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या के बारे में जो सूचना विभाग से मांगी गयी थी वह प्रतिवेदन तैयार करते समय तक समिति को उपलब्ध नहीं कराई गयी।

समिति सचिव, विधान सभा, सम्बन्धित अनुसचिव, विधान सभा, समिति अधिकारी व कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करती है जिन्होंने समिति के कार्य में इस प्रतिवेदन को तैयार करने में योगदान दिया।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

नियम 315 के खंड (14) व (15) के अन्तर्गत मुझे घोषणा करनी है। नियम 225 के अन्तर्गत मैं सूचना देता हूं कि कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपने 6 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में यह संस्तुति की है कि 27 अप्रैल, 1976 से 30 अप्रैल, 1976 तक आवश्यकतानुसार वर्ष 1976–77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहे।

---

†छापा नहीं गया।

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश, जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मुझे एक माननीय सदस्य के दल परिवर्तन के बारे में देनी है।

डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप जो कि निर्दल थे, इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार कर ली है। यह कांग्रेस में हो गए हैं।

सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

विभिन्न दलों की सम्पूर्ण संख्या इस समय इस प्रकार है:—

कांग्रेस—237
लोकपक्ष—148
कम्युनिस्ट—16
कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी)—2
सोशलिस्ट—1
मुस्लिम लीग—1
हिन्दू महासभा—1
शोषित समाज दल—1
निर्दल—12
नाम निर्देशित—1
रिक्त पद—5
असम्बद्ध—1

30 मार्च, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का शोधन वक्तव्य

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि 30 मार्च को माननीय मन्त्री जी ने इसका शोधन वक्तव्य दे दिया था, आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ दीजिए।

श्री चेतराम गंगवार—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30 मार्च, 1976 को श्री कमला प्रसाद वर्मा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 16 के सम्बन्ध में श्री कमला प्रसाद वर्मा ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि यह सही है, लेकिन मझगवां के कुछ व्यक्तियों ने मुझे बताया है कि वहां पर लाखों रुपए का गबन हुआ है उसकी सूचना पुलिस को दी गई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस थाने में मझगवां का बीज गोदाम पडता है, वहां पर से भी जानकारी कराई गई है या नहीं?

[श्री चेतराम गंगवार]

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, प्रश्न जिस प्रकार का था कि 90 हजार रुपए के गबन की रिपोर्ट कराई, वह तो सही नहीं है। लेकिन जिस बीज गोदाम इंचार्ज के खिलाफ दिसम्बर, 1974 में कुछ व्यक्तियों ने शिकायतें कीं, जिसकी जांच कराई गई, जांच कराने के बाद प्रशासनिक आधार पर उसका तबादला कर दिया गया। तब उसकी जांच आडिट भी करा ली गई। आडिट के बाद जो बात प्रकाश में आई तो 5 आदमियों को निलम्बित कर दिया गया।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार है—मान्यवर, प्रश्न जिस प्रकार का था कि 90 हजार रुपए के गबन की रिपोर्ट कराई, वह तो सही नहीं है। लेकिन जिस बीज गोदाम इंचार्ज के खिलाफ, दिसम्बर, 1974 में कुछ व्यक्तियों ने शिकायतें कीं, जिसकी जांच कराई गई, जांच कराने के पूर्व ही प्रशासनिक आधार पर उसका तबादला कर दिया गया। तब उसकी जांच आडिट भी करा ली गयी। आडिट के बाद जो बात प्रकाश में आई तो सीड स्टोर इंचार्ज को निलम्बित कर दिया गया।

2—श्री कमला प्रसाद वर्मा ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो कुछ व्यक्तियों ने शिकायत की थी, वह क्या थी ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, जो तथ्य प्रकाश में आये हैं, शिकायत तो बहुत लम्बी है लेकिन जो तथ्य आडिट रिपोर्ट से आये हैं और जो 4 व्यक्ति निलम्बित हुए हैं, उसमें ग्राम सभा का प्रधान जिसमें उन्होंने चन्द फर्जी आदमियों के नाम से बीज लिया हुआ है और आडिट रिपोर्ट के हिसाब में बिना परमिट के उर्वरक बेचना, प्रति सप्ताह नकद बिक्री को कोषागार में जमा न करना, भुगतान के वाउचर समय से जमा न करना, दो हजार के स्टाक को आगे न ले जाना, 17 बोरी यूरिया का कम पाया जाना, प्रोसेशन हेतु 340 रुपए के अनियमित बिल इश्यू करना और 1973–1974 के पृथक सत्यापन में उर्वरक की कमी होना आदि।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार है—मान्यवर, जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, शिकायत तो बहुत लम्बी है, लेकिन जो तथ्य आडिट रिपोर्ट में आए हैं उनके अनुसार बिना परमिट के उर्वरक बेचना, प्रति सप्ताह नकद बिक्री को कोषागार में जमा न करना, भुगतान के वाउचर समय से जमा न करना, दो हजार तीन सौ चौवन के स्टाक को आगे न ले जाना, 17 बोरी यूरिया कम पाया जाना, प्रदर्शन हेतु 340 रुपए के अनियमित बिल ईश्यू करना और 1973-74 के मौलिक सत्यापन में उर्वरक की कमी होना आदि।

3—श्री कमला प्रसाद वर्मा ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या माननीय मन्त्री जी यह बतावेंगे कि जब यह बात सिद्ध हो रही है कि 2,354 रुपये की इस प्रकार से कमी पायी गयी जिसे कहीं पर जमा नहीं किया गया, तो उसकी सारी बातों को ध्यान में रखकर क्या धारा 409 ताजी रात हिन्द के अन्तर्गत गबन की कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, दिनांक 19 अप्रैल, 1975 को रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी, दो आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच खत्म नहीं हुई है। विभागीय जांच हो गयी है। चार्जशीट दे दी गयी है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार है—मान्यवर, दिनांक 19 अप्रैल, 1975 को सीड स्टोर इन्चार्ज के विरुद्ध उक्त भन्डार के राजकीय अभिलेख सहित फरार होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी।

4—श्री हरीश कुमार गंगवार ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि ल कितने रुपये का वह गबन की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि आडिट रिपोर्ट के आधार पर जितनी अनियमिततायें नजर आई, वह 9 हजार रुपये की हैं।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार है—आडिट रिपोर्ट के आधार पर जितनी अनियमिततायें नजर आईं, वह 5,944.60 रुपये की है।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 252 पर।)

किंग एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्श दात्री समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभु नारायण)—

मान्यवर, मैं, आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, किंग एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष :—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, किंग एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश द, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिए इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खन्ड (झ) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिये इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 253–259 पर।)

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 260–270 पर।)

1976-77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, बजट के ऊपर सामान्य चर्चा चल रही थी। दो दिन तक उस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। मान्यवर, बजट जो होता है वह प्रदेश के बारे में और जनता के बारे में शीशा का काम करता है। जब हम इस बजट को देखते हैं और प्रदेश के अन्दर जो समस्यायें हैं उनको देखते ह तो ऐसा लगता है कि सही माने में हम, समस्यायें कहें उनकी पकड़ से काफी दूर हैं। श्रीमन्, सर्वप्रथम मैं आपकी आज्ञा से यह बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी समस्या प्रदेश की है, वह मूल्यों की है। हमारे गोविन्द सिंह जी बोल रहे थे तो कुछ सदस्यों ने कहा कि लोहे के दाम गिर गए हैं और कुछ अन्य चीजों के दाम गिर गए हैं लेकिन आप देखेंगे कि कृषि वस्तुयें जो किसान पदा करता है, उसके अनुपात में औद्योगिक जो वस्तुयें ह उनके मूल्यों में कितनी गिरावट आयी है इसका अगर अध्ययन किया जाए तो श्रीमन्, आप इस नतीजे पर पहुचेंगे कि मूल्यों में जो स्थिरता, जो संतुलन होना चाहिये, वह नहीं ह। आज किसानों की हालत श्रीमन्, बहुत ही खराब है। खराब इस माने में है कि खाद की कीमत बहुत ज्यादा है। पिछले साल दो गुनी कर दी गयी, बहुत कोशिश करने के बाद 5 रुपए, 10 रुपए बोरी 2 बार में, 2 किस्तों में भारत सरकार न कम किया ह। बिजली का श्रीमन्, पिछले साल रेट बहुत ज्यादा कर दिया गया है। 15 रुपए प्रति हार्स पावर कर दिया गया है जब कि सरकार से यह मांग की गयी कि यह रेट बहुत ज्यादा है, इसको कम किया जाए। यहां पर जब रेट बढ़ाया जा रहा था, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया था और मांग की थी कि यह रेट बहुत ज्यादा है, इसको 10 रुपए प्रति हार्सपावर किया जाय तब भी यह महंगी

†6 अप्रैल, 1976 की कार्यवाही से।

पड़ती, लेकिन फिर भी किसानों को सन्तोष तो होता। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और नतीजा यह हुआ है कि प्रदेश में हजारों-हजारों कनेक्शन चाहें वह पश्चिम के हों, चाहें पूर्व के, कट गए हैं। आज भी बिजली के भुगतान में किसानों को कष्ट हो रहा है।

श्रीमन्, इसी के साथ-साथ आप देखें कि जो विकास-कर किसानों पर लगाया गया था उसको पिछले साल दुगना कर दिया गया है। हाल ही में नहरों पर जो सिंचाई का रेट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। आज नहर से सिंचाई करने वाले किसान बहुत ही परेशान हैं क्योंकि उसके रेट बढ़ गए हैं। आपको याद होगा कि कड़ुआ तेल पिछले साल 12 रुपए किलो और 11 रुपये किलो बिक रहा था और इस वर्ष 5 रुपए, 5.50 रुपए बिक रहा है। आलू की जो दुर्दशा हो रही है वह आपको मालूम ही है, सरकार ने उसको खरीदना शुरू किया लेकिन जब भाव बढ़ गए तो उसकी खरीद बन्द कर दी और दूसरी तरफ सीमेन्ट का भाव बढ़ गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह जो कहते हैं कि लोहे के दाम कम हो गए हैं, पहले सीमेन्ट 17-18 रुपए में प्रति बोरी के हिसाब से मिल जाता था लेकिन पिछले साल आपने 2 बार बढ़ा कर उसे 20 रुपया प्रति बोरी कर दिया है। यही हाल कृषि के उपयोग में आने वाले संयंत्रों की कीमत का है। थ्रेशर्स के दाम बढ़ गए हैं और ट्रैक्टर के दाम तो 10 हजार रुपए से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, इसी बीच में। जहां तक पम्पिंग सेट्स, मशीनों और बीज का सम्बन्ध है, इनके भी दाम बहुत बढ़ गए हैं। इस साल में पन्तनगर का जो बीज पूर्वी जिलों को दिया गया यदि आप उसकी जांच कराएं तो पाएंगे कि उसमें कम से कम 10 प्रतिशत बीज खराब था और उसमें से काली बालें निकली। दूसरे यह 220-230 रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से दिया गया। यह तो सही है कि सरकार ने सरकारी दुकानों पर कुछ मोटे कपड़े का प्रबन्ध कर दिया है लेकिन किसान की पैदावार के दाम के अनुपात नें उसका दाम भी बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से जब हम सब चीजों को देखते हैं तो कहना पड़ता है कि मूल्यों को स्थिर करने में, उनका संतुलन बनाए रखने में सरकार फेल हुई है। श्रीमन्, यह इतना बड़ा सवाल है मूल्यों का, जिससे हर उपभोक्ता, जो औद्योगिक वस्तुयें खरीदता है, परेशान होता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि औद्योगिक वस्तुओं के दामों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने क्या-क्या कदम उठाए हैं।

आज प्रदेश के लाखों किसान दुखी हैं। गन्ना किसानों के लिए न इस वर्ष और न इसके पहले ही इस तरह की बातें हुई हैं और न देखने में ही आई हैं। बिना भाव तय किए किसानों का गन्ना मिलों पर ले लिया गया और जब दाम तय किए गए तो किसानों का 40 करोड़ से ज्यादा रुपया चीनी मिल मालिकों पर बकाया पड़ गया। आप आए दिन सुनते हैं इस साल का और पिछले वर्ष का करोड़ों रुपया आज चीनी मिल मालिकों पर बकाया पड़ा हुआ है। सरकार कहती है कि मय सूद के, मय ब्याज के वह रकम किसानों को दिलावेगी लकिन अगर वह रकम 10 या 20 साल के बाद मिलती है तो किसानों को कोई खास फायदा नहीं होगा। तो यह बहुत ही अहम सवाल प्रदेश के सामने है और प्रदेश के किसानों के सामने हैं। सरकार कहती है कि हम 3 चीजों को प्राथमिकता देंगे, बिजली, सिंचाई और कृषि। कृषि की तो यह हालत है और बिजली की हालत यह है कि एक तरफ कनेक्शन कट रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों लोग आज कनेक्शन के लिए विद्युत् परिषद् के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मैंने प्रश्न किया था कि बनारस में कितने कनेक्शन मंजूर हुए और कितने दिनों में एग्रीमेंट मंसूख हो गया था और कितने लोगों ने बी0 एल0 फार्म जमा कर दिए हैं तो मालूम हुआ कि 400 से ज्यादा लोगों ने एक साल पहले एग्रीमेंट कर दिया, बी0 एल0 फार्म भर दिए। आज यह हालत बनारस जिले की है जबकि पश्चिमी जिलों से वहां किसान पिछड़े हुए हैं। यही हालत पूरे प्रदेश के किसानों की है। क्या यही ध्यान है बिजली की तरफ? आज उसमें करोड़ों-करोड़ों रुपए का लास हो रहा है। विद्युत् परिषद्, जो निगम है, केवल ढोंग है। इसकी इस तरह की कार्यवाही से प्रदेश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। विद्युत् परिषद् के अधिकारी और कर्मचारी आज बेलगाम घूम रहे हैं। करोड़ों रुपए का डैमरेज पड़ रहा है। यह विद्युत्

[श्री ऊदल]

परिषद् जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों-करोड़ों रुपया पानी की तरह से बरबाद कर रही ह। आज सूबे भर में लाखों सीमेन्ट के ढले हुए खम्भे सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं और हजारों टूटे हुए हैं, मैं दिखा सकता हूं। आज खुली बरसात में सुल्तानपुर में दो ढाई सौ ट्रान्सफारमर पड़े हुए हैं जिनके लिए कोई शेड नहीं है, रखने की जगह नहीं है, मोरचा खा रहे हैं। सूबे भर में हजारों ट्रान्सफारमर बेकार पड़े हुए हैं, उनकी मरम्मत और रख-रखाव का कोई इन्तजाम नहीं है? मैंने सवाल किया कि सिर्फ बनारस में विद्युत् परिषद् का जो सामान आया वह महीनों स्टेशन पर पड़ा रह गया। हजारों हजार रुपए का डमरेज का देना पड़ा। यही हालत और निगमों की है।

ट्रान्सपोर्ट की क्या हालत है? जहां जाइए, न इन्जन है, न टायर। कहावत है कि राजा को पता नहीं और मुसहरों ने बन बांट लिया। इस लूट से इन निगम वालों को साफ जाहिर है कि प्रदेश की जनता से कोई भी मुहब्बत नहीं है। ये लूट करके खा रहे हैं। आगे भी बहुत से निगम बनने वाले हैं, इस ओर ध्यान देना जरूरी है। कृषि में बीज नहीं पहुंचता, पानी की जो हालत ह वह सबको मालूम है। इन विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सिंचाई की हालत देखें, माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं, हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि हमारे जिले में एक सहायक इन्जीनियर थे बी0 बी0 सिंह, रिग्स के थे। उनको ट्यूबवेल बोरिंग करने के लिए तीन रिग्स मशीन दी गयीं थीं। एक मशीन की कीमत 6 लाख रुपए की होती है। उन्होंने उनके स्पेयर रिपेयर का खर्चा करीब डेढ़ साल में साढ़े 17 लाख दिखाया। 18 लाख में तीन नयी रिंग मशीन आ जाएंगी और मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं। कि माननीय बहुगुणा जी के वक्त से आपकी कैबिनेट के मिनिस्टर तक ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और विधायको ने दबाब डाल कर उनको सस्पेंड नहीं होने दिया। सदन में इस सम्बन्ध में किए गए सवालों को भी लटका कर रखा गया।

इसी तरह गाजीपुर ट्यूबवेल सिंचाई विभाग में एक इन्जीनियर ने जिसके पास 4 जीपें और दो ट्रकें थीं उनके स्पेयर पार्ट्स खरीदने में 18 लाख रुपये 1 1 2 वर्ष में खर्च कर दिए, यह जवाब असेम्बली में महमूद अली खां साहब ने दिया। अकेले वाराणसी डिवीजन में 10 करोड़ रुपए का गबन है। एक इन्जीनियर साहब थे जिनके हाथ में ट्यूबवेल विभाग था, लिफ्ट सिंचाई विभाग था और रिंग विभाग था। उन्होंने रिटायर होने के बाद 1 करोड़ 80 लाख का वर्क आर्डर बैक डेट में किया। तो यह आपका कुशल और स्वच्छ प्रशासन है। वाराणसी का एक सवाल था। एक बी0 डी0 आई0, बफर गोडाउन के इन्स्पेक्टर ने 14 लाख का गबन किया। अकेले बनारस में 6 लाख का गबन किया।

फैजाबाद में 18 लाख से ज्यादा खाद का गबन किया गया। राष्ट्रपति रिजीम में सन् 1972-73 में यह मामला पार्लियामेंट में उठा था। जब खाद की कीमत बढ़ी, तो सरकारी आदेशों के बावजूद भी सीड स्टोर वालों ने खाद पुराने दामों पर नहीं दी। आज ही माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने एक सीड स्टोर का हवाला दिया था। तो यह है आपके कुशल प्रशासन का नमूना।

शिक्षा की ओर अगर आप देखें तो वह उद्देश्य विहीन हो गयी है। आप आज हिप्पी पैदा कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। फैजाबाद से शाहगंज एक ट्रेन जाती है, उसमें मैंने देखा जगह-जगह हिप्पी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढ़ जाते थे। आज जगह-जगह मन्दिरों के पास हिप्पी मिलेंगे। हजरतगंज में ही हनुमान मन्दिर के सामने मिल जायेंगे। आखिर आप देश को किधर ले जा रहे हैं। चेन पुलिंग की घटनायें इतनी बढ़ गयीं थीं कि जहां चाहते थे, चेन खींच ली जाती थी। ट्रेनों में डकैतियां आज इमरजेन्सी के समय में इतनी बढ़ गयी हैं कि देख कर हैरत होती है। पहले साल में एक दो घटनायें हो जाती थीं ट्रेन में डकैती की, आज तमाम हो रही हैं,। अभी हमारे सूबे में 7-7 डकैतियां ट्रेनों में पड़ीं। दिन पर दिन यह बढ़ रही हैं। इस इमरजेन्सी में यह हो रही है, आखिर देश कहां जा रहा है?

देहात में ल कियों की शिक्षा नहीं के बराबर है। आज 28 वर्ष के बाद भी उनका प्रतिशत 8-9 है। बहराइच में 4 प्रति त है, बनारस में 8 है, बांदा में तो 1 प्रतिशत भी नहीं है। आखिर आप कर क्या रहे हैं ? इतने लाख विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा में बैठे, खाली यह छप जाने से ही क्या आप सन्तोष कर लेते हैं कि शिक्षा बढ़ रही है ? 10 करो का आपका सूबा है, दुनिया के देशों में इसका नम्बर 8वां या 7वां है, आखिर इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? परीक्षा में इतने विद्यार्थी बैठे, खाली यही देख कर क्या आप सन्तोष कर लेंगे? बाहर वाले भी देखकर यह सन्तोष कर लेंगे कि वाकई हिन्दुस्तान में ब ी तरक्की हो रही है कि इतने विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं, मगर वास्तविकता क्या है ? स्कूलों की हालत यह है कि वहां बच्चों के बैठने के लिए टाट-पट्टी तक नहीं है। बचपन में जब हम प ढ़ा करते थे तो स्कूलों में कम से कम 2-3 कुर्सी, एक मेज तथा टाट-पट्टी होती थीं। आज तो हम देखते हैं कि मास्टर के बैठने तक के लिए कुर्सी नहीं होती। वह मैदान में चबूतरा आदि बना कर जमीन में बैठते हैं। किसी स्कूल की छत गिरी है तो किसी स्कूल की दीवार गिरी है और इस तरह से हजारों की संख्या में खंडहर है, जहां प ढ़ाई होती है। पेड़ों के नीचे पढ़ाई हो रही है। टाट-पट्टी नहीं है, मास्टरों के बैठने के लिए न तो कुर्सी मेज है और न ल कों को पानी पीने के लिए लोटा व बाल्टी है।

अभी पिछले ही साल चर्चा हुई थी कि उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी क्या मैं पूछ सकता हूं कि अब तक कितनी नियुक्तियां हुई हैं ? कितनी प्रगति हुई है ? जो कुछ प्रगति हुई भी कुछ चन्द शहरों में ही, गांवों में कहीं भी उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है। जो भी शिक्षा दी जाय वह रोजगारपरक और अनुशासन की शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन यहां तो अनुशासन को तोड़ने की शिक्षा दी जा रही है। आचार्य विनोवा जी ने आपातस्थित को अनुशासन पर्व कहा है और उसे पोस्टरों में लिख कर जहां-तहां लगा दिया गया है। लेकिन देखना यह है कि अनुशासन कहीं लागू भी है ? लागू नहीं है। यह तो डर है जिसकी वजह के यह सब निभ रहा है। आपात कालीन स्थिति के हाथ से निकलने के बाद फिर पछताना ही हाथ लगेगा। इसको जहां तहां लिखने से काम चलने वाला नहीं है। अनुशासन पर्व तो अनुशासन को कड़ाई से खुद पालन करने और कराने में है। इसके लिए देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए। मैं रूमानिया, रूस और जर्मनी में गया हूं। वहां पर मैंने देखा है कि बच्चों को जन्म से ही अनुशासन और देशभक्ति की शिक्षा दी जाती है। अनुशासन की शिक्षा केवल पोस्टर लगाने से कभी भी नहीं हो सकती। देशभक्ति और अनुशासन को शिक्षा का एक अंग बनाना चाहिए। शुरू के प्राइमरी स्कूल से लेकर जब तक बच्चों को देशभक्ति और अनुशासन की शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक केवल भाषण और लेक्चर देने से या पोस्टर टांगने से यह काम चलने वाला नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगारपरक हो जो लोगों को रोजगार दे सके और बेकारी न पैदा कर सके। आज तो करोड़ों-करोड़ों की संख्या में लोग ऊंची से ऊंची शिक्षा लेकर नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। मान ीय लोकपति जी एक जगह मीटिंग में गए थे, वहां के ब्लाक प्रमुख ने भाषण किया कि इस तरह से वेकारी बढ़ेगी तो पढ़े लिखे लोग डाका न डालेंगे, चोरी न करेंगे और लूटपाट न करेंगे तो और क्या करेंगे। उनका भाषण तो बहुत बुरा था लेकिन हम लोगों को इस पर गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिए। आज के साइंस युग में इस दुनिया में साइंस की शिक्षा दी जा रही है अकेले रूस में 98 प्रतिशत लोगों को साइंस की शिक्षा दी जाती है। बिना साइंस की शिक्षा के, बिना देशभक्ति की शिक्षा के, कोई भी देश न तो बन सका है और न बन सकेगा। इस पर आप बहुत गम्भीरता से सोचें और समय रहते इस समस्या का समाधान होना चाहिए।

श्रीमन्, इसी के साथ-साथ मैं ला-एन्ड आर्डर की जो आज समस्या है, उस पर कहना चाहता हूं। आज ला-एन्ड आर्डर की समस्या बड़ी जटिल है। इमरजेन्सी का आज से पहले के दिनों में बहुत अच्छा असर पड़ा था लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतते जा रहे हैं त्यों-त्यों हालत गम्भीर होती जा रही है। ब े पैमाने पर डकैतियां हो रही हैं। अभी तहसील

[श्री ऊदल]

कानपुर में एक हफ्ते में अन्दर 4-5 डकैतियां हुयीं। लुटेरे धूम रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं, राहजनी हो रही है, डाके पड़ रहे हैं और कत्ल हो रहे हैं। इस तरफ सरकार को सोचना चाहिए। अगर आपातकालीन स्थिति में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और आगे के लिए कोई रास्ता न बनाया गया तो शान्ति और अमन कायम नहीं रह सकेगा। लोगों की जिन्दगी सुरक्षित नहीं रह सकती। आज तो ला-एन्ड आर्डर की समस्या बहुत खराब है।

मान्यवर, कचहरियों की क्या हालत है? हालत बहुत ही खराब है। लाखों-लाखों मुकदमें, श्रीमन्, आज 10-10 साल से पड़े हुए हैं। जुडीशियल अफसर बढ़ रहे हैं। जज बढ़ रहे हैं लेकिन निपटारा मुकदमों का नहीं हो रहा है। आखिर क्या होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं? बहुत पहले जब हम भ्रष्टाचार और ला-एन्ड आर्डर की बात करते थे तो बाबू सम्पूर्णानन्द जी कानों में उंगली डाल करके कहते थे कि यह सुनते-सुनते कान पक गए हैं। यों मान्यवर, सन् 1957 की बात कह रहा हूं और आज भ्रष्टाचार 10 गुना, 20 गुना बढ़ गया है तो कान नहीं पक रहा है किसी का। सब हो रहा है और सबको दिखायी दे रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इन समस्याओं पर सोचना चाहिए। कचहरियों की हालत बहुत दयनीय है। अभी हाल ही में स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गयी। रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी गयी, तो सरकार को मुकदमों की ओर देखना चाहिए कि कैसे इनका निपटारा होगा और कैसे सस्ता न्याय मिलेगा? इस तरफ सोचना चाहिए। जनता को कचहरियों में जाकर परेशान न होना पड़े और न्याय भी सस्ता मिले इसके ऊपर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, जमीन के बंटवारे का सवाल है। अभी मैं बनारस गया था। बड़े आंकड़े मिले हैं। 10 लाख, 20 लाख लोगों को, हरिजनों को जमीन दे दी गयी है आवास के लिए और खेती के लिए भी बंटवारा हो गया है। ग्राम समाज की जमीन बांटी जा रही थी, बड़े जोरों से बंटवारा हो रहा था। तमाम तहसीलदार, परगनाधिकारी, कलेक्टर साहब और हमारे मिनिस्टर साहब भी जहां-कहीं देखो पट्टे दे रहे थे। 6 मार्च, 1976 को आदेश जारी हो गया कि जमीन न बांटी जाय। मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में प्रधान मन्त्री ने कहा था कि जो सार्वजनिक उपयोग की जमीन है उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने उसका अर्थ यह लगाया कि सार्वजनिक उपयोग में यह ग्राम सभा की सब जमीन है। प्रधान मन्त्री जी ने कह दिया तो मुख्य मन्त्री जी को जरा जल्दी हुयी और कामों में जल्दी नहीं है। आजकल तो मुख्य मन्त्री को फुरसत नहीं है कि जवाब दें। चिट्ठी का जवाब नहीं मिलता है। मैं तो समझता था कि, तारीफ की बात नहीं है, आप जैसे कार्यकर्ता जिसके साथ 20-25 वर्ष साथ रहकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता था कि आप सचमुच बहुत मेहनत से काम को करेंगे। लेकिन आपको फुरसत नहीं है कि चिट्ठी का जवाब दें। आपके, पी0 ए0 जवाब दे रहे हैं, माननीय सदस्यों की चिट्ठी का। पहले जब आप वित्त मन्त्री थे, उद्योग मन्त्री थे, आप खुद लिखते थे। लेकिन आज चिट्ठी लिखने की फुरसत नहीं है।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

हमारी मोहसिना किदवाई साहब के यहां से छपा हुआ कार्ड दे दिया जाता है जो कि बड़े शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि इतिहास में जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शासन हुआ है तबसे इससे लज्जाजनक बात आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। कैबिनेट मन्त्री जिसकी ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिल्टी होती है और आज ही शोक प्रस्ताव पेश करने के लिए अध्यक्ष महोदय, के आदेश के बाद भी कोई मन्त्री शोक प्रस्ताव पेश नहीं कर सका तो मुझे कहना पड़ा कि स्थगित कर दें। यह बड़े लज्जा और शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज जो जीत हुई है वह बहुत ही लज्जा की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कृपा करके यदि चिट्ठी का जवाब देना चाहते हैं आपके मिनिस्टर साहब, तो

आप हमको बतला दें। मैं आपको पत्र लिखने वाला था यदि आप हमें बतला देंगे तो नहीं लिखेंगे। आपको इसको बताना प ेगा कि आप पत्र का जवाब स्वयं देंगे कि नहीं? आप स्वयं भी चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं इसलिए इसको तो बताना ही प ेगा। किसी भी चीफ मिनिस्टर ने, सेन्ट्रल के सभी मिनिस्टर और पं0 कमलापति त्रिपाठी तक जिनके साथ 10 वर्षों तक काम करने का सौभाग्य मिला है, उनके पी0 ए0 जो हैं, कभी चिट्ठी का जवाब नहीं देते वह स्वयं देते हैं और प्रधान मन्त्री की चिट्ठी आती है। आपके मिनिस्टर और आप खुद इस तरह का व्यवहार इस माननीय सदन के सदस्यों के साथ करें तो यह दुख का विषय है और अपमानजनक बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर गौर करें और दोस्त की हैसियत से आप सोचें। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी आपके काम का समर्थन करती है यहां तक कि बुरे काम का भी और वोट आपको देती है क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके अलावा देश को बचाने के लिए और कोई तरीका नहीं है। आप गम्भीरतापूर्वक सोचें यदि नहीं सोचेंगे तो इसके दुष्परिणाम आपको और हमको भुगतने पड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिक्रियावादी समाजवादी जब शासन पर कब्जा कर लेते हैं तो किस तरह का अत्याचार करते हैं। बूखनवायड एक जगह है वहां हमारे नेता को मार डाला। जब साम्राज्यवादी शक्तियां शासन को सम्भालती हैं तो जितने प्रगतिशील लोग हैं और प्रजातन्त्र के रक्षक हैं उनका कत्लेआम करवाती हैं। हिटलर ने मनुष्यों की खाल तक उधड़वा लिया था। बूखनवायड में जिस आदमी को दुश्मन समझा जाता था उसको जिन्दा शेर के हवाले किया जाता था। सिर और टांग ऊपर करके पिटाई होती थी। जिन्दे इनसान को बिजली की भट्टियों में झोंक कर जिन्दा जला दिया जाता था। क्या आप समझते हैं कि ऐसी शक्तियां, हिन्दुस्तान में खत्म हो गयी हैं ?

माननीय रिजवी साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन शिक्षण संस्थाओं को आपने हाथ में ले लिया उनमें वही मास्टर हैं। क्या पढ़ाई वहां होती है? क्या हो रहा है इस प्रदेश में। उन शिक्षण संस्थाओं को खाली हाथ में ले लेने से क्या हुआ? जनसंघ और आर0 एस0 एस0 की ट्रेनिंग पाए हुए लोग आज भी वहां टीचर हैं। आज भी इन्टरमीएिट और हाई स्कूल वह चला रहे हैं। आप इस पर गम्भीरता से सोचिए। अपना दृष्टिकोण बदलिए। शिक्षा में एकरूपता लाइए। हमारे एक मित्र इन्जीनियर हैं। बेचारे धनबाद कोलरी में मारे गए। वहां दो जनरल मैनेजर थे, उन्होंने उनसे कहा कि तुम अपने बच्चों को जहां मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां न पढ़ाओ। उनके खुद के बच्चे पचास मील दूर धनबाद में पढ़ने जाते हैं। लेकिन होता क्या है? पायेंगे विज्ञान की शिक्षा और करेंगे हनुमान जी के दर्शन और नाचेंगे हजरतगंज में। इसलिए शिक्षक को वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता है। देशभक्ति की शिक्षा बच्चों को देने की आवश्यकता है। मेरे एक साथी बतला रहे थे। उनका बच्चा दूसरी या तीसरी में पढ़ता है। उन्होंने बच्चे से कहा कि किताब ले आओ। उसमें एक जगह लिखा था कि तुर्कों ने हिन्दुस्तान पर हमला किया। बच्चे ने पूछा, बाबूजी यह तुर्क लोग कौन थे। तो जरा आप सोचिए। निकालिए इन सब चीजों को, बढ़िया शिक्षा दीजिए। हम तो बैलगाड़ी युग में हैं लेकिन हमारे पास हवाई जहाज भी हैं। दुनिया बहुत आगे चली गयी है। हिन्दुस्तान आजाद देशों में आगे है लेकिन दुनिया के नक्शे में इसका नम्बर 100 के बाद है। आप तो विदेश भी घूमकर आए हैं। रूस भी गए हैं और समाजवादी देशों को भी देख आए हैं। आपको तो अनुभव होना चाहिये। दुनियां कहा पहुंच गयी और हम कहां पर हैं। हमारे यहां जो दकियानूसी विचारधारा है उससे काम चलने वाला नहीं है। जो दकियानूसी विचारधारा के लोग हैं और ऐसी शिक्षा देने वाले लोग हैं, उनको बाहर निकालिए।

अभी हमारे माता प्रसाद जी ने एक रिपोर्ट पेश की है वह पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के बारें में थी। सिंचाई विभाग की कुछ बात थी। इस विभाग के बारे में क्या कहूं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट छाप दी। फीगस जो मांगी गई थी, वह विभाग ने नहीं दी। जब उनसे कहा गया कि फीगर्स कहां है तो उन्होंने कहा रिपोर्ट

[श्री ऊदल]

में फीगर्स छापी ही नहीं गई हैं। यह तो अकर्मण्यता है। आप इसको कैसे दूर करेंगे? मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि हमारी समस्यायें तो अनगिनित है। हमारे यहां एक कुन्डी नाला है। सिंचाई विभाग ने उसका एक वर्ष पूर्व सर्वे किया था और एक वर्ष हो गया है उसके पेपर्स यहां सचिवालय में पड़े है। महज 60 हजार रुपए की बात है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमारा सिंचाई विभाग, जिसके ऊपर प्रदेश की शारदा सहायक की योजना का भार है वह इतनी अधिक लापरवाही के साथ काम करे, वह दुख की बात है। यह लालफीताशाही कब खत्म होगी? बा ाबंकी में एक पुल का मामला है। हमारे स्टेट मिनिस्टर साहब आदेश करते हैं कि यह इतना आवश्यक नहीं है कि यहां पर पुल बने। अगर आदेश करते हैं कि फलां स्थान पर पुल बने तो उसकी सिंचाई विभाग लगातार अवहेलना करता रहता है।

मान्यवर, इसी प्रकार से बहुत सी आवश्यक वस्तुओं और कार्यों को नहीं किया जा रहा है। इतने ज्यादा लोग लापरवाह हो गए हैं कि वे चिन्ता हीं नहीं करते। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। एक हमा ेशर्मा जी सन् 1972 में एस0 ई0 हो गए। बाद में वे डाला सीमेन्ट फैक्टरी में हो गए लेकिन फिर सिंचाई विभाग की चयन समिति ने उनको दुबारा एस0 ई0 बना दिया और वे एक माह बाद सी0 ई0 की हैसियत से डाला से रिटायर हो चुके थे। यह तो हो रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन के तथा सेलेक्शन कमेटी के पेपर्स को चुरा लिया जाता है। मेरे पास तो सभी पत्र हैं और मैं दिखला भी सकता हूं। ये सरकारी घो? तो आपातस्थिति के कारण जरा दबे हैं लेकिन आप उनको दबा नहीं सकते हैं, इस स्थिति के बाद। आज यह आपातस्थिति से दूसरों को डरा रहे हैं और खुद निडर बन गए हैं। डी0 आई0 आर0 का डर दिखाकर हजारों रुपए पुलिस वाले घूस ले रहे हैं। हमारे यहां कोयला धनबाद से आता है। चेक पोस्ट पर कई फर्जी कम्पनियां बन कर भ्रष्टाचार कर रही हैं। लाखों रुपए की लूट हो रही है। जब 5 साल के बाद सेल्स टैक्स अधिकारी वहां पर जायेंगे तो उनका वहां कुछ भी नामों निशान नही मिलेगा। लाखों रुपयों की लूट इस प्रकार से हो रही है और कोई देखने वाला नहीं है। इस प्रकार से फर्जी फर्म्स बन जाती हैं और उनको कोई देखने वाला भी नहीं है। आखीर इस तरह के भ्रष्टाचार को हम किस प्रकार से और कब तक रोक सकेंगे? सेल्स टैक्स का पता हीं नहीं चलता। सेल्स टैक्स विभाग लूट मचाए हुए हैं। उधर बनिए फर्जी खाते बना कर करोड़ों रुपया सेल्स टैक्स की चोरी कर रह है। इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार का जो सतर्कता विभाग ह वह क्या कर रहा है? उसके पास न कर्मचारी है, न अधिकारी हैं। उसे जितना मजबूत बनाना चाहिए था वह नहीं बनाया गया। सतर्कता विभाग के डी0 एस0 पी0 किसी जिले में हैं। किसी में नहीं है। विभागों में जो मगर-मच्छ हैं वे । जनता को लूट रहे हैं। इसे रोकने के लिए सतर्कता विभाग को और मजबूत बनाना होगा।

बजट आइना होता है। प्रदेश की जनता उसमें अपनी तस्वीर देख सकती है। आया उसका चेहरा अच्छा हो रहा है अथवा धूमिल हो रहा है। तस्वीर अच्छी नहीं बल्कि धूमिल हो रही है और ज्यादा दिन तक यह सरकार इन फर्जी आंक ों, फर्जी रिपोर्टों से चल नहीं सकती है। इनको यह सरकार छोड़े। असिलियत क्या ह? पट्टा किसी को नहीं मिला। बनारस में गया तहसीलदार के यहां। पूछा पट्टा दिया ह। उसने कहा कि पट्टा लिख कर रखा हुआ है। मोहर नहीं लगी है। चूंकि पद यात्रा मिनिस्टर की होने वाली है, इसलिए आदेश हुए हैं, कुछ पट्टे दे दो। इस तरह से सब कागजी कार्यवाही हो रही है। कब्जा नहीं मिला, पट्टा किसी को नहीं दिया गया और सब फर्जी आंकड़े हैं। माननीय नारायण दत्त जी से मैं कहना चाहता हूं कि कल नेशनल हेराल्ड में उनके बारे में तीन चार कालम की रिपोर्ट उसके एडीटर ने लिखे हैं। उनको वह प; लें कि एडीटर ने उनके बारे में क्या लिखा है। किसी टन्डन को नियुक्त किया है 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के सम्बन्ध में। उस एडीटर

की क्या दुर्दशा हुई है ? आप बहुत अच्छे व भले आदमी हैं। मेरी तथा मेरी पार्टी की ओर से आपके प्रति पूरी सहानुभूति है और समर्थन है, दोस्त की हैसियत से। अगर दुश्मन भी आप समझते हों तो भी दानेदार दुश्मन अच्छा होता है नालायक दोस्त के मुकाबले। आपको बचाने के लिए हम सब कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए कृपा करके इस प्रदेश की जनता को आप बचायें। यही इस सरकार से, खास कर मुख्य मन्त्री नारायणदत्त तिवारी जी से मैं कहना चाहता हूं।

हम लोगों की भी नीति रह चुकी है वर्ष-वर्षों तक, उनसे यही आशा है, अभी हम निराश नहीं हुए हैं, अभी भी हालत अच्छी नहीं है। मुख्य मन्त्री बनने के बाद जो आपकी हैसियत थी उसमें गिरावट आ गयी है। मैं तो स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूं लिहाजा कृपा करके उस हैसियत को आगे बढ़ाइए, उसको गिराइए मत। डिसीजन लेने में जल्दी कीजिए और मजबूत ऐक्शन लीजिए। मैं कहता हूं कि अगर हमारे कोई माननीय सदस्य आपके पास गलत काम करवाने के लिये जाते हैं तो उसे मत करिए। दबा दीजिए लेकिन जो प्रदेश, देश और समाज के हित में चीजें हैं उसके लिये आपको तुरन्त डिसीजन लेना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिन बातों का मैंने जिक्र किया है उनके ऊपर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे और सरकार को सुचारूरूप से चलायेंगे, साथही देश और प्रदेश में जो बढ़ता हुआ प्रतिक्रियावाद का खतरा है उसको रोकने में अच्छी भूमिका अदा करेंगे तथा जनता के मनोबल को ऊंचा उठाएंगे ताकि जनता इन प्रतिगामी शक्तियों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। यही आपकी आज्ञा से मुझे निवेदन करना है।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट की चर्चा पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। यह अमूमन होता है कि कोई भी सरकार हो या कोई भी बजट हो उसके गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। यह तो आक्षेप किया गया है कि हमारा प्रशासन ठीक नहीं है, यह बात ठीक है। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे देश में यदि सुधार की जरूरत है तो वह दो चीजों की है—एक प्रशासन और दूसरा शिक्षा। यदि प्रशासन और शिक्षा इस देश की ठीक हो जाय तो मैं समझता हूं कि जितनी तरक्की हमारे मुल्क ने की है शायद ही कोई मुल्क ऐसा उदाहरण दे सके। मान्यवर, 1807 में शायद सबसे पहले रेल भारत में चली और 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। तब से लेकर उस समय तक उन्होंने एक भी इंजन बनाने का कारखाना नहीं लगाया। हमारी सरकार ने 26 जनवरी, 1950 को ही चितरंजन में इंजन बनाने का कारखाना खोला। आज यह स्थिति है कि हम इंजन को इक्सपोर्ट कर रहे हैं।

मान्यवर, प्रति एकड़ जो उत्पादन है, कपड़े का है, मशीनों का है, अंग्रेजों ने हमारे देश को इतना जर्जर बना रखा था कि इस देश को खड़ा करना ही कोई सहज काम नहीं था लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारा कपड़ा विदेशी बाजारों में जो कि पहले कम्पीट नहीं कर पाता था, वह कम्पीटीशन में है। मैं आपको एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे विरोधी पक्ष के लोग जिन्होंने वाक आउट किया है उनके नेता चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत सी बातें कहीं। जिनका जवाब हम लोगों को देना बहुत आवश्यक है। मैं उनको यह जवाब देना चाहता था कि हमारे यहां सन् 1947 में जब हमें आजादी मिली थी, तब पानी के जहाज केवल 59 थे, और उनकी भारक्षमता 1 लाख कुछ हजार टन थी लेकिन आज हमारे पास 318 पानी के जहाज हैं जिनकी क्षमता 40 लाख टन है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस क्षेत्र में 40 गुना क्षमता बढ़ी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका प्रदेश से क्या सम्बन्ध है ?

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

तो मैं प्रदेश में शिक्षा के बारे में निवेदन करूंगा। शिक्षा हमारे यहां बढ़ी है। उत्पादन के क्षेत्र में भी हम आगे गए हैं। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले की अपेक्षा आगे बढ़ी है। कुछ तरक्की की है।

मान्यवर, मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं वहां की कुछ विकट समस्यायें हैं। पहाड़ों पर अतुलित वन सम्पदा है। सरकार ने अभी तक उस संपदा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वहां के लीसे को, पानी को और लकड़ी को ठेकेदार लोग नीचे ले आते हैं और मैदानों में उद्योग लगाते हैं। होना तो यह चाहिये कि जो रा-मैटीरियल जहां पैदा होता है वहां उस पर आधारित कारखाने लगाए जायं ताकि वहां के लोग जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं वह वहां पर रुके और उनको वहां पर शक्ति मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों में लोग तब तक आराम नहीं पा सकते हैं जब तक वहां पर उद्योग धन्धे न लगाए जाएं। वे आराम से नहीं रह पाएंगे। आप जानते हैं कि जब तक लोग प्रोग्रेस नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं बन सकता है। जब तक गरीबी हो और लोगों में असन्तोष हो, तब तक राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है और वे अच्छे नागरिक नहीं कहे जा सकते हैं। लेकिन पहा ों के लोग अच्छे नागरिक हैं चाहें वे भूखे रहे, गरीब रहे, लेकिन लड़ाई के मैदान में वे हमेशा आगे रहे। हमारे यहां गवर सिंह को विक्टोरिया क्रास मिला जो कि सबसे पहले ग ढ़वाली हैं। आप जानते हैं कि गढ़वाल के लोगों ने लड़ाई में कितना अच्छा रोल अदा किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो लक ी वहां पर पैदा होती है उस पर आधारित कारखाने वहां नहीं लगाए गए हैं जिससे वहां लोगों में असन्तोष है। पहाड़ों की लकड़ी, पहाड़ों का लीसा, पहा ों का लाईम स्टोन, पहा ों के वृक्षों की छालें जो वहां के लोगों को खुशहाल बना सकती हैं वहां से लाकर बरेली में कारखाने लगाए जाते हैं और वहां पर कुर्सियां बनाकर उत्तर काशी के इन्टर कालेज में बिकने जाती हैं। तो वहां पर हम कब तक लोगों को समझाते रहेंगे कि सरकार पहा ों पर फारेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्री लगाने के लिए कृतसंकल्प है। यह स्थिति अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पहा ों के लोग इस बात के लिए व्यग्र हैं। पहा ों के लोगों ने देश के लिए खून बहाया है, देश की रक्षा के लिए समय-समय पर कुर्बानियां की है। राष्ट्र को और प्रदेश को उन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और वहां पर फारेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीज लगाई जाए ताकि उनकी गरीबी र हो और वह अच्छे नागरिक बन सकें, अच्छे सैनिक बन सकें और देश की रक्षा कर सकें।

मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने एक भाषण दिया है कि हम पहा ों पर लघु-उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं। किन्तु मेरा कहना है कि पहा ों पर लघु उद्योग की स्थापना तब तक नहीं हो सकती है, जब तक उसका सर्वे ठीक से न किया जाए। हम लेमैन हैं, जब तक हमको यह पता न हो कि कौन जगह पर कौन उद्योग लग सकता है, कहां पर सरकार किस तरह से सहायता कर सकती है, तब तक यह सरकार वहां उद्योगों की स्थापना में सफल नहीं हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अभी तक पहाड़ों पर कहीं भी इस तरह का आवश्यक सर्वे नहीं हुआ है, वह अवश्य इसके पूर्व कराया जाए। हम विधायक हैं, हमसे लोग वहां उद्योग की बात करते हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ बता नहीं पाते है, उन्हें सही राय नहीं दे पाते हैं कि वह कहां और क्या उद्योग लगाएं ? न किसी उद्योगपति को इसकी कोई सही जानकारी है। जब हम पिछली बार हिमालय के समी पर्वती इलाकों में गए तो देखा कि नालों में लक ी बहाई जा रही है, लीसा के लदे हुए ट्रक नीचे की ओर ब ी तादाद में जा रहे हैं, ज ी बूटियों से लदे ट्रक जा रहे हैं। पहले एक दियासलाई व ऊल का उद्योग मुनि की रेती में लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक उसकी हम केवल बिल्डिग देखते हैं, पता नहीं उसकी मशीनें कहां हैं और उसके साथ क्या होने

वाला है। सरकार कुछ भी न करें तो भी जनता सन्तुष्ट रह सकती है, लेकिन आप किसी का शिलान्यास कर दें, भवन खड़ा कर दें, और उनमें आगे कुछ काम न हो तो जनता के असन्तोष का सामना करना मुश्किल हो जाता है। विशेष कर सत्ता पक्ष के विधायकों को बड़ी कठिनाई हो जाती है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी चीजों पर पूरा ध्यान दे।

पहाड़ों पर भी खेती होती है, लेकिन वहां सिंचाई के साधनों की बड़ी अव्यवस्था है। एक एक्सपर्ट ने एक रिपोर्ट दी थी कि पहाड़ों पर इतनी अच्छी खेती हो सकती कि अपने आप और बाहर के लिए अन्न वे पैदा कर सकते हैं, यदि इन घाटियों को पानी दिया जाए। यहां पर वैलगंना घाटी जो है वहां पर 500 मील लम्बी नहर बन सकती है। इसके अलावा और भी बड़ी और अच्छी-अच्छी घाटियां हैं। लश्कर योजना जो वहां की एक काफी महत्व की योजना थी, जिस योजना के लिए पिछली बार बजट स्वीकृत हो चुका है, उसमें एक किलो-मीटर भी अब तक नहीं बन पाई है। लोग बड़ी शिकायत करते है कि पहाड़ों पर पैसा चला गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ों के लिए केवल बजट का प्राविजन होता है, लेकिन कोई उस पर कार्य नहीं होता है। प्रश्न करने पर इस लश्कर घाटी की योजना के बारे में जवाब मिला कि सेन्ट्रल वाटर पावर कमीशन से अभी इसकी स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें इतना ही नहीं हुआ बल्कि टेन्डर्स भी मांगे गए थे। इसमें अब इनको अगर एप्रूवल की जरूरत थी तो पिछले साल टेन्डर्स कैसे लोगों से ले लिए गए और अगर एप्रूवल नहीं भी आया था और टेन्डर्स गलती से भी लिए गए तो साल भर तक क्या किसी योजना में एप्रूवल तक नहीं आ सकता है। क्या यही हमारी कुशलता है कि साल भर तक किसी योजना में हम एप्रूवल तक नहीं मंगा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो जैसा पहले एक सदस्य ने कहा कि पांच साल की योजना में 25 साल लग जायेंगे। जब श्री सतीशचन्द्र जी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे, उनसे मेरी एक बार वहां पर बात हुई थी सिंचाई विभाग के बारे में, जिस समय वहां के 8 जिलों के सम्बन्ध में सिचाई से सम्बन्धित एक सेमिनार हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि आप कुछ यहां पर करते नहीं हैं, फिर सेमिनार क्यों करते हैं? इस पर उन्होंने हमसे कहा था कि विकास खण्ड, देव प्रयाग में इसे हम कार्यान्वित करवा देंगे। मान्यवर, ये गए, इन्होंने वहां को नापने के लिए वहां पर औजार भी नहीं रखा मैं कड़ा कोट की तरफ गया वहां पर जलपेय योजना चालू की गयी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो भी योजना बने उसके कार्यान्वियन में विलम्ब न हो। एक योजना यह की गयी थी कि पहाड़ के गांवों को एलिक्ट्रिफाइड किया जाय परन्तु उसे कार्यान्वित नहीं किया गया। इसका लाभ वहां के लोगों को मिलना चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि हरिजन हमारे समाज का बहुत पिछड़ा वर्ग है और हरिजनों के साथ में प्रशासन का अच्छा व्यवहार नहीं है। मैं घातीडागर की एक बात बताना चाहता हू वहां पर कुछ जमीनों पर हरिजनों का कब्जा था उसमें से उनको हटाने के लिए पुलिस ने उनकी पिटाई की, सवर्ण की पिटाई नहीं हुई। हरिजनों की पिटाई हुई। अगर सवर्णों की पिटाई होती तो वे यहां तक शिकायत ले आते। मैं परगनाधिकारी के पास गया और उनसे शिकायत की। मैंने स्वयं देखा था कि हरिजनों की जांघ तक कट गयी थी। मैंने उनसे कहा कि आपको जमीन मिलेगी। मान्यवर, लाठी मार कर लोगों की पिटाई बुरी बात है। मान्यवर, मैं एक तहसील के कर्मचारी की बात बताना चाहता हूं। मान्यवर, एक कानूनगो हैं, उसने एक विधवा के घर रात को 12 बजे प्रवेश किया और उसकी जवान लड़की को ले गया और सुबह 4 बजे फिर वहां पर लौटा गया। मान्यवर, आज हमारे पहाड़ी प्रदेश में क्या दशा हो रही है? मान्यवर, ऐसे लोगों को बचाने के लिए उनके अधिकारी जो हैं तहसील के, परगना लेविल के अधिकारी, वे लोग उन लोगों से मिल जाते हैं, घूस खाते हैं। अगर कोई नीचे वाले कर्मचारी अपराध कर देते हैं तो इस तरह से उनको खाने को मिल जाता है। इससे कांग्रेस पार्टी प्रदेश आदि बदनाम होते हैं जबकि इसमें कोई हाथ नहीं होता है। मान्यवर, वैतनिक कर्मचारी इस तरह से काम करते हैं जिससे शासन को खामोखाह बदनाम होना पड़ता है।

[श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला]

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में ओला पड़ा। पर्वतीय क्षेत्र से शिकायत मिली है कि पहाड़ों पर ओलावृष्टि से कुछ खेतों को नुकसान हुआ है। मान्यवर, मैंने जाकर स्वयं देखा। त्योखर ग ना आदि गांवों में मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतना बड़ा-बड़ा ओला पड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है पाव-पाव भर का ओला पड़ा है। मैं आशा करूंगा कि सरकार उसकी जांच करेगी और जिन किसानों का बीज तक नहीं रह गया है उनको सहायता देगी जिससे कि वह लोग लाभान्वित हो सकें। हमारे यहां 500 ग्राम चीनी देने की व्यवस्था थी, लेकिन इसको अब ढाई सौ ग्राम कर दिया गया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा वह 500 ग्राम चीनी जो अब तक दी जा रही थी पहाड़ के लोगों को देने की व्यवस्था करें। गांवों में किसान बहुत गरीब है वह बाजार की चीनी को खरीद नहीं पाता है। मेरा निवेदन है कि सरकार उसको जरूर करेगी।

मान्यवर, एक बात और है बिहार में बाढ़ आयी थी, लखनऊ में भी बाढ़ आयी थी और लखनऊ का सेक्रेटेरियट भी बाढ़ की चपेट में आ गया था यह सब खबरें मैं रेडियो पर सुनता था। मैंने पिछले वर्ष भी कहा और इस बार भी कहता हूं कि बाढ़ के सम्बन्ध में किसी राष्ट्रीय नीति को अपनाया जाए। मान्यवर, पहाड़ों पर जो जंगल है उनके काटने से रोका जाये। मान्यवर, जिस परिवार में एक आदमी था उसमें अब 20 आदमी हो गए हैं। उनका एक जगह पर गुजारा नहीं हो पाता है इसलिए वे जंगलों में लकड़ी काटते हैं और जिसके कारण भूमि कटती है और जब पानी बरसता है तो वह मिट्टी बहकर नीचे आ जाती है और बाढ़ लाती है। मान्यवर, प्रति वर्ष बाढ़ आया करती है। गोन्डा और बहराइच में जो बाढ़ आयी थी उसकी हालत जब सुनी थी तो रोना आ गया था। मान्यवर, बाढ़ भी एक राष्ट्रीय समस्या है। सरकार को चाहिए कि पहाड़ों पर छोटे-छोटे उद्योग लगाए जिससे वहां के लोग अपनी रोजी उन उद्योगों के सहारे कमा सकें और जंगलों का काटना बन्द कर दें। सरकार को चाहिये कि वहां पर सैनिक स्कूल खोले जिससे वहां के बच्चों का उनमे प्रवेश हो सकें और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और अपने देश की रक्षा कर सकें। चीनी मिट्टी का उद्योग खोला जा सकता है और उन पर वह अनिवार्य रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया जाये कि वह पेड़ों को न काटें। इससे राष्ट्र को नुकसान होता है और लाखों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है। अगर जंगलों में पेड़ न काटे जाएं तो बाढ़ की समस्या हल हो सकती है। आशा है सरकार इस ओर ठोस कदम उठाएगी। जहां जमीन फिसल रही है। जहां पर पहाड़ कट रहे हैं। वहां पर बन लगाने का प्रयास किया जाय और छोटे-छोटे फार्म्स बनाए जाएं। हमारे यहां पर नयल चाभी एक पट्टी है लेकिन वहां पर बाढ़ से धान की फसल बह जाती है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा एक गांव चिघुड़ है। इसके इधर-उधर से जमीन कट गई है, गांव का गांव खिसक रहा है। वहां के लोगों ने कई बार इस सरकार से कहा कि जितनी भूमि उनकी वहां है वह वन विभाग ले ले और उनको उसके स्थान पर कहीं अन्यत्र बसा दिया जाए लेकिन वर्ष 1962 से आज तक भी उनको जमीन नहीं दी जा सकी है। जब कहीं पर कोई आदमी बाढ़ से बह जाता है तो हम कितने दुखित होते है। उसी प्रकार से जब भूकम्प आता है तो हम लोग कितने दुखी होते हैं, बयान नहीं किया जा सकता है आज चिघुड़ गांव के निवासियों की कोई जिन्दगी नहीं है। अगर वहां पर बाढ़ से या भू-स्खलन से कोई आदमी मरता है तो मैं समझता हूं कि इसका प्रायश्चित यह सरकार भी नहीं कर सकती है। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय राजस्व मन्त्री जी ने सदन में हमें आश्वासन दिया था कि इन लोगों को जमीन उसी स्थान पर दी जाएगी जहां पर टिहरी डैम के विस्थापितों को बसाया जायगा, लेकिन इस ओर भी सरकार ने कुछ नहीं किया है।

इसके अलावा सूर्य प्रयाग में बिजली बनती है लेकिन उसे चमोली वाले ले लेते हैं। टिहरी-गढ़वाल में बिजली बनती है, लेकिन 10 मील दूर पर जो ब्लाक हेड क्वार्टर है,

बिजली नहीं लगाई जा सकती है। धान की फसल में अगर पानी भर जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता है । लेकिन अगर गेहूं, मसूर, चना या मटर के खेत में पानी भर जाता है तो ये फसलें बरबाद हो जाती हैं। हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने सदन में ही आश्वासन दिया था कि इसके लिए हमने बजट में वांछित धनराशि का प्राविधान कर दिया है लेकिन मैं जब दौरे पर गया तो मैंने वहां के अधिकारियों से बात की तो पता चला कि अभी तक भी बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है और न उनके पास कोई धनराशि की सूचना ही आई है। मेरी प्रार्थना है सरकार से और मुख्य मंत्री जी से कि कैबिनेट स्तर के मन्त्री द्वारा या मुख्य मन्त्री द्वारा जब आश्वासन दिया जाता है तो उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए और विशेष रूप से ऐसा आश्वासन जिसके कार्यान्वियन न होने से किसानों की खेती का नुकसान हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने किसी भी कार्य द्वारा गरीब को दुखी न करें, अन्यथा उसके आंसू से न कोई सरकार और न कोई व्यक्ति बच सकेगा। हमारी सरकार बड़ी लोक प्रिय सरकार है, विवेकपूर्ण है। अत : मेरी प्रार्थना है गरीब की झोपड़ी को न उजाड़िए। आपको उसके आंसू का रूमाल नहीं बनना चाहिए।

मान्यवर, एक दो सवाल और हैं। टिहरी-गढ़वाल में साढ़े सात सौ वर्ष राजा का राज्य रहा, बाकी ब्रिटिश हुकूमत के अन्डर में रहा है। ये वन पंचायतें स्थापित हुईं तो गांव वालों ने अपने स्वयं के जंगल डेवलप किये और उनसे उनको पैसा मिलता है। आस-पास आज जंगल बन गए। वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन हैं, देख-रेख फारेस्ट डिपार्टमेंट करता है। सम्पत्ति के तो मालिक हो गए लेकिन न तो रेवेन्यू वाले देखते हैं, न फारेस्ट वाल। पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री, श्री भन्डारी जी की अध्यक्षता में 2 वर्ष पहले एक कमेटी बठी थी, उसने अपनी संस्तुतियां दे दीं। मैंने वन-सचिव से बात की थी, उन्होंने कहा था कि अक्तूबर तक लागू कर देंगे, उसके बाद भी याद दिलाया, लेकिन ये वन पंचायतें कायम नहीं हुई। जिस तरह से उनका गठन हो रहा है, एक्सप्लाएटेशन हो रहा है वनों का, उसको देखने से बड़ा दुख होता है। तो टिहरी, उत्तरकाशी में वन पंचायतों की शीघ्र स्थापना करें तांकि डेवलपमेंट हो सके और लोगों को लाभ मिल सके। सुन्दर लाल बहुगुणा ने चिपको आन्दोलन चलाया था कि पेड़ बुरी तरह से न काटे जाएं। वन के श्रमिकों की बहुत सी समस्या हैं। उनके पढ़ाने-लिखाने का काम है—आन-दि-स्पाट मेडिकल एड देन का सवाल है, मजदूरी निर्धारित करने का सवाल है। उन्होंने सूचित किया है कि अभी तक इन समस्याओं पर बहुत कम अमल हो पाया है। यहीं पर पत्र रखा है। उन्होंने कहा है—

कर्जदारी के कानूनों से बचने के लिए ठेकेदार प्रति वर्ष उनसे नई रसीद ले लेता है और नए काम पर जाने के लिए 400, 500 रुपए तक नई पेशगी देता है। यह श्रमिक उसके साथ काम करने के लिए उस रुपए के कारण बन्धा हुआ रहता है, जब कभी किसी श्रमिक ने अन्यत्र काम पर जाने का दु:साहस किया तो उन पर कोई अभियोग लगा कर ठेकेदार पटवारी के माध्यम से उसे आतंकित करते हैं। जब मैंने इन श्रमिकों से वन निगम के साथ काम करने की चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार हमेशा उन्हें काबू में रखने के लिए कभी भी काम समाप्त होते ही हिसाब नहीं देता। वे बिना पिछला हिसाब किए हुए चले जावेंगे तो उनके परिवार के लोगों को इसका दन्ड भुगतना पड़ेगा।

कम मजदूरी, कठोर श्रम और दुर्घटना-ग्रस्त होने पर मुआवजा पाने की सुविधा न होने के कारण राज्य सरकार ने पिछले वर्ष ही वन श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। न्यूनतम मजदूरी की दरें और श्रमिक कल्याण सम्बन्धी कुछ शर्तें ठेके के अनुबन्ध में जोड़ी गयी हैं, परन्तु इन शर्तों का पालन कराने के लिए कोई व्यवस्था न होने के कारण श्रमिकों को खास तौर से ढुलाई का काम करने वाले श्रमिकों को, कहीं भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली है। राशन महंगी कर दी गई है। जहां वन निगम के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिकों का मासिक राशन व्यय 24 रुपया तक आया है, ठेकेदारों के साथ काम करने वाले श्रमिकों का 70 रुपया मासिक तक आया है।

[श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला]

तो सरकार ने आदेश कर दिए हैं कि श्रमिकों को इस तरह से मजदूरी मिलेगी, वह मिलनी चाहिए। ठेकेदार इस कानून के होते हुए भी उनका शोषण करते हैं। तो सरकार को इसके लिए उन्होंने सुझाव दिए हैं कि समितियां बनायें। मेरी भी यही राय है कि देख-रेख समितियां होनी चाहिए। हर ऐसे इलाके में जहां पर कटान होता है उसमें एक समिति देख-रेख बन जानी चाहिए ताकि उनके साथ अन्याय न हो।

परिवहन निगम की भी चर्चा हुई है, डिपार्टमेंट्स की हुई है। परिवहन ने 40 परसेंट अपना किराया बढ़ा दिया। हम जानते हैं कि सरकार सुविधा दे रही है, सरकार के सामने संकट है। लोगों ने उस समय कोई ऐसी बात नहीं कही कि 40 परसेन्ट किराया कैसे बढ़ा दिया। सबने कहा जनता बुद्धिमान है, विवेक रखती है। जनता की कुशलता, योग्यता और सहिष्णुता की जितनी तारीफ करें, बहुत कम है। परन्तु कर्मशाला में इनके आदमी यह कहते ह कि इसमें एक यन्त्र 500 रुपए का लगा है और वाउचर बना कर रख देते हैं जबकि वह यन्त्र खरीदा ही नहीं जाता है। मैंने पिछले साल भी सुझाव दिया था कि जब कोई गाड़ी कर्मशाला के बाहर आए तो यह देखा जाय कि उसमें कौन-कौन से नये पुर्जे लगे हैं, उसकी तफसील होनी चाहिए, और एक्सपर्ट्स को एटरैंडम उसे चेक करना चाहिये कि क्या सचमच उसमें वह पुर्जे लगे हैं या नहीं? इससे वह चोरी रुक जाएगी। सरकार तो सुन्दरता से काम करना चाहती है लेकिन ऐसे लोग उसको सफल नहीं होने देना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त टेहरी-गढ़वाल में स्कूलों का अपग्रेडेशन हुआ। सन् 1947 तक तो हम देशी रियासत में रहे। उसके बाद 1950 में हम लोग मर्ज हुए। हमारा एक जिला बना। तभी से दर्जा 8 तक के स्कूल हाई स्कूल हुए और हाई स्कूल इन्टर कालेज हो गए। सरकार की बड़ी कृपा है, मैंने तो पत्र लिख कर भी शिक्षा मन्त्री को धन्यवाद दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने पहाड़ों पर कुछ काम किया है। लेकिन जो इन्टर कालेज उन बिल्डिंग्स में चल रहें हैं जो पहले दर्जा 8 तक के स्कूल थे और वह भी इन्टर कालेज विद साइंस और कामर्स उनमें कैसे पढ़ाई हो सकेगी। यह तो सम्भव नहीं है कि एकदम से भवन खड़े कर दिए जायें लेकिन हमने सरकार से टिन-शेड्स बनाने के लिए कहा था और जब भवन बने तो वह टिन-शेड उसमें चला जाय। जब हम देहातों में जाते हैं तो बच्चे हमसे चिपक जाते हैं। वे समझते हैं कि हम एम0 एल0ए0 हैं तो हममें इतनी ताकत है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम भवन बनवा दें। लेकिन अगर सरकार 4 स्कूल अपग्रेड करे तो 4 भवन बनवा दे, फिर 4 स्कूल अपग्रेड करें तो फिर 4 भवन बनवा दें। इस तरह से धीरे-धीरे 20-30 भवन बन जायेंगे। लेकिन हमारे कहने के बावजूद अगर इस साल ऐसे ही रहा, दूसरे साल भी वैसे ही रहेगा और तीसरे साल भी वैसे ही रहेगा, तो भवन कभी नहीं बनेंगे। सरकार कायदा बनाती है कि फर्स्ट डिवीजन जिसका होगा वह नौकरी में लिया जाएगा। लेकिन आप स्वयं देखें कि जो इन्टर कालेज दर्जा 8 तक के स्कूल में चल रहा है, जिसके पास साइंस के आपरेटर्स भी नहीं हैं तो वहां कैसे पढ़ाई होगी? जितने टीचर हैं वह कह रहे हैं कि हम अपनी जगह पर वापस जाने के लिये बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई फायदा नहीं है। अध्यापक वहां पर सन्तुष्ट नहीं है क्योंकि बुढ़ी अवस्था में आप उसे हिमालय पहाड़ पर भेज रहे हैं, जबकि वह जिन्दगी भर तो रहा मैदान में। हमें दो साल लखनऊ में हो गए। अब हमें भी वहां जा कर तकलीफ होती है और आप तो उन्हें बूढ़ी अवस्था में वहां भेज रहे हैं। इसके अलावा अच्छे भवन नहीं हैं, आपरेटस नहीं हैं, प्रिन्सिपल को रहने तक का क्वार्टर नहीं है, छात्रों के रहने के लिए छात्रावास नहीं है। पहाड़ी लड़का थोड़ा परिश्रमी होता है। अभी ऐसी स्थिति वहां पर नहीं है जैसी यहां पर है। वहां अगर हेडमास्टर ने डन्डा दिखा दिया तो वह थोड़ा पढ़ लेता है। तब जा कर वह कहीं थर्ड क्लास पास हो जाता है। मेरे पास नौकरी के लिए आता है तो मैं कह देता हूं तुम तो थर्ड क्लास हो, मैं क्या करूं? तो हमारी मेरिट भी सरकार ले रही है। समस्या भी बढ़ रही है। मैं यह मानता हूं कि शिक्षा की ओर सरकार काफी ध्यान दे रही है, पर यहां की छोटी-मोटी समस्याओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय के सम्बन्ध में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन लुन्ज पुन्ज होता जा रहा है। इससे काफी बेचनी पैदा हो रही है। आम तौर से गरीबों को बड़ी परेशानी हो रही है। चाहे कचेहरी हो, चाहें पुलिस का विभाग, चाहें सिचाई या पी0 डब्ल्यू0 डी0 हों, हर विभाग में जो ढीला पन और जो लूट खसोट है उससे गरीब आदमी तबाह हो रहा है। हम चाहे किसी भी विभाग की ग्रान्ट को ले लें, उस ग्रान्ट का बहुत बड़ा हिस्सा तो नौकरशाही पर खर्च हो जाता है। शिक्षा विभाग को जो ग्रान्ट मिलती है उसका इस्तेमाल बहुत गलत हो रहा ह। प्रिंसिपल का बंगला पहले बन जाता है, स्कूल की इमारत बाद को बनती है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया बैठें, इस समय कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी गयी, और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जफर आजमी—

मान्यवर, आपके द्वारा मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था और यह कह रहा था कि बहुत ढिंढोरा पीटा गया कि बैंकों के जरिए हम छोट-छोटे उद्योग करने वालों को सहूलियतें देंगे और उसके जरिए वे अपना कारोबार कर सकेंगे। मान्यवर, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे इलाके के बुनकर जब बैंकों में जाते हैं ताकि वे वहां से कर्जा लेकर अपने करघों को आजाद कर लें, सेठ साहूकारों से लेकिन उनको कर्जा न देकर उन्हें बुरी तरह फटकारा जाता है और कभी भी उनके साथ बड़ी बदसलूकी भी होती है। कह दिया जाता है कि जुलाहों तुम लोग यहां से चले जाओ। कहने का मतलब यह है कि बड़े लोगों को बैंकों से कल भी सहूलियत मिलती थी और आज भी मिलती है लेकिन जो छोटे-छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं उनको देने के लिए बैंकों के पास पैसा नहीं है। मान्यवर, इस बीच मे हमने यह भी देखा कि जहां खेती पर पैदा करने वाले सामानों की कीमत और मिल द्वारा पैदा करने वाले सामानों की कीमतों में बड़ा फर्क है। मसलन बुनकर जो सूत इस्तेमाल करते हैं, जो रंग इस्तेमाल करते हैं जो स्टेपुल इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रति बन्डल 10 से 20 रुपए कीमतें बढ़ी हैं। कहने का मतलब यह है कि मिलों द्वारा पैदा शुदा माल और किसानों द्वारा पैदा शुदा मालों के बीच जो तालमेल होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। एक बात मैं और अर्ज कर देना चाहता हूं कि जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, उसकी हालत बहुत खराब है। मिसाल के तौर पर गाजीपुर में जो हंगामा हुआ और वहां पर जो वाक्यात हुए जहां तमाम जुल्म का दौर-दौरा रहा, वह पूरे सूबे को मालूम है। वहां के एस0 पी0 डा0 शुक्ला बाराबंकी में आ गए। और बाराबंकी में आने के बाद वही कारोबार शुरू कर दिया है। डा0 शुक्ला के खिलाफ कांग्रेस के एम0 पी0 और कांग्रेस के मन्त्रियों ने लिखा कि इनका ट्रान्सफर कर दिया जाय इनसे खतरा है। वहां के अवाम ने भी लिखा कि इनका ट्रान्सफर कर दिया जाय। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका तबादला हुआ लेकिन तबादले को मुख्य मन्त्री महोदय ने दोबारा रद्द कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि जो आदमी गाजीपुर से खून में हाथ रंग कर आया था आज वही आदमी वहां पर है। और उससे लोगों को खतरा है। मैं समझता हूं कि शुक्ला के रहते हुए कुछ पालीटिकल लोगों के मर्डर भी हो जाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पूर्वी जिलों के बारे में, पूर्वी अंचल के बारे में कहानियां किस्से बहुत कुछ कहे जाते हैं। तरक्की के बारे में पहाड़ों की आवाज आती है। लेकिन मैं अपने पहाड़ के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों पूर्वी जिलों की हालत आपसे अच्छी नहीं है। पूर्वी जिले हमेशा बाढ़ के शिकार होते रहे, सूखे के शिकार होते रहे हैं। वहां की ज्यादा आबादी का बोझ खेती पर है। रोजी रोजगार के लिए कल

[श्री जफर आजमी]

कारखाने काफी तादाद में नहीं हैं। हमारी सरकार ने कभी-कभी तवज्जो भी किया और कभी कमीशन भी बैठाले। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद उनके भी अच्छे दिन आने वाले ह। हमें भरोसा था कि पटेल कमीशन की सिफारिशों के जरिए पूर्वी जिलों के अन्दर कल कारखाने लगेंगे और जो सिफारिशें की गयी हैं उन पर अमल दरामद होगा हर साल बस्ती, गोरखपुर, गोन्डा, आजमगढ़, बलिया जिले शैलाब के शिकार होते हैं और आज 28 सालों से शैलाब के शिकार होते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहां एक भी ऐसी योजना नहीं बनी कि जिससे शैलाब से बचाव होता। बाढ़ के नाम पर करोड़ों रुपए लगाये गये। बोल्डर खरीदे गये। एक करोड़ की जगह पर 2 करोड़ के बोल्डरों की खरीदारी हुयी लेकिन कोई ठोस योजना बाढ़ के लिए नहीं बनायी गयी। जहां तक इर्रिगेशन का सवाल है पिछले कई सालों के अन्दर हमने देखा कि हमारे ट्यूबवेल खड़े हैं। कहीं तेल नहीं है तो कहीं पुरजा नहीं है। बिजली नहीं है, नाली नहीं है। बेकार पड़े हैं। अब आप ही बतायें कि एक तरफ हम गरीबों की बात करते हैं और दूसरी तरफ ट्यूबवेलों की यह हालत है। मुकदमों की तारीखे पड़ती हैं। कचहरियों में हमारे आदमी जाते हैं, हमारे किसान जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि अगली तारीख मालूम हो जाए। इसके अलावा फैसलों में सालों लग जाते हैं। 10-10 साल के मुकदमें पड़े हुए हैं। जजमेंट नहीं होता है। कोई कार्यवाही नहीं होती है।

अब मैं गन्ने का सवाल लेता हूं। मैं अर्ज करना चाहुंगा कि कई सालों पहले जब कांग्रेस के अन्दर डिवीजन हुआ था। एक अधिवेशन बम्बई में हो रहा था और दूसरा गुजरात में हो रहा था तो उत्तर प्रदेश के गरीब लोग, उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहने वाले लोग बम्बई के अधिवेशन पर नजर डाले हुए थे कि वहां पर जो कुछ पास होगा उस पर अमल दरामद होगा। एक नारा यह आया था कि शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। उसी सवाल पर उत्तर प्रदेश असेम्बली म एक बार इधर से उधर हुआ। मुख्य मन्त्री को बदलना पड़ा। दूसरे मुख्य मन्त्री आए। लेकिन आज तक शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। जब भी यह सवाल पैदा होता है तो कह यह दिया जाता है कि यह सेंटर का विषय है और सेंटर कहता हैं कि यह लखनऊ का विषय है। मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या स्थिति है? इस साल गन्ने की कीमत 1 रुपया फी क्विन्टल कम कर दी गयी है। मान्यवर, आज किसानों का 85 करोड़ रुपया मिलों पर बाकी है लेकिन जब आपका पैसा बाकी होता है तो उनको मुर्गा बनाकर वसूल कर लिया जाता हैं। धोंसी तहसील में मैं गया वहां मुझे मालूम हुआ कि बहुत लोग तरह-तरह के कर्जे जैसे तकावी आदि न देने के कारण उनको बन्द कर दिया गया है। उन लोगों ने कहा कि ऐसी व्यवस्था कर देते कि जिससे हम दो कमरों में सो सकते। इस तरह अपना पैसा गरीब किसानों से वसूल करते हैं जो कि मेहनत से गल्ला पैदा करता है और हम सबको खिलाता है चाहे वह फैक्ट्रीज का मजदूर ही क्यों न हो। उससे बेदर्दी के साथ वसूल कर लेते हैं। लेकिन यह मगरमच्छ मिल मालिकों से जरूर कोई रिश्ता या साजिश है जिनसे वसूल करने में आपको हिचकिचाहट लगती है।

जहां तक मान्यवर, भ्रष्टाचार के बारे में जो ऊदल जी ने कहा है कि खुदा हर जगह है, तो मुझे नहीं मालूम कि है या नहीं लेकिन भ्रष्टाचार हर जगह है। यह एक-एक कोने मे बैठा है। उसको दूर करने के लिए पता नहीं कब क्या किया जाएगा? यदि कोई सुझाव दिया जाता है तो उस पर अमल दरामद नहीं होता है। यदि किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लिखा पढ़ी होती है तो उसको डिफेन्ड करने लगते हैं। एक बार मैं कुछ माननीय सदस्यों के साथ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग के देखने के लिए गया। तो देखकर यह ताज्जुब हुआ कि कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ीं जिनको हमने सरकार को लिखा। मिसाल के तौर पर हरपुरा बैंक गया। वहां छोटे-छोटे ठेकेदार मिले। उन्होंने कहा हमारे डिवीजन तो बरेली में है। जब चेक अपनी लेने जाते हैं तो सैकड़ों रुपया खर्च करके जाना पड़ता है क्योंकि वह 120 किलोमीटर पड़ता है और यह भी नहीं कि चेक मिले ही। तो हमने सरकार को लिखा कि 120 किलोमीटर के अन्दर उस डिवीजन का कोई काम नहीं है तो क्या वजह है कि वह

डिवीजन बरेली में है ? करीब क्यों नहीं कर दिया जाता है ? तो कहा यह गया कि वहां बच्चों का पढ़ने की सहूलियत है मैं कहना चाहता हूं कि रूरल हौज के अन्दर जूनियर इन्जीनियर या छोटे कर्मचारी क्या नहीं हैं और उनके बच्चों का भविष्य क्या नहीं है ? क्या इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के बच्चों का ही भविष्य है ? इसलिए सरकार को लिखा कि जितने भी डिवीजन अपने काम करने के एरिया से दूर हों, उनको करीब कर दिया जाय। इसलिए कि आज पैट्रोल का दाम काफी बढ़ गया है। सरकार चिल्लाती है कि पैसे की कमी है इसलिये हम यह काम नहीं कर सकते हैं। सिंचाई विभाग के इन्जीनियरों पर आज तक जितना टी0ए0, डी0ए0 पिछले 4 वर्षों के अन्दर एक डिवीजन में खर्च किया है उससे तो एक बेहतर कालोनी बन सकती थी और कोई ठोस काम हो सकता था। ऐसे सैकड़ों डिवीजन हैं जिनमें कर्मचारी कहां बैठे हैं और डिवीजन कहा हैं ? यदि कोई डैम टूट गया जिससे करो ो रुपए का नुक्सान हो सकता है तो यदि उनके इन्जीनियर सैकड़ों मील की दूरी पर बैठे हो तो क्या यही उचित है ?

मान्यवर, जहां तक 20-सूत्री कार्य-क्रम का सवाल है मुझे बड़ी खुशी है। हम लोग अभी चुनाव के मैदान से आ रहे हैं। हमारे यहां भी लोकल बाडीज का चुनाव हो रहा था। हमारे यहां इतने मन्त्री लोग आए कि हम उनका स्वागत ही नही कर पाए। यही सोचते थे कि किस का स्वागत करें क्योंकि हर घन्टे के बाद कोई न कोई मन्त्री आ जाता था। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इसी लगन के साथ बीस सूत्री कार्य-क्रम को भी देखें तो एक ठोस काम हो सकता है जिसकी बुनियाद पर हम इधर बैठने वालों का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन असलियत यह है कि बीस सूत्री कार्य-क्रम सिर्फ एक शकल बन कर रहा गया है, एक मन्त्र बन कर रह गया है। अगर अमल में देखना चाहें तो मेरे साथ कोई सज्जन चलें तो मैं दिखला दूं कि क्या हो रहा है। मुझे पश्चिमी का तो पता नहीं लेकिन हमारे यहां पूर्वी जिलों में किसी भी जगह एक लिस्ट भी नहीं टंगी की कि कहां जमीन तकसीम हुई है। हां, यह जरूर देखने में आया है कि किसी की जमीन भूमि आबंटन में किसी को दे दी क्योंकि लेखपाल मौके पर गया नहीं और यों ही कागज देखकर उल्टा सीधा कर दिया। नतीजा यह ह कि इस बीस सूत्री कार्यक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो हमारे अफसरान है वह बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं और वें इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। मैं सरकार से आपके जरिए कहना चाहता हूं कि इस बीस सूत्री कार्यक्रम को अफसरान नहीं चला सकगे। जब तक कि इसमें जनता का सहयोग नहीं लिया जाएगा, यह काम नहीं चलेगा।

मुझे इसी के साथ यह भी अर्ज करना है कि अगर हमें अपने देश और प्रदेश को ऊंचा उठाना है तो जो समाजवाद का नारा लगाया है उसे समझ कर उस रास्ते पर चलें। जैसे सरकार ने मजदूरी फिक्स कर दी लेकिन क्या उस पर अमल हो रहा है। न तो कोई मजदूरी दे रहा ह न ही उनको मिल रही है। क्या सरकार इसकी जांच के लिए कोई कमीशन मुकर्रर करेगी और फिर कोई ऐसा हुक्म देगी कि जो कमियां हैं वह दूर हो सकें। हमारे प्रदेश में 62 हजार प्राइमरी स्कूल है। केवल चौर हजार में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था है और वह भी नाममात्र की है। मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि कभी-कभी जुबान के मसले को लेकर फिरकापरस्त लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और सरकार भो उससे दब जाती है। यह फिरकापरस्त लोग कहते हैं कि उर्दू जबान मुसलमानों की है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर बंगाल के मुसलमान, मद्रास के मुसलमान, केरल के मुसलमान उर्दू क्यों नहीं बोलते। यह तो एक मुस्तरका जबान है। अगर मादरी जवान में तालीम नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ाएंगे ? इन्टरमीडिएट और बी0ए0 में आप उर्दू की तालीम कैसे देंगे ? दो तीन पुश्तें तो खत्म हो गई हैं। उर्दू की तालीम नीचे के दर्जों से शुरू की जाय। जिस तरह से गरीब मजदूर जो बैकवर्ड हैं उसी तरह के नाई, दर्जी और धुनियां भी ह और उनको भी वही सहूलियत मिलनी चाहिए जिस तरह से पिछड़े हुए लोगों को मिलती है। आखिर में फिर कहूगा कि जो जिला बाराबंकी के एस0 पी0 हैं उनका तबादला आप जरूर वहां से करवा दें नही तो कुछ राजनैतिक हत्यायें वहां जरूर हो जाएंगी।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल परसों के अखबारों में यह निकला था कि उत्तर प्रदेश में भूमि वितरण का काम पूरा हो गया है। मैं तो एक ही बात पूछूंगा कि आप किसी तहसील के ऐसे 10 गांवों के नाम बता दें जहां पर जमीन का बंटवारा पूरी तरह से हो गया हो। जमीन पर भूमिहीन का पूरा कब्जा हो गया हो। जमीन का बंटवारा सिर्फ कागज पर ही हुआ है। लेखपाल, तहसीलदार सभी लोग 50, 60 हजार से लेकर एक डेढ़ लाख रुपए तक इस मामले में बना चुके हैं। आप इनके खिलाफ जांच करवायें कि क्या सही रूप में जमीन का बंटवारा हो चुका है? जमीन के बंटवारे के नाम पर दुकानदारी हो रही है। बंटवारा नहीं हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम में परिवार नियोजन की भी बात है। सड़कों पर चलने वाले भिखारियों या बूढ़ों की नसबन्दी करने से परिवार नियोजन नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं। 10, 12 गांवों के बीच में आप एक-एक प्रसूतिगृह खोलें और या नीति या आदेश हो जायं सरकार के कि जो भी बच्चे होंगे वे वहीं प्रसूति गृह पर पैदा हों, सरकार की नीति के अनुसार 2, 3 बच्चों के बाद आप नसबन्दी अवश्य कर दें या मेरा दूसरा सुझाव है गांव पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद तक के चुनाव में खड़े होने के लिए उन्हीं व्यक्तियों को टिकट दिया जाय जो नसबन्दी का सार्टीफिकेट दाखिल कर सकें। सरकारी नौकरियों में भर्ती अवश्य कर लें पर स्थायी उन्हीं लोगों को किया जाय जो नसबन्दी करवा चुके हों, फैक्टरी लगाने के लिए लाइसेन्स, परमिट, कोटा उन्हीं को दिया जाय जो नसबन्दी का प्रमाण-पत्र दे दें। जो मजदूर 8 घंटे काम करता है उसके लिए मनोरंजन के साधन केवल स्त्री के अतिरिक्त और क्या है। इसलिए उनके मनोरंजन के साधन भी बढ़ाए जायं। इसलिए मेरा निवेदन है कि परिवार नियोजन को सफल बनाने हेतु मेरे दो सुझावों में से किसी एक पर अमल करना होगा।

हमारे देश की महान नेता प्रधान मन्त्री ने 12 सूत्री कार्य क्रम मद्य-निषेध का पेश किया लेकिन जब अंग्रेजी शराब की दुकानों का नीलाम हुआ तो एक दुकान के स्थान पर चार दकानों को नीलाम किया गया जहां एक भी दुकान नहीं थी वहां दो-दो दुकाने नीलाम की गयीं इस प्रकार आय बढ़ाना सिद्धान्त का खून है। इस तरह से प्रदेश की सरकार ने आबकारी मन्त्री ने, प्रधान मंत्री के 12-सूत्री कार्य-क्रम का खुल कर मखौल उड़ाया है। मैं आबकारी मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा अगर उनको देश के प्रधान मन्त्री के कार्य क्रम पर चलना है तो उनकी नीति को अमली जामा पहनाना होगा। अगर उन्होंने उनकी नीति का मखौल उड़ाया और 20 सूत्री तथा 12 सूत्री कार्य क्रमों को सफल बनाने हेतु केवल नारे लगाए तो इस प्रकार कोई कार्य क्रम पूरा नहीं होगा।

आपातकालीन स्थिति लागू की गयी लेकिन दुख होता है यह देख कर कि नौकर-शाही आपातकालीन स्थिति के नाम पर लाखों रुपया बटोर रही है। 5 रुपए के रिश्वत 50 रुपए तो हो गयी है पर पौने पांच नहीं हुई रिश्वत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। आपात-कालीन स्थिति का अक्षरश: पालन करने हेतु गरीबों पर से नौकरशाही का शिकंजा ढीला होना चाहिए और नौकरशाही पर शिकंजा कड़ा होना चाहिए। सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की जांच होनी चाहिए। देश के प्रधान मन्त्री ने नारा दिया था कि आपातकालीन स्थिति में रिश्वत तथा भ्रष्टाचार का खात्मा होगा लेकिन उसको उल्टा बढ़ावा मिला है और नौकरशाही दोनों हाथ से लूटखसोट कर रही है। इस पर अगर कन्ट्रोल नहीं किया गया तो 20 सूत्री, 12 सूत्री अथवा 4 सूत्री कार्यक्रम रखे रह जाएंगे, सफल नहीं होंगे और नौकरशाही अवसरवादी नेता पूंजीपति इतनी मजबूत हो जाएगी कि सरकार उसका कुछ बिगाड़ न सकेगी। उल्टे सरकार को ही अपनी मर्जी से चलाने से सफल होगी। नौकरशाही के भ्रष्टाचार तथा लूटखसोट को रोका न गया तो कोई सूत्र लागू न हो सकेगा और प्रधान मन्त्री के सब कार्य-क्रम अधूरे रह जायंगे या स्वप्न बने रहगे। आज प्रदेश के सिचाई, विद्युत् व सार्वजनिक निर्माण विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। इनमें 50 से 60 प्रतिशत तक कमीशन ठेकेदार इन्जीनियरों को देता है। अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि 1 लाख रुपए का सामान खरीदा गया

और कागजातों म 2 लाख का सामान दिखाया गया। मिट्टी नापने, सड़क नापने में ठेकेदार से मिल कर इन्जीनियर 80 प्रतिशत तक कमीशन लेता है और किसी भी इन्जीनियर के घर को देखा जाय तो उसमें साज-सज्जा आपको किसी भी मिनिस्टर के घर से कम नहीं मिलेगी। किस तरह से देश का निर्माण होगा? कितनी भी रकम आप निर्माण के नाम पर जुटा दें देश आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक ठेकेदार तथा इन्जीनियर पर कन्ट्रोल आप नहीं करेंगे। चारों तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है, नौजवानों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है। डिग्री लेकर घूम रहे हैं पर रोजगार नहीं मिलता, भविष्य उनका अन्धकारमय बना हुआ है। यदि सरकार रोजगार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले तो बेकारों की व भिखारियों की तादाद खत्म हो जाएगी। इससे उनकी निराशा खत्म होगी और आशा का संचार होगा। यदि आप चाहते हैं कि देश का मजाक जो विदेशों में उड़ाया जाता है कि यह देश भिखारियों का देश है, उस तस्वीर को आप मिटाना चाहते हैं तो सरकार को रोजगार देने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

एक तरफ हम कहते है कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। यदि हम 1960-61 के स्थिर मूल्यों को देखें तो पता चलता है कि 270 रुपए हमारी राष्ट्रीय आय है और यदि इसमें 45 प्रतिशत जो आज कर के रूप में दे रहे हैं इसमें से टैक्स को निकाल दें तो यह आय केवल 148.50 रुपये ही रह जाती है यानी 12 रुपए 38 पैसा प्रतिमाह। यह एक आदमी की एक साल की राष्ट्रीय आय है। इसी में एक गरीब से गरीब की आय शामिल है और एक करोड़पति की भी यही एक भिखमंगे की भी है। तो इस राष्ट्रीय आय को नहीं के बराबर हम समझते हैं। इसको बढ़ाना पड़ेगा। या तो टैक्सों को कम करना पड़ेगा। एक तरफ टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय आय नहीं के बराबर बढ़ रही है तेजी के साथ जन संख्या बढ़ने के कारण जो आय आज है वह गरीबी की रेखासे बहुत नीचे है। यदि अध्ययन किया जाय तो मालूम होगा कि हमारे प्रदेश व देश में 60 प्रतिशत से अधिक गरीबी की रेखा से नीचे की आमदनी पर अपना गुजर-बसर कर रहा है। जहां इतनी कम आमदनी हो वह देश कैसे प्रगति कर सकता है, यह हमारी समझ में नहीं आता। यह बहुत ही सोचनीय और विचारणीय विषय है इस सरकार को गम्भीरता से विचार करके कोई न कोई मार्ग निकालना होगा। हमें अपनी राष्ट्रीय आय को बढ़ाना पड़ेगा और वह तभी होगा जब हम इसके लिए संसाधन जुटायें, जनसंख्या पर प्रतिबन्ध लगाएं।

एक तरफ तो हम यह भी कहते हैं कि जात-पांत खत्म होनी चाहिए लेकिन कोई ठोस कदम इस सम्बन्ध में नहीं उठाए जाते। अभी हमारे साथी सोनकर जी कह रहे थे कि कहां त्यागी की आबादी ज्यादा है, कहां ब्राह्मण की और कहां हरिजन व मुस्लिम की? जाति-पांति पर ही तो उसे टिकट दिया जाता है। यदि आप जांत-पांत को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह टिकट देने का तरीका हटाना होगा। टिकट की कसौटी उस क्षेत्र में उसकी तपस्या त्याग व कर्मनिष्ठा के आधार पर उसे टिकट मिलना चाहिए। अन्तर्जातीय विवाह को आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। इस सम्बन्ध में कानून भी बनाए जाने चाहिए कि जो अन्तर्जातीय विवाह करेगा उसको सेवाओं में, लाइसेन्स, परमिट, कोटा ऋण व अन्य प्रकार की उद्योग आदि म उन्हीं को सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाएगी साथ ही जो जांत-पांत को तोड़ने में सहयोग नहीं करेगा उसे किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा उसे कोई सुविधायें नहीं दी जाएंगी। इसलिए जात-पांत के भेदभाव को समाप्त करने में अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

आपातकालीन स्थिति को लागू करके देश की प्रधान मन्त्री ने अपील की थी मजदूरों से कि उत्पादन बढ़ाओ हड़ताल मत करो। मजदूरों ने उत्पादन बढ़ाया, हड़ताल का रास्ता छोड़ा। दूसरी तरफ उन्होंने मिल-मालिकों से भी अपील की कि मिलों में तालाबन्दी नहीं होनी चाहिए। छंटनी नहीं होनी चाहिए और ले-आफ नहीं होना चाहिए। ऐसी अपील पर मजदूरों ने तो अमल कर लिया लेकिन मिल-मालिकों ने अमल नहीं किया। आए दिन छंटनी होती है, तालाबन्दी होता है और ले-आफ होता है। यदि ऐसा होता रहेगा तो 20-सूत्री कार्य-क्रम कैसे लागू होगा? यदि किसी मिल के बारें में श्रम आयुक्त से

[श्री प्यारे लाल]

कहा जाता है कि फलां मिल में तालाबन्दी हो रही है, छंटनी हो रही है या ले-आफ हो रहा है तो लेबर कमिश्नर उसकी रिपोर्ट फैक्टरी इन्सपेक्टर या लेबर इन्सपेक्टर के पास जांच के लिए भेज देता हैं। वह कैसे मजदूरों के हित में रिपोर्ट देगा ? वे ही तो मिल मालिकों को उपाय बताते हैं मजदूरों के साथ अत्याचार भी करने के, और उन्हीं के इशारे पर सारे कुकृत्य श्रमिकों पर किए जाते हैं। इसलिए कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे लेबर इन्सपेक्टर, फैक्टरी इन्सपेक्टर, डिप्टी लेबर आयुक्त, लेबर कमिश्नर ये सब के सब मजदूरों के हित की बात सोचे। मजदूरों के हितों को प्राथमिकता दें न कि मिल मालिकों के हितों को, तभी 20 सूत्री कार्य-क्रम सफल हो पाएगा वरना एक दिन वह आएगा जब मजदूर भी बगावत करेगा, फिर हड़ताल होंगी और उत्पादन गिरेगा। ऐसा वक्त न आए इसके लिए सरकार को वक्त रहते सोचना होगा। आज श्रम विभाग मिल मालिकों की वकालत करती है उसके बजाय मजदूरों की वकालत करनी चाहिए। यदि आप सही मानों में उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो फैक्टरी ऐक्ट स्टैन्डिग आर्डर्स को पूर्णतया लागू करावें जिससे 80 फीसदी झगड़े मिल मालिकों और मजदूरों के स्वत: खत्म हो जाएंगे, फैक्टरी ऐक्ट के मुताबिक ज्यादा काम करने के लिए डबुल ओवरटाइम दिया जाना चाहिए, डबल ओवर टाइम न देकर सिंगल ओवर टाइम ही मिलता है इसी प्रकार की अन्य सुविधायें हैं जो नहीं दी जाती हैं, अगर वह दी जायं तो फिर झगड़ा खत्म हो जाय।

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि आज आबकारी कर की बहुत चोरी हो रही है। चाहे वह चीनी हो चाहे वह शराब मिल हो, चाहे वनस्पति आदि-आदि जिस पर आबकारी कर लगा हुआ है उसमें 1/4 ही वसूल होता है और 3/4 बिना कर दिए ही निकल जाता है। जो वहां इन्सपेक्टर रहता है वह उसे छोड़ देता है ? क्योंकि सरकार इन्सपेक्टर को ढाई सौ और तीन सौ रुपया तनखाह के रूप में देती है लेकिन मिल मालिक उसे हजार डेढ़ हजार रुपया देता है और कार तथा अन्य सुख-सुविधायें अलग से देता है। तो इस प्रकार 3/4 माल बिना आबकारी कर दिए ही निकल जाता है। इसके लिए सरकार को देखना पड़ेगा ताकि इस पर कन्ट्रोल हो सके और चोरी में रत्ती भर माल भी बाहर न निकल पाए। यदि ऐसा हो गया तो फिर हमें टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी तीन से चार गुनी आमदनी बढ़ जाएगी और हमारे प्रदेश की उन्नति धनाभाव के कारण नहीं रुकेगी बल्कि प्रदेश उन्नति के रास्ते पर निरन्तर बढ़ेगा, अपने आप ऊपर उठेगा।

इसी तरह से बिक्री-कर के भी दोहरे और तिहरे बिल बनाए जाते हैं। एक तरफ तो खरीदार से पैसा वसूल कर लिया जाता है दूसरी तरफ सरकार के खजाने में वह जमा नहीं किया जाता है। जिसमें विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों का पूरा हाथ होता है। सरकारी चेक पोस्टों पर जो चपरासी और इन्सपेक्टर तथा अन्य अधिकारी लगाए जाते हैं वह भी एक एक महीने में 10 से 20 हजार रुपया जेब में डाल कर ले जाते हैं। हमारे यहां गाजियाबाद में पुलिस और सेल्स टैक्स के अधिकारियों में होड़ लग गई। डी0एस0पी0 ने अपने सिपाहियों से कहा कि तुम उल्लू हो, नालायक हो जब वह अपनी जेब भर रहे हैं तो तुम क्यों खाली आते हो। तो इस प्रकार से दोनों वहां पर लूट रहे हैं। मैं एक तथ्य की बात बता रहा हूं क्योंकि जब-जब बिक्री कर अधिकारियों द्वारा वहां पर छापा मारा गया तो कुछ ट्रक पकड़े गए और उनसे सेल्स टैक्स वसूल कर लिया गया पेनाल्टी के साथ। लेकिन उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जो उस वक्त ड्यूटी पर थे, कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इस तरह से कैसे काम चलेगा ? मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि सेल्स टैक्स की वसूली में कड़ाई वर्ती जाय। यदि पूरा-पूरा सेल्स टैक्स वसूल हो जाएगा तो हमारी आमदनी चार गुना बढ़ जाएगी।

एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां आज भी प्राइवट जूनियर हाई स्कूल है उनके अध्यापकों को 80 से 120 रुपए तक वेतन मिलता है। शिक्षा मन्त्री जी यहां पर

बैठे हुए हैं। उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनके अध्यापकों को हाई स्कूल या इन्टर कालेज के अध्यापकों की तरह सरकारी खजाने से रुपया दिलाएं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनके साथ अन्याय होगा और इनको 80 से 120 रुपए तक तनख्वाह मिलती रहेगी।

इसके साथ-साथ मैं शिक्षा मन्त्री जी से एक और निवेदन करूंगा इस 20 सूत्री कार्यक्रम के सिलसिले में, ताकि वह ठीक रूप से लागू हो सके और गरीब पर उसका प्रभाव भी पड़े यह घोषणा की गयी थी कि तुरन्त ही कक्षा 10 तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिये इसी सत्र में उसकी आप घोषणा करें। सन् 1957 में तत्कालीन वित्त मन्त्री स्व0 हाफिज मोहम्मद इब्राहीम ने इस बात की घोषणा की थी कि इस वर्ष तो कक्षा 6 तक की फीस सरकार माफ कर रही है परन्तु निकट भविष्य में ही कक्षा 10 तक की फीस माफ कर दी जाएगी। तो उस बचन को पूरा किया जाना चाहिए। मैं शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह कक्षा 10 तक की फीस माफी का ऐलान करें बिना किसी विलम्ब के।

हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है। काम करने वाले 32 परसेन्ट और न काम करने वाले 68 परसेंट यहां हैं। यदि प्रत्येक गांव को सड़क और बिजली से जोड़ दिया जाए तो आधी बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। इससे ग्रामों में कुटीर उद्योगों की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि सड़कों के द्वारा वह कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादित माल आसानी से शहरों में ला सकेंगे बिक्री के लिए और शहरों में कच्चा माल ग्रामों तक आसानी से पहुंच सकेगा। इसके अलावा जब गांव तक बिजली पहुंचेगी तो कोई भी खेत बिना पानी के नहीं रहेगा। बड़ी तादाद में नलकूप लगेंगे। जब जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा तो देश और प्रदेश की तरक्की होगी और हम विदेशों तक में अपने उत्पादित माल को भेज सकेंगे और उससे हम विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक हो सकेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक गांव बिजली और सड़क से तुरन्त ही जोड़ दिया जाए।

एक तरफ सरकार खपत की बात करती है और दूसरी तरफ सरकारी मोटर गाड़ियां चाहे ट्रक हों या कारें, बिना उद्देश्य के इधर-उधर घूमा करती हैं, जिनमें लाखों रुपयों का पेट्रोल यों ही बेकार में फुंक जाता है। इन गाड़ियों की कभी-कभी चेकिंग की जाया करे कि ये गाड़ियां यहां क्यों आई, तो बड़ा अच्छा होगा और सरकारी धन के अपव्यय में बहुत कमी होगी। यह चेकिंग महीने पन्द्रह दिनों में भी एक बार हो जाए तो पैट्रोल की काफी बर्बादी रुक जाएगी और लाखों रुपए की सरकार की बचत हो जाएगी।

सरकारी नलकूपों से कई लाख रुपयों का सरकार को प्रति वर्ष नुकसान होता है। एक कहावत मशहूर है दो पाव की लोमड़ी और दो सेर की पूंछ। वही बात इसमें लागू होती है, यह मोहकमा बहुत छोटा और ट्यूब वेल बहुत अधिक। महकमा आप बढ़ा नहीं सकते हैं तो आप फिर इन ट्यूब वेलों को ठेके पर दे दें। इससे 8-10 करोड़ रुपए की बचत तो होगी ही साथ ठेके की रकम से अलग फालतू आय होगी इसी प्रकार अवश्य ही सरकार की आमदनी बढ़ सकती है।

इसी प्रकार से बसों के रूट की बात है। आज 32 से 33 परसेंट तक प्रत्येक रूट्स पर बसें बढ़ाई जा रही है यह नई नीति बन रही है सरकार की। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि लोग परमिट जितने मांगें उन्हें दे दो, लेकिन रूट की कीमत निर्धारित कर दे सरकार। प्रदेश का कोई रूट ऐसा नहीं है, जिसकी कीमत 30-40 हजार से कम हो और डेढ़-डेढ़, दो-दो लाख रुपए वाले अनेक रूट हैं। इन रूटों को भी आप जनता में नीलाम कर दीजिए, इससे करोड़ों रुपए की सरकार की आमदनी बढ़ सकती है। आज परमिट अमीर ही पाता है, गरीब तो पाने से रहा और नीलाम होगा तब भी वही लेगा। तो इससे अच्छा है कि रूटों को नीलाम ही कर दिया जाए, जिससे एक बड़ी मात्रा में सरकार की आय बढ़ सकेगी।

सहकारी विभाग जो है, उसे देखा जाए, तो वह इतना भ्रष्ट विभाग है कि उसमें कहीं पैसा है ही नहीं। पैसा है तो संचालक मन्डल और सुपरवाइजरों के पास है। जनता

[श्री प्यारे लाल]

का आदमी खाद लेने जाएगा तो दो-चार जगह उससे अंगूठे लगवा लिए जाते हैं और बाद में उसका प्रोनोट बना दिया जाता है। सरकार एक साल कर्जा देना बन्द कर दे और उस साल केवल वसूली करें तो पता चल जाएगा कि वास्तव में पैसा है कहां। जो संचालक मन्डल के आदमी और सुपरवाइजर कल तक भिखमंगे थे, आज लाखों के आदमी बने बैठे हैं, उनके पास कार है, कोठी है, ट्यूब वेल है और बसें व ट्रक हैं। इस तरह से कैसे प्रदेश तरक्की करेगा, यह बात मेरी तो समझ में नहीं आती है।

एक बात इसके साथ और निवेदन करूंगा कि जब प्रदेश को उठाने की बात है, यह तो मैंने माना कि बन्धक मजदूरी खत्म की, जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतें भी कम हुई हैं, अनुशासन भी थोड़ा बढ़ा है, रेलें भी ठीक टाइम पर चल रही हैं, बिना टिकट यात्रा भी कम हो गई है, प्रदेश का बजट भी गरीबों के हित में पेश हुआ है लेकिन इसके साथ गरीबों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। गरीबों पर होने वाले अत्याचार नहीं कम हो रहे हैं। एक तरफ हम ग्रामों में भूमिहीनों को जमीन देकर बसा रहे हैं, दूसरी तरफ शहरों में नगरपालिका के एरिया में जो किसी गरीब ने पैसा देकर जमीन लेकर मकान बना लिया है, उसको हम गिरा देते हैं। नाजायज कब्जा करने के नाम पर और जो अमीर अपनी कोठी और अपनी मिल बना रखी है नाजायज, उनकी कोठी और उनकी मिल नहीं गिरायी जाती है। जब हम जमीन देने की बात करते हैं ग्रामीण अंचल में अधिग्रहण करने की, तो शहरी इलाके में जिस गरीब ने अपने पेट पर पट्टी बांध कर भूमि खरीद करके मकान बनाए हैं उन मकानों को न गिराया जाय। और यदि गिराया जाय तो उनको कहीं भी दूसरी जमीन देकर दो तीन महीने का समय दिया जाय जिससे कि वह अपना मलवा ले जाकर अपना झोपड़ा बना लें। गरीबों की झोपड़ियों को न गिराया जाय। आज हमारे गाजियाबाद में सुधार मन्डल ने करीब 10 हजार मकानों को गिराने का नोटिस दे रखा है। मान्यवर, यदि उनको गिराया जाय, तो उनको भूमि देने के बाद 2 महीने, 3 महीने का टाईम नोटिस के द्वारा दे दिया जाय और उस बीच उनको जमीन दे दी जाय, जिससे वे अपना मलवा वगैरह वहां से उठा ले जा सकें। मान्यवर, सुधार मन्डल की नीति यह थी और सरकार की भी नीति यह थी कि नो प्राफिट नो लास पर जमीन दी जाय लेकिन आज उनको बहुत महंगी जमीन दी जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि या तो उस वायदे नो प्राफिट नो लास को पूरा किया जाय या दो रुपए पर-गज जमीन किसानों को दिया जाय। जिससे जमीन सन् 1960-61 में ली गई, थी, उनको मुआवजा आज की वर्तमान जमीन के भाव को देखते हुए दिया जाय। मान्यवर, लगान के हिसाब से मुआवजा न दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

समर्थन की बात तो आपने कुछ की नहीं।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)--

मान्यवर, जिस समय 1975-76 का बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने पेश किया था उस समय एक कविता पढ़ा था। "अगर हम समुद्र के पानी को निकाल नहीं सकते, तो किसी महिला की आंसू को तो कम कर सकते हैं। अगर हम पहाड़ के पत्थर पूरी तरह हटा नहीं सकते, तो किसी आदमी के बोझ को कम तो कर सकते हैं।" तो मेरे कहने का मतलब यह ह कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह बजट पेश किया है, वह उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कदम है। पिछले साल से इस साल का बजट 35 प्रतिशत अधिक बढ़ा है। यहां पर 20 सूत्री कार्यक्रम की चर्चा की गयी। अगर हम गत वर्ष की तुलना करते ह तो आज बहुत सारे कदम नए-नए लिए गए हैं। मैंने अपने अन्य भाइयों की भी बातों को सुना, उन्होंने कहा कि सरकार ने कीमतों को कम करने में दिलचस्पी नहीं ली है। अभी ऊदल जी ने जो बात कही उससे मैं सहमत नहीं हूं। कम्युनिस्ट पार्टी का जो अखबार निकलता है

"प्रवदा" उसके करेसपान्डेन्ट दिल्ली से लखनऊ आए और उत्तर प्रदेश के शहरों म भ्रमण किया। उन्होंने लिखा है अगर हिन्दुस्तान में सारे प्रान्तों को दखा जाय तो उत्तर प्रदेश इस बात में अग्रणी है। म उस अखबार की कटिंग भी लाया हूं। इसका बजट में दिग्दर्शन ह। आप देखें कि उपभोक्ता मूल्यों के सूचकांक बहुत कम हुए। आप देखते हैं कि सब्जी आदि में लगभग 5 प्रतिशत कीमतें कम हुई हैं। बजट भाषण में इतना दिया गया है कि उपभोक्ता सामग्री की कीमतों में लगभग 4 प्रतिशत की कमी हुई है और बहुत सारी चीजों में कमी हुई है। खेल के बारे में अभी कहा गया। उसकी कीमतों में बहुत कमी आयी है। अगर सारी चीजों का विश्लेषण किया जाये तो यह मालूम होगा कि सभी चीजों की कीमतों में गिरावट आयी है। गेहूं, चावल, अरहर आदि के मूल्यों में कमी हुई है। मैं ऊदल साहब से कहना चाहता हूं कि सन्तुलित दृष्टिकोण से इसको देखें। निश्चित रूप से चीजों के दाम घटे हैं। इसलिए यह बजट स्वीकार करने योग्य है। हमारे यहां एक क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है। जिन लोगों को अपनी जमीन पर कब्जा मिल नहीं पाया है उनको कब्जा दिलाया जा रहा है। फरवरी, 1976 तक यहां भूमिहीनों को 16 लाख एकड़ जमीन दी गयी तथा 12 लाख आवासहीन परिवारों में से 82 प्रतिशत आदमियों को मकान बनाने के लिए जमीन दी गयी। विदेशी अखबार भी यह कहते हैं यहां पर 20 सूत्री कार्यक्रम बड़ी सफलता से चल रहा है। पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ह कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, और उनके दामों में भी गिरावट आयी है। गांवों में कपड़े बांटने की भी व्यवस्था की गयी है। यह सब चीजें आपातकालीन स्थिति के बाद हुई हैं। अभी हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने काफी दौरा किया है और यह देखा है कि हमारी जो योजनायें हैं वह सफल हो रही हैं या नहीं हो रही है इसीलिए वह घूम रहे हैं। यह बजट हमारे प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट है। हमारी प्रति व्यक्ति आय 1967-68 से जो 506 उससे बढ़कर 1974-75 में 800 हो गयी है। यह हमारी प्रगति की निशानी है। केरल में 10·46 रुपए प्रति व्यक्ति प्रशासन का खच आता ह। महाराष्ट्र में 19·72, मणिपुर में 16·63, पंजाब में 17·10 और यू0 पी0 में 7·16 आता है 10 करोड़ की आबादी वाल इस प्रदेश में प्रशासन पर केवल 7.16 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च आता है। हमारे प्रदेश में इतनी कमियों के बावजूद भी इतना कम खर्च है लेकिन फिर भी हमारे मुख्य मन्त्री, जो बड़े परिश्रमी हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

यहां पर कहा गया कि प्रदेश में कृषि, बिजली और सिंचाई पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। हर वर्ष के बजट को और इस वर्ष के बजट को यदि आप देखें तो पायेंगे कि इस वर्ष 540 करोड़ रुपए के बजट में 35 प्रतिशत केवल बिजली कृषि और सिंचाई पर खच किया जान वाला है। 26 जिलों में लघु-कृषक योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में हमारी सरकार कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये कृत संकल्प है और कुछ कदम आगे भी बढ़ा रही ह। रानी चौरा और मेरठ में दरौला में केन्द्र खोले जा रहे हैं जहां पर नए-नए बीजों की खोज हो सके ताकि हम प्रति एकड़ ती उपज बढ़ा सकें। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही हमारे बजट में काफी धनराशि रखी गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं। जब पंच वर्षीय प्लान आई तो पवतीय क्षेत्र की बड़ी उपेक्षा की गई थी। आज भी वहां पर सड़कों का अभाव है। हमारे यहां पर पर्वतीय क्षेत्र 6174 आज भी ऐसे गांव हैं जिनमें पानी 3-3 और 4-4 मील से पानी लाया जाता है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने दिल्ली में प्लानिंग कमीशन से कहा कि प्रदेश के पवतीय क्षत्र, जिसकी आबादी हिमांचल प्रदेश के बराबर है, की उपेक्षा हो रही है। 15-20 करोड़ का बजट अगर 30 विभागों में बांटा जाता ह तो कोई विशेष काम नहीं हो पाता है। अबकी बार उन्होंने प्रयास करके प्लानिंग कमीशन से हमारे क्षेत्र के विकास के लिए 37 करोड़ का बजट स्वीकार कराया ह। यह लगभग 15 करोड़ रुपया ज्यादा का है। इससे हम आशा करते ह कि पहाड़ का कुछ विकास हो पाएगा। अब इन्होंने एक जल निगम बना दिया है। जब यह संस्थान नहीं था तो गांवों में पानी अधिक मिलता

[श्री गोपाल दत्त ओझा]

था। अब नैनीताल और अन्य स्थानों पर निर्णय धीमी गति से हो जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना हैं कि इस कार्य को प्राथमिकता देकर पानी का प्रबन्ध होना चांहिए।

दूसरे, पर्वतीय क्षेत्र में हर कृषक के पास खाने भर को भी जमीन नहीं है। जो उसमें वह पैदा कर पाता है वह केवल 3 महीने भर के लिए ही पर्याप्त होता ह। बजट में 26 जिलों में लघु-कृषक योजना चालू हो रही है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार पैसा भी द रही है, लेकिन जहां पर किसी के पास जमीन ही नहीं है, वहां पर कोई योजना नहीं है। मरी प्रार्थना ह कि पर्वतीय क्षेत्र के जो 8 जिले हैं उसमें भी लघु-कृषक योजना चालू की जायं ताकि वहां का भी उत्थान हो सके। अभी माननीय गैरोला जी ने पहाड़ का दिग्दर्शन कराया। उन्होंने कहा कि वहां के लोग मिलिटरी में गए और कितने ही, जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई या बंगला देश की लड़ाई हुई, वीरगति को प्राप्त हुए लेकिन आज भी इस इलाके में कोई औद्योगिक केन्द्र नहीं खोले गए। यदि आप आंकड़े देखें तो पायेंगे कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में केवल 63 रुपया प्रति व्यक्ति की उद्योग से आमदनी है। अगर पूर्वी क्षेत्र को देखें तो वहां 110 है, केन्द्रीय क्षेत्र में 144 और यू0 पी0 में आमदनी 87 है। तो हमारे उद्योग तब पनपेंगे जब सड़कों का जाल बिछ जायगा। वहां सड़कें नहीं हैं। पिथौरागढ़ में माननीय राज्यपाल गए थे। उन्होंने कहा कि पूरे यू0पी0 का दौरा 4 दिन में हो गया और पिथौरागढ़ का 4 दिन में आधा भी नहीं कर सका, देख भी न सका। ऐसी भौगोलिक स्थिति है और इतने पिछड़े हुए गांव हैं। सबसे प्रमुख कार्य विकास सम्बन्धी है, उद्योग और बगीचों और टूरिज्म को विकसित करना। उसके लिए सबसे पहले पहाड़ों पर सड़कों का जाल बिछाया जाय। हमारे यहां कार्बेट पार्क है, गौरी गंगा और धौली गंगा निकलती है, लोग जाकर ग्लैशियर को देखते हैं, मीलों तक चले जाइये, जंगल ही जंगल है। पूर्णागिरी का मन्दिर है, बन्द्री नाथ, केदारनाथ ऐसे स्थान है जहां 7 लाख आदमी यात्रा पर गए हैं। लेकिन वहां पानी पीने को नहीं मिलता। एक मामूली बरतन में एक एक किलो पानी ले जाते हैं 10 किलो मीटर जाने के लिए। तो वहां पर सबसे पहले यातायात के साधन मुहय्या किए जायं और सड़कों, गाड़ियों की व्यवस्था की जाय। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश भर के लिए केवल 1 लाख रुपया दिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 50लाख दिया गया और 53 लाख खर्च हुआ और पंचम पंच-वर्षीय योजना में अब 30 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। हमारे पर्वतों में अच्छे अच्छे स्थल हैं, अच्छे अच्छे पाक हैं, तो टूरिज्म का विकास किया जाय और सबसे ज्यादा पैसा वहां दिया जाय ताकि मैदान के लोग जाकर के गरमियों में प्रकृति के दर्शन कर सकें और मन-बहलाव कर सकें। अभी 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सचिव को नियुक्त किया है लेकिन यह कार्यक्रम 371 करोड़ का ह। क्या एक सेक्रेटरी जिसके पास 2-3 क्लर्क हैं, इतना काम कर पाएगा? कितना कार्यान्वियन हो रहा है? किस हरिजन को कितनी जमीन मिली है? कितने मकान बने या नहीं? हाउसिंग बोर्ड कैसा काम कर रहा है? अनुसूचित जाति को रिजरवेशन दिया गया या नहीं? इन सब कामों को क्या एक सचिव कर सकेगा? मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि इसको सुसंगठित किया जाय और इसको एक सेक्रेटेरियट का रूप दिया जाय ताकि हम 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ध्रुव नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने जो सामान्य बजट पर बोलने के लिए समय दिया है इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं।

मान्यवर, यह जो बजट मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। बजट जो प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही सूझ-बूझ के साथ पेश किया गया है। जो हमारी माननीया प्रधान मन्त्री का 20 सूत्री कार्यक्रम है उस पर काफी प्रकाश डाला गया है और हमारें प्रान्त में हर पहलुओं पर काफी प्रगति हुई ह। चाहे वह उपभोक्ता वस्तुओं के दाम

में जो गिरावट आई है उससे सम्बन्धित हों, हमारी जो अधिकतम जोत-सीमा थी, उसमें भी काफी सुधार हुआ है। आवास के लिए भी जमीन भूमिहीनों और गलीचों को दी गयी है। जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं उनकी मंजूरी के लिए भी विचार किया गया है। कहने का त त्पर्य यह कि हमारे जो 20 सूत्री कार्य क्रम है इसपर हमारे मुख्य मन्त्री ने काफी प्रकाश डाला ह और हमारा प्रान्त आगे बढ़ा है। बड़ी खुशी होती है इस बजट को देखने से कि 82 प्रतिशत खर्चा विद्युत, सिंचाई, कृषि और उद्योग पर किया जा रहा है। इससे हमारा प्राप्त आगे बढ़ेगा इसमें सन्देह नहीं। हां, जिसके माध्यम से यह रूपया खर्च होने वाला ह उसमें गड़बड़ी है। जिस अनुपात से हमारी सरकार रुपया देती है और जितनी हमारी तरक्की होनी चाहिए उतनी तरक्की नहीं हो रही है। जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने दर्शाया है हमारी जो नौकरशाही है, जिसके माध्यम से सरकार का कार्य चलने वाला है वह जरा शिथिल है और सरकार को उतना सहयोग नहीं दे पा रही है जितना सरकार चाहती है। विद्युत् के सम्बन्ध में आज जो परेशानियां हैं जिससे आज ग्रामीण तबाह है, विद्युत् का रेट जबसे सरकार न 15 रुपया प्रति हार्स पावर किया है.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठने की कृपा करें, कोरम का अभाव है।

(गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ध्रुव नारायण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत् के सम्बन्ध में पहले यह नियम था कि काश्तकार के यहां मीटर लगा रहता था, जितनी बिजली वह इस्तेमाल करता था, उसी का उसको चार्ज देना पड़ता था। अब सरकार ने 15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह कर दिया है। रबी के लिए किसान नवम्बर और दिसम्बर के मास में पानी लेता है, तथा खरीफ के लिए वह जून तथा जुलाई में पानी लेता है। बरसात अगर नहीं हुई तो कभी और ले लिया। मगर उसको बिजली का खर्च हर माह देना पड़ता है जबकि वह बिजली हर माह इस्तेमाल नहीं करता। गड़बड़ी सरकारी कर्मचारी करते हैं और भुगतना किसान को पड़ता है। आज हालत यह है कि शायद ही कोई किसान हो जिसने अपने बिलों का पूरा भुगतान कर दिया हो, वरना सभी पर बकाया होगी। इससे किसान बरबाद हो रहा है। इस पर सरकार विचार करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। वरना कितनी ही आप 20-सूत्री योजनायें बनायें, उनका भला होने वाला नहीं है।

माननीय प्रधान मन्त्री जी के 20-सूत्री कार्य-क्रम में यह भी है कि 50 भला हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाएगी। हमारे यहां गोरखपुर की हालत यह है कि वहां केवल 49 प्रतिशत भूमि में ही सिंचाई हो पाती है। इस बजट को देखने से पता चलता है कि वहां इस वर्ष 49 से 50 प्रतिशत भूमि से सिंचाई अधिक होने वाली नहीं है। पूर्वान्चल की एक भयावह स्थिति और है। बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा बलिया आदि जिलों में बाढ़ से लगातार हर साल काफी तबाही होती है। वहां पर दो बड़ी नदियां हैं—राप्ती और घाघरा। उनमें हर साल बाढ़ आती है। इससे लगी हुई फसल बरबाद हो जाती है। यहां पर सदन में हर साल विधायक वहां की समस्या को रखते हैं, मगर कोई हल नहीं निकाला गया। सन् 1974 की बाढ़ के समय तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी गोरखपुर गए थे और बाढ़ के भयानक दृश्य को देखा था। वहां की जनता ने यह मांग की थी कि वहां पर राप्ती जल-कुन्डी योजना बनायी जाय, तभी पूर्वान्चल का कल्याण हो सकता है। वहां सदन में उसके लिए आश्वासन भी दिया गया था और बताया गया था कि इस ओर काम भी हो रहा है। इस ओर अधिक ध्यान दिया जाय। बाढ़ के समय राहत के लिए जो पैसा तथा सामान आदि दिया जाता है, वह अधिकतर गलत लोगों के पास पहुंच जाता है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राप्ती के लिए, जलकुन्डी योजना और घाघरा के लिए करनाली योजना को सफल बनावें। तभी पूर्वांचल का कल्याण हो सकता है। आज जो बाढ़ग्रस्त

[श्री ध्रुव नारायण सिंह]

गांव हैं, कुछ दिनों पहले इन गांवों की पटाई हुई थी जिससे कुछ राहत मिली। हां, यह मानना पड़ेगा कि उस समय कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिससे उसके ऊपर ज्यादा अपव्यय हुआ। लेकिन इसमें आपके लिए गांव वालों का सहयोग लेना आवश्यक है। जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं, उन गांवों की तरक्की के लिए आवश्यक है कि उन गांवों की पटाई की जाय और उन गांवों को मेन बन्धों से और जो मेन सड़क है, उनसे मिलाया जाय और उसके बाद ही उन गांवों को राहत मिल सकती है।

मान्यवर, हमारे शिक्षा मन्त्री जी उपस्थित हैं। यह बड़े सन्तोष की बात है कि हमारे शिक्षा मन्त्री जी एक बहुत ही नौजवान और मेहनती हैं। लेकिन हमारे जो ग्रामीण अंचल हैं उन पर उनकी निगाह कभी पड़ी है या नहीं? इस बात को मैं उनसे जानना चाहता हूं। हमारे शहरों के जो नन्हें-नन्हें बच्चे हैं नर्सरी स्कूलों में पढ़ते हैं, वे कुर्सियों पर बैठते हैं लेकिन हमारे माननीय मन्त्री जी ने कभी इसको भी सोचा है कि ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए कोई टाट-पट्टी भी है? और कुर्सी नहीं है तो क्या टाट-पट्टी भी उनको मिली हुई है? क्या इनके पढ़ने के लिए स्कूलों के भवन हैं? माननीय मन्त्री जी का ध्यान जरा इधर भी जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपके अध्यापक इतने हैं लेकिन अगर 10 अध्यापक स्कूल में हैं तो उनमें से 6 अध्यापक तो स्कूल में हाजिर रहेंगे और 4 अध्यापक गैरहाजिर रहेंगे। मान्यवर, वहां पर एक और योजना बालाहार नाम की चलायी गयी है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ग्रामीण अंचल के बच्चों को उसका केवल एक चौथाई हिस्सा ही मिल पाता है और तीन चौथाई हिस्सा मास्टर लोग और एस0 डी0 आई0 मिल कर खा जाते हैं। क्या इस पर भी कभी माननीय मन्त्री जी ने ध्यान दिया है? मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष के ग्रामीण अंचलों में ज्यादा लोग बसते हैं। सरकार ने लखनऊ शहर को बहुत सुन्दर बना दिया, हमारें गोरखपुर शहर को बहुत सुन्दर बना दिया, ठीक है लेकिन जब तक हमारे ग्रामीण अंचलों में तरक्की नहीं होगी, और वहां शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा चाहे हमारी प्रधान मन्त्री जी कितनी ही 20 सूत्री कार्यक्रम चलाती रहें, मान्यवर, शिक्षा की आज ऐसी दुर्दशा है, चाहे वह प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे जूनियर स्कूलों की शिक्षा हो, वह बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इसके लिए आप एक ठोस कदम उठावें जिससे हमारे ग्रामीण अंचलों में चाहे भवनों की समस्या हो चाहे साज-सज्जा की समस्या हो, चाहे वहां अनुशासन की बात हो, सब में सुधार हो हमको देश और प्रान्त आगे बढ़ाना है। मान्यवर, कहां तक बतायें यहां की हालत को? स्वास्थ्य विभाग की भी यही हालत है। हां हमारे शहरों में भले ही एक कोठी के बाद दूसरी कोठी, में डाक्टर चाहे प्राइवेट या सरकारी डाक्टर हों, लेकिन ग्रामीण अंचलों की हालत यह है कि आप जाकर देखें कि उन गावों में नरक का दृश्य दिखलायी पड़ता है। उनके दरवाजे पर घूरे पड़े दिखलायी पड़ते हैं। सरकारी अधिकारी या कर्मचारी इसको देखने भी नहीं जाता है कि वह वैधानिक है या अवैधानिक है। उनके जो नाबदान होते हैं वे स्वतन्त्र होकर सड़कों पर बहते हैं जहां पर हमारे गांव के लोग चलते हैं। परन्तु आपके अधिकारी और कर्मचारी उनको देखने भी नहीं जाते हैं। लेकिन जहां तक हमारे विकास क्षेत्रों की बात है वहां पर एक एक सेनीटरी इन्सपेक्टर होता है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह सिर्फ जाकर दूध की चेकिंग करते हैं। इधर-उधर दूध का जो लोग रोजगार करते हैं उनका दूध चेक करते हैं और दूकानों पर जाकर कड़ुआ तेल चेक करते हैं और दुकानों से उनका महीने का कमीशन बधा रहता है जो वह लिया करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करते। किसी गांव में नहीं जाते हैं। हमारे मन्त्री श्री प्रभु नारायण सिंह जी गोरखपुर गये थे मैंने उनसे शिकायत की थी कि गांवों को अगर पक्का न बनाया जाय तो कम से कम जो हमारे छप्पर हैं उनको तो साफ सुथरा रखने के लिए गांव वालों को बतलाया जाय। हमारे सामने मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था, सी0 एम0 ओ0, जिलाधीश से कहा था कि आप विधायकों की एक मीटिंग बुला लें और आप लोग बैठकर विचार कर लें और इसकी

व्यवस्था करें। लेकिन अफसोस के साथ कहना प ता है कि आज तक कोई मीटिंग नहीं हुयी और न कोई व्यवस्था हुयी। गांवों का जो नर्क है वह कटा नहीं। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इन समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, दूसरे यातायात के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। पश्चिमी जिलों में यातायात की जो सुविधा है उसको मैं नहीं जानता हूं लेकिन पूर्वांचल के जो जिले हैं उनमें जितने गांव हैं उन गांवों में से केवल 1/8 गांवों में ही यातायात की सुविधा है। बाकी गांवों में यातायात के साधन नहीं हैं। आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं कि अगर, वहां पर कोई बीमार प जाय तो उसको लाने का कोई साधन नहीं है। 8-10 मील तक किसी आदमी के कन्धे पर मरीज को लाना पड़ता है। अब तो डोली और पालकी भी नहीं चलती है। खटोले पर टांगकर लोग ले जाते हैं। इसी तरह से खेतों की अगर तरक्की सरकार चाहती है तो गांवों में यातायात की सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी। मैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब तक हमारे गांवों में यातायात की सुविधा नहीं होगी, हमारा देश और प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता।

मान्यवर, हमारा परिवहन विभाग है। यह बात सही है कि परिवहन विभाग जब से बना है, कुछ राहत मिली है। परसाल जो 40 प्रतिशत किराया ब ा है, उससे शायद परिवहन विभाग कुछ दिन चल जाय, वैसे ज्यादा दिन यह विभाग चलने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कन्डक्टर और ड्राइवर जो लोग 1 रुपय या 2 रुपये की चोरी करते हैं, उनके निरीक्षण के लिए जगह-जगह पर आर0 टी0 ओ0 और टी0 आई0 हैं लेकिन जहां पर लाखों रुपए का सामान वर्कशापों में होता है वहां पर कोई व्यवस्था चोरी को रोकने की नहीं है। हमारे गोरखपुर में एक बस जो सिर्फ 40 हजार किलो मीटर चली थी उसका एक्सीडेंट हो गया। एक टायर बर्स्ट हो गया था जिससे 2 आदमी उसी स्थान पर ही मर गये। इस सम्बन्ध म मैंने एक प्रश्न किया था लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि उसको अस्वीकार कर दिया गया। वह बस सिर्फ 40 हजार किलोमीटर ही चली थी। उसका टायर बर्स्ट हो गया। उस बस के ड्राइवर ने कई मर्तबे इसकी शिकायत की थी सम्बन्धित लोगों से, लेकिन उस बस का टायर नहीं बदला गया जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ और दो आदमी मर गए। वर्कशाप में लाखों का सामान आता और जाता है उसमें नए सामान की जगह पर पुराना सामान लगाया जाता है। डीजल और मोबिलआयल की बदली होती है। इसकी मुझे शिकायत मिली है। इसलिए सरकार जब तक ठोस कदम नहीं उठाएगी और वहां के इन्चार्ज के ऊपर जब तक कोई निरीक्षण करने वाला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इन्जन नए की जगह पर पुराने बैठाए जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि परिवहन विभाग इस बढ़ोत्तरी पर कब तक चलेगा? कब तक 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत करेंगे? इसी हिसाब से परिवहन विभाग चल रहा है। एक दिन यह विभाग अवश्य बैठ कर रहेगा, यदि सुधार नहीं किया गया।

मान्यवर, एक बात नियोजन की भी है। मुझे इसकी जानकारी है कि एक विकास क्षेत्र में कम से कम 30 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। लेकिन कोई भी बतला दें कि 30 पैसे का काम इस समय हो रहा है। क्या इसके लिए सरकार पर कोई जुर्रंगी है? मानता हूं कि कर्मचारी इससे रोजगार पाते हैं और उनको कामों में फंसाए हैं जिससे ग्रामीण अंचलों की प्रगति हो। किन्तु यह उस समय था जब किसानों को बताना था कि आप इतनी खाद डालें और इतना पानी दें लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं है। आज वह कर्मचारी क्या कर रहे हैं? वह केवल बैठे-बैठे टी0 ए0 ले रहे हैं और फर्जी डायरी भर देते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि उनको कुछ काम दें जिससे प्रदेश की और क्षेत्र की प्रगति हो सके। परिवार नियोजन में हम लोगों का फर्ज है कि जो भी देखें उसको सरकार को बतावें कि कहां तक असलियत है? अभी एक सप्ताह परिवार नियोजन का मनाया गया था। यह सही है कि अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह लादा गया था कि इतने-इतने केसेज

[श्री ध्रुव नारायण सिंह]

द। लेकिन वे केस नहीं हैं जो भीख मांगते हैं, गरीब हैं या जिनके पास औरत नहीं है उन्हीं की नसबन्दी कराए हैं। मैं और सभी जानते हैं कि इसकी आवश्यकता है लेकिन इसका जो तरीका आपके अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनाया है, उसको बदलें तभी देश की प्रगति हो पायेंगी।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—
आप सुझाव दें।

श्री ध्रुव नारायण सिंह—
सुझाव तो दे रहा हूं। नसबन्दी कराने वाले गरीब हैं, जो स्कूटर लेकर घूमते हैं, वह नहीं हैं।

श्री राज बहादुर चन्द—
आप नसबन्दी कराए हैं कि नहीं?

श्री ध्रुवनारायण सिंह—
हम भारत के स्वतन्त्र नागरिक ह। जो हमारी पुरानी परम्परायें थीं कि हमें संयम और नियम से रहना चाहिए। तो मैं वैसे रहता हूं इसलिए हमें परिवार नियजन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लोग पुरानी जो परम्परा और नियम है उनके साथ रहें तो नसबन्दी की आवश्कता नहीं होगी।

श्री राजबहादुर चन्द—
आप तो संयम और नियम से रहने नहीं देना चाहते।

श्री ध्रुवनारायण सिंह—
एक छोटी सी शिकायत करना चाहता हूं। हमारे गोरखपुर में यह पता चला कि चीनी नहीं मिल रही ह। जब राशन की दुकान वालों से सम्पर्क किया तो उन्होंने बतलाया कि चीनी के साथ बजरी दे रहे हैं। हम बजरी का क्या करेंगे? जब सप्लाई आफिसर, गोरखपुर से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें यही आदेश हैं सरकार से। मैंने कहा कि हम सरकार से कल पूछेंगे। मान्यवर, जब विकराल बाढ़ आयी थी और हम बजरी भी चाहते थे तो वह नहीं दी गयी और आज जब कि आप एक किलो चीनी प्रति परिवार गांव में देते हैं तो साथ में बजरी देते हैं। क्या सरकार का यही रवैया है? अगर यह रवैया ह तो इसको बदलना चाहिये। मान्यवर, सुरक्षा के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। हमें उस समय का पूरा होश है जब हमारे यहां ब्रिटिश हुकूमत थी। आज हम देखते हैं कि सब मायने में देश ने प्रगति की है लेकिन सुरक्षा के मामले में आज भी कोई अपने को सुरक्षित नहीं पा रहा है। चाहे शहर में रहता हो या ग्रामीणअंचल में रहता हो अपने को रक्षित नहीं समझ पा रहा है। इसका कारण यह है कि कानून में ढिलाई आ रही है। अनधिकृत रूप से लोग कहीं कट्टा लेकर चलते हैं तो कहीं पिस्तौल लेकर चलते ह। अगर पकड़ा गया तो महीने दो महीने की सजा हो जाती है और अगर दरोगा जी प्रसन्न हैं तो वह भी नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए कड़े कानून बनाये जायं जिससे कि यह अराजकता रुके और शांति स्थापित हो। एक और निवेदन सरकार से करना चाहूंगा कि पुलिस का आज भी पुराना रवैया है। हमारे ऊपर डाका पड़े या कत्ल हो या बलवा हो और हम उनकी शरण में रक्षा के लिये या न्याय के लिये जाएं तो कत्ल की या डाके की रिपोर्ट बगैर पैसा लिये नहीं लिखी जाती। अगर हमारे घर में कोई घुस आये और हमको मारे और हम रिपोर्ट करें तो हमें भी और उस पार्टी को भी 107 में फंसाया जाता है। हम ग्रामीण अंचल में रहते हैं और जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी बातों को मैंने सरकार के सामने रखा है। मैं आशा करता हूं कि इन पर सरकार ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं जो बजट हमारे सामने ह, उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जमीन के बटवारे का जो काम अपने हाथ में लिया यह बहुत अच्छी बात ह। इसी सवाल को लेकर हम बहुत दिनों से इन प्रतिक्रियावादी ताकतों से ल ाई ल ड़ते चले आ रहे हैं। जो ल ाई हम लोगों को ल ड़नी पड़ी, उसको आप सभी लोग जानते हैं। लोक पक्ष के नेता चौधरी चरण सिंह यह कहा करते थे कि जमीन कोई रब ! नहीं है जिसको जितना चाहें घसीट ल। वे जमीन के बटवारे के घोर विरोधी थे। एसा नहीं है कि इसको घसीट कर मजदूरों, हरिजनों या अन्य लोगों में बांट दिया जाय। कांग्रेस ने भी इस ल ाई को आगे ब ाया है और ऐसी ताकतों को उसने शिकस्त दी थी। अब 20 सूत्री कार्यक्रम में इस कार्य को करने का निश्चय किया गया जो बहुत अच्छी बात है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी शक्तियां और ताकतें ऐसी हैं या कमियां हैं जो उस कार्य को आगे बढ़ाने में अ ंगा डाल रही हैं। इसमें कुछ तो प्रशासकीय अधिकारी हैं और कुछ सामन्तवादी तत्व हैं जो इस कार्यक्रम को सफल नहीं होने देना चाहते हैं। सरकार को चाहिये कि इन तत्वों पर क ी नजर रखे। यह समझ लिया जाय कि सरकार का आदेश हो गया है तो यह हो जायगा यह बात नहीं है। गांव समाज की जो जमीन बांटी गई है वह सिर्फ उन्ही लोगों को पट्टा दिया गया ह जिसको लेखपाल, तहसीलदार या जिले का अधिकारी चाहता है। उसी के नाम पट्टा लिखा जाता है। सारी जोत बही और पट्टे लेखपाल के बस्ते में आज भी हैं। अपने बस्तें में उसको रखकर वह दुकानदारी कर रहा ह। सरकार की जो ढुलमुल नीति है मैं उसकी ओर भी कुछ इशारा कर दूं। अभी 6 मार्च को शासन ने आदेश कर दिया कि गांव समाज की रिजर्व भूमि का बंटवारा एकदम रोक दिया जाय। पूरे प्रदेश में यह प्रतिक्रिया हुई कि अब जमीन का बटवारा सरकार ने रोक दिया है। जो आगे आर्डर्स हुये हैं, उससे सारे प्रदेश में हलचल मच गई और सारी हवा ही बिग ; गई कि जमीन अब नहीं बटेगी। हमने इसको यहां रखने की कोशिश की और मंत्रियों से भी कहा कि इससे 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख मुद्दा ही समाप्त हो गया है और इसकी जांच की जाय। गांव समाज की 8 प्रतिशत ही ऐसी जमीन थी जो बंट सकती थी लेकिन बीच में उस काम को रोक दिया गया कि अब जमीन नहीं बंटेगी। इसके बाद जो दूसरे आदेश गये उनकी जांच शुरू की जाय। प्रदेश की जनता और तमाम प्रगतिशील शक्तियां यह सोचती थीं कि प्रतिक्रियावादियों को शिकस्त दी गयी है, जमीन बटेगी, खेतिहर मजदूर व हरिजनों को जमीन मिलगी और उनका भाग्य खुलेगा लेकिन सरकार के दुबारा आदेश ने खलबली पैदा कर दी और यह प्रचार होने लगा कि सरकार जमीन के बाटने का काम नहीं करना चाहती। सरकार की यह मंशा न हो लेकिन जो आदेश जा रहे हैं उनसे जमीन के बंटवारे में भारी क्षति पहुंच रही है। कोई भी जमीन खाली नहीं प ी है। वह ब ड़े-ब े सामन्तवादियों तथा प्रतिक्रियावादी लोगों के हाथों में है। उन्हें सरकार उन जमीनों पर से हटा नहीं सकती और लगातार वह लाभ उठा रहे हैं। आपकी पूरी फोर्स भी लग जाय तब भी मजदूर को, हरिजन को आप जमीन दे नहीं पायेंगे, आप उन्हें डिसपजेस नहीं कर सकते क्योंकि 8 परसेन्ट से कम का सवाल है। आप पुराने आदेशों को तुरन्त रद्द कर दें क्योंकि इससे प्रदेश में हवा ब ी खराब हो गयी है और इस बात की कोशिश की जाय जो जमीने बटी हैं उन पर तुरन्त कब्जा दिलाया जाय ताकि जो इस बीच में हवा खराब हुई है, उसे ठीक किया जा सके।

सीलिंग की जमीनों पर कानून पर कानून बना दिये, लेकिन सन् 60 में जो सीलिंग का कानून बना था और उसके अन्तर्गत जो जमीन निकली थी वह आज तक नहीं बांटी जा सकी। इस सम्बन्ध में मजबूती से कदम उठाना होगा। अगर सरकार की मंशा जमीन बांटने की है, जिस पर हमको कोई शक नहीं है, तो उसे अपना कदम इस सम्बन्ध में पक्का और मजबूत उठाना होगा। जमीनों के न बटने का सवाल कोर्ट्स में हैं जिनमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस अदालत से उस अदालत, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट्स और फिर रिमांड। से इस तरह से नाचते रहे और 16 साल हो गये लेकिन सीलिंग की जमीन हम बांट नहीं पाये। जो ऊबड़ खाब ; जमीन थी अथवा जिसमें मुकदमा ल ड़ने में लास होता था उसको तो छोड़ दिया

[श्री राम सजीवन]
लेकिन जो जमीन अच्छी थी और ज्यादा निकलती थी उसको कतई नहीं छोड़ा गया और लगातार अदालतों में मुकदमें चलते रहे, लगातार क्षति पहुंचती रही। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाये कि सीलिंग कानून से जो भी जमीन फालतू घोषित की जाय, वह अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अदालतों में ऐसे केसेज बढ़ते रहेंगे। हम देखते हैं कि बांदा में हजारों मुकदमें अदालतों में पहुंच गये हैं। बड़ी-बड़ी नोटिसें दी जा रही हैं। इसलिये यदि प्रधान-मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जमीन के बंटवारे के कार्य को मजबूती क साथ करना है तो शीघ्र इस पर विचार कर कड़े कदम उठाये जाने चाहिये जिससे जमीन का बंटवारा सही मानों में हमारे प्रदेश में हो सके।

भूदान की भूमि के बारे में हमें अनुभव है। ऐसी जमीनों पर हरिजनों और मजदूरों ने कब्जा किया। अपने खून पसीने की कमाई उस जमीन पर लगायी किन्तु मैं साफ कहना चाहता हूं कि कुछ आपके बीच के ही बड़े नेताओं ने हमारे जिले में 3-4 महीने पहले उन्हें खदेड़ दिया और उनकी 10/12 साल की सारी कमाई लूट ली। हमने वहां अधिकारियों और माल मंत्री से भी कहा। मेरे पास वे सब फैक्ट्स है। मैं आपको बता सकता हूं और माननीय सदस्यों को भी पेश कर सकता हूं। उन्होंने जबरदस्ती उन्हें खदेड़ दिया। ऊंचे अधिकारियों और सरकार से कहते हैं तो सरकार कहती है कि कागज पर इंट्री नहीं हो पायी। जमीन पर मौके पर कब्जा मिल जाता है फिर भी इंट्री नहीं की जाती है। इस लिये यह एक जटिल सवाल है कि कब्जा सही तौर पर कैसे दिया जाय। ढुलमुल की नीति से काम नहीं चलेगा। सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सवाल को विफल कर देना चाहते हैं। उनके ऊपर सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। जबान से नहीं, नमूना दिखाकर करना पड़ेगा। भाषणों में तो सरकार की तरफ से कहा जाता है, बयान दिया जाता है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही होगी लेकिन जब मामला जिलों में जाता है तो कुछ नहीं है पाता। इसलिये इस सवाल को मजबूती के साथ लेना चाहिये।

जहां हम सरकारी नीतियों की आलोचना करते हैं वहीं हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। हमारे जिले में ग्राम समाज की 13 हजार हैक्टियर जमीन बांटी गई है। इसके अलावा और भी जमीन है और वह भी बांटी जायेगी। कुछ हरिजनों का भला हो सकता है। लेकिन जो गड़बड़ियां हैं उन्हें दूर किया जाय। तभी फायदा हो सकता है। वरना यह बंटवारा सही नहीं हो सकता। जमीन का बंटवारा मजबूती के साथ होना चाहिये।

सिंचाई का सवाल है। बजट पर इस सवाल पर बहुत जोर दिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। प्रदेश में सिंचाई की क्षमता बहुत कम है। जो भी सदस्य सिंचाई या मंत्री होते हैं, वे सभी चाहते हैं कि प्रदेश में सिंचाई की क्षमता बढ़े। ट्यूबवेल लगाये जांय, लिफ्ट लगाये जायं। मैं बुन्देलखंड के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। वहां पर ट्यूबवेल बहुत कम सफल हो पाये हैं। वहां की ज्योग्राफिकल स्थिति ही ऐसी है। कुछ इलाकों को छोड़कर वह सिंचाई नहीं हो सकती, ट्यूबवेल नहीं लगाये जा सकते। इसलिये वहां नदियों, नालों और बांध बनवा कर सिंचाई की व्यवस्था सरकार कर सकती है। बुन्देलखंड की सिचुवेशन ऐसी है कि वहां जितने नदी नाले आते हैं, वह सब मध्य प्रदेश से आते हैं। जब उन पर बांध बनाने का सवाल आता है तो मध्य प्रदेश सरकार फौरन अड़ंगा लगा देती है। वह कहते हैं यह नाला हमारा है और अगर हम उसमें बांध बना देंगे तो तुम्हारा रुपया बेकार जायेगा। इसलिये तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देते हैं। इसलिये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बिना मध्य प्रदेश सरकार की इजाजत के बांध नहीं बना सकती है। यह एक बड़ी समस्या है। आप जानते हैं कि आज जिस तरह से इंटर-स्टेट क्वैरल चल रहे हैं वह ऐसा मालूम होता है कि इटरनेशनल क्वैरल हों। तो हमारी यह प्रोबलम है। लेकिन इस इमरजेन्सी के समय में कुछ समस्या हल हुई है। राजनाथ बांध की समस्या के बारे में मुख्य मंत्री जी ने बताया है वह वहां गये थे, उन्होंने कहा है कि उसे हल कर रहे हैं। इमर-

जेन्सी में अब लड़ाई कम हो रही है और लोग अनुशासित हो रहे हैं। अब हमारी सरकार ने इस बजट में पयखनी नहर परियोजना के लिये प्राविधान किया है और 50 लाख की बुदेलखंड के लिये यह नहर परियोजना स्वीकृत की है। वह कुल 5 करोड़ की योजना है। इससे बुन्देलखंड के एक हिस्से को सिंचाई सविधा मिल सकेगी। तो इसमें भी मध्य प्रदेश सरकार ने अ गा लगा दिया कि तुम नहीं बना सकते। तो मेरा मुख्य मंत्री जी से विशेषकर निवेदन है क्योंकि वह सेंट्रल वाटर पावर कमीशन के और जोनल काऊंसिल के मेम्बर हैं। वह बुन्देलखंड की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दे जिस तरह वह पहाड़ी क्षेत्र के लिये वहां की समस्या को हल करने के लिये ध्यान दे रहे हैं। अगर वह इस तरह से ध्यान देंगे तो वहां की समस्या दूर हो जायेगी।

तीसरा मेरा निवेदन भूमि संरक्षण के बारे में है जिसका संबंध श्री वीरेन्द्र वर्मा जी से है। इस बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था कि यह विभाग जो बंधी डालता है वह जबरदस्ती किसानों के खेतों में डाल देता है और उसका पैसा किसानों से वसूल कर लेता है। अगर किसान नहीं देता है तो पुलिस के द्वारा उसे मार पीट कर वसूल क लेते हैं। किसान आपके इस भूमिसंरक्षण के काम को पसन्द नहीं करता है। यह काम 15 साल से चला आ रहा है, इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है। जो भी नया कृषि मंत्री आता है, उस विभाग के डायरेक्टर फौरन मंत्री जी से एक बयान दिला देता है कि भूमि संरक्षण का काम बहुत जरूरी है और इससे फायदा होने वाला है। पिछले 15 साल का मेरा अनुभव है कि लाखों रुपया, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत बंधियों में खर्च होता है, वह बरबाद जाता है क्योंकि वहां की टोपोग्राफिक कंडीशन ही एसा है। उससे किसान बरबाद हो गया है। वह बंधियां बह गई हैं और उसका पैसा किसानों से वसूला जा रहा है, जिससे उनमें हाहाकार मचा हुआ है। तो इस बात को मजबूती के साथ देखा जाय कि इससे कैसे फायदा हो सकता है? पुराने तरीके से यह स्कीम बनती रही और सेन्ट्रल प्लानिंग कमीशन ने बांध बांधने की स्कीम बना दी तो इससे मिट्टी बहती चली जायेगी और कोई फायदा नहीं होगा। इस बात को रोकना है। तो स्वायल कंजरवेशन करना है, इसको कोई देखता नहीं है, कोई देखने आता नहीं है कि यह किस तरह से हो रहा है। इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पहल करें। आप मौके पर अध्ययन कीजिए और उसमें आवश्यक परिवर्तन करवाइये।

हमारे बांदा जिले में हरिजनों पर अत्याचार की खबरें आपको अक्सर मिलती रहती हैं और उसका सामाजिक और आर्थिक कारण भी है। वहां पर गांव समाज की भूमि बहुत है, हरिजन चाहते हैं कि वे जमीने बंटे और सरकार उस पर कार्यवाही करती है तो वह उसे लेते भी हैं। इस पर सामन्तवादी तत्व उनसे नाराज होते हैं और वह उन पर जुल्म ढाना शुरू करते हैं। इसलिये हरिजनों पर हमारे जिले में विशेष रूप से अत्याचार होता है। अभी एमरजेन्सी पीरिएड में जमीनों पर कब्जे को लेकर अमली कौरा राजापुर गांव में दो हरिजनों की एक साथ हत्या कर दी गई। किन्तु इस सबंध में अच्छी बात यह है कि इस कांड की जांच करने के लिये सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की। मुख्य मंत्री ने राज्य गृह मंत्री को तुरन्त वहां भेजा, उन्होंने वहां पूरी छानबीन की और शासन की भावना का पूरी तरह से जनता को परिचय दिया और वहां के हरिजनों ने भी समझा कि सरकार हमारी ओर से सचेष्ट है। उन कातिलों को सरकार ने मीसा के अन्तर्गत बन्द किया। यह एक सही और मजबूत कदम है, जिसे सरकार ने उठाया है। उसके लिये हम इस सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करत हूं कि अत्याचार और सामन्तवादी तत्वों को रोकने के लिये एसे ही कदम उठाए जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश आगे बढ़ेगा और देश की जनता को भी राहत मिलेगी।

एक बात और कहना चाहूंगा कि जब हमारे मंत्रिगण जिलों का दौरा करते हैं तो वे बहुत से वायदे कर देते हैं, लेकिन उनका कहीं प्राविजन नहीं होता है, न वे किसी लिखा-

[श्री राम सजीवन]

पड़ी में होते हैं, न बजट में उनका प्राविधान होता है। अनेक ऐसे ही बेबुनियाद वायदे कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिये, हमारे जिले में भूतपूर्व मुख्य मंत्री बहुगुणा जी अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में गये थे, वह हैलीकाप्टर से वहां उतरे, हजारों आदमी हेलीकाप्टर, देखते ही पहुंच गये। वहां उन्हें एक बालिका इन्टर कालेज का शिलान्यास करना था, क्योंकि वहां पर आज तक कोई बालिका इंटर कालेज नहीं है। हजारों लोग वहां पहुंचे। शहर से भी तमाम लोग पहुंचे, उन मुख्य मंत्री जी ने उस कालेज का शिलान्यास किया, उनके नाम का बोर्ड लगा। चुनाव के बाद उसी के दरम्यान का यह किस्सा है। वह बोर्ड, शिक्षा मंत्री जी आज भी वहां लगा हुआ है। लेकिन बोर्ड के अलावा कुछ नहीं है। वहां के लोग चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि आप वायदे असत्य करते हैं, वहां कुछ बिल्डिग मैटेरिएल भी पड़ा हुआ है। 3-4 साल से उसके लिये बजट में कोई प्राविजन नहीं हुआ है। मैं इस बजट को उसके लिये खास कर देखता रहा। आप बहुगुणा जी के वायदों को तो पूरा कराइये। ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, बोर्ड लग जाए, पत्थर लग जाए और काम नदारद हो। इसी तरह से माननीय सालिगराम जायसवाल, जब वह स्वास्थ्य मंत्री थी, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वह वहां गये और उन्होंने करवी कस्बे में एक बड़े भारी अस्पताल का मल्टी-परपज अस्पताल का, शिलान्यास किया था और वहां उनका पत्थर लग गया। और यह पत्थर लगा चूंकि सड़क के किनारे इसलिये कि लोग उसे बहुत देखते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--
ये माननीय शिक्षा मंत्री जी को ले जायं।

श्री राम सजीवन--
शिक्षा मंत्री जी को भेज दें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मैंने माननीय प्रभुनारायण सिंह जी को लिखा कि इस तरह से पत्थर लगा दिया जाय और उसमें काम 3-3, 4-4 साल तक न किया जाय, तो इस तरह से सरकार के वायदे को पूरा नहीं किया जाता है, या तो फिर वायदा करिये ही नहीं। यह कहने की बात नहीं और न सलाह की बात है। इसमें क्या कहना है। अब स्वायत्त-शासन मंत्री और पूरी सरकार से, ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है, आपकी।

पेय जल की समस्या कठिन है और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पेय जल उतना ही आवश्यक है जितना कि फूड की। पूरे शहरों में पेय जल की जो समस्या चल रही थी, और मेरे बांदा क्षेत्र में 2 करोड़ रुपये की पेय जल की योजना चलाई गई। वहां पर 10-10 मील से पानी पैदल लोग लेते थे। पिछले वर्ष 255 गांवों को पानी उस योजना के द्वारा सप्लाई किया गया। लेकिन पिछले वर्ष, मैं सुनता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने कुछ दबाव डाला, तो पेय जल की समस्या जो है उसे जल-निगम को दे दिया और जल निगम ने एक और बना दिया जल-संस्थान। अब दो हो गये और दोनों कहते हैं कि हम कामर्शियल बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो जो दो करोड़ की आपकी योजना थी, जो 255 गांवों को पानी पिला रही थी, अब 55 गांवों को ही पानी पिला रही है, क्योंकि जो आंकड़े आते हैं उन पर कोई गर्व नहीं किया जा सकता। जिससे हरिजन पानी पीने के लिये पाता था, वह सारे नल काट दिये गये। अब किससे कहें। इग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा तो वह कामर्शियल स्थिति को ले लेते हैं। जब गर्मी का दिन आ गया और यह जल संस्थान और जल निगम कामर्शियल बेसिस पर हो या चाहे जिस बेसिस पर हो, तो इस पर सरकार को कदम उठाना चाहिये। आप चाहे जो व्यवस्था करें गर्मी के दिनों में, जनता को पीने के लिये पानी निश्चित रूप से मिलना चाहिये। यह सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी है। जनता क्या सोचती है आपके और हमारे बारे में। यह नहीं जानती है कि कामर्शियल बेसिस पर जल संस्थान जल-निगम चला रहा है। ग्रामीण यह पूछता है हमसे कि भाई क्या हो गया है सरकार को, ये तमाम टंकी बनी हैं और तमाम लाइनें बनी हैं और तमाम व्यवस्था है, दो साल

हमें पानी मिला और इस साल एक दम से काट दिया गया। सब लोग कहते हैं कि क्या यह सब इमरजेन्सी के कारण हुआ है। इसलिये कोई न कोई तरीका आप अवश्य निकालें और इस पेय जल की योजना को हल करें। यहां पर मान्यवर, इतना कष्ट है पानी का जिसकी कोई हद नहीं है। पहले सरकार ट्रकों से, रेल से और बैलगाड़ियों के जरिए से पानी पहुंचाती थी। आपने योजना अच्छी बनायी थी लेकिन जब से यह जल संस्थान बन गया है यह उस योजना को मिट्टी में मिलाए दे रहा है। जल निगम में जो भी सदस्य हैं उनकी निगम से कोई दिलचस्पी नहीं है और न वह निगम का काम देखते हैं, यह हालत है पब्लिक के आदमियों की, और जो सरकारी अफसर हैं वह सरकारी चाल-ढाल रखते हैं। मेरा सुझाव है कि जिस तरह से नगर महापालिकाओं में ग्रान्ट दी जाती है उस प्रकार इसकी भी व्यवस्था की जाये तो समस्या काफी हल हो सकती है। 10, 20 लाख रुपया पाटा-योजना को देकर उसकी व्यवस्था को ठीक किया जाये।

माननीय ऊदल जी ने कई बातों की ओर इशारा किया, एक तो विद्युत् परिषद् की ओर इशारा किया गया। मैं भी इसके बारे में एक दो उदाहरण देना चाहता हूं, एक तो वहां पर सही ढंग से काम नहीं होता है। आपने दुग्ध उत्पादन के लिये एक प्रयोग चित्रकूट दुग्ध-विकास निगम बनाया था और इसका कार्य-क्षेत्र भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बहुगुणा जी का क्षेत्र और हमारा क्षेत्र रखा गया। अब इस निगम की कार्यवाही देखिए। इसके मालिक कोई अहमदाबाद के सेठ हैं और कोई यहां सेक्रेटेरियट के व्यक्ति हैं। उनको मौका नहीं लगता है कि वे यहां पर जावें। साल 6 महीने में अगर चले गये तो चले गये। इन लोगों ने एक आदमी रिटायर्ड रखा है, जिसको ढाई हजार रुपया महीने दिया जाता है। सरकार जो ग्रान्ट दे रही है सब बेकार हो रहा है। उसकी कार्य-पद्धति में सुधार किया जाना चाहिये। सरकारी अफसरों के स्थान पर जनता के आदमियों को रखा जाना चाहिये। यह निगम जो है अफसरों का अड्डा है। यहां पर लाखों रुपये की जमीन है और बहुत सी ग्रान्ट दी जाती है। इसका सुधार होना चाहिये। वह योजना सही है।

माननीय सदस्यों की एक यह भी राय है कि एमरजेन्सी के दौरान भी क्राइम सिचुएशन खराब है। एमर्जेन्सी के लागू होने के कुछ दिन तक तो सुधार रहा लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट आने लगी है। इस गिरावट के और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह है कि आप जो अपने अधिकारियों को प्रोमोशन देते हैं, पता नहीं क्या आप सिफारिश-वाद के आधार पर देते हैं। मैं साफ बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एक श्री मेहरबान सिंह जी एस0 पी0 थे, खूब शराबी और भ्रष्टाचारी थे और उन्होंने बांदा पुलिस फोर्स को भी भ्रष्ट कर दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके खिलाफ आन्दोलन भी किया। माननीय बहुगुणा जी ने स्थिति को समझा और उन्हें बदायूं भेज दिया। जब उनकी इन्टैग्रिटी डाउटफुल है तो कैसे उनको एस0 एस0 पी0 बना दिया गया। तो इस प्रकार के कार्यों से आज पुलिस फोर्स की जो कार्यकुशलता है, वह गिरती जा रही है, उसमें खराबी पैदा हो गई है। सदन के सभी माननीय सदस्य इस राय के हैं कि आज प्रदेश में शांति व्यवस्था बिगड़ रही है और इसको तुरन्त सुधारा जाय।

इन शब्दों के साथ, आपने मुझे जो सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

*श्री धर्मपाल सिंह (जिला अलीगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य बजट पर बोलने का आपने जो मुझे अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं जिला अलीगढ़ से चुन कर आता हूं, जो कृषि के मामले में सर्व प्रथम या द्वितीय स्थान पर रहा है। मेरे क्षेत्र सासनी में एक वर्भाना नाम का गांव पड़ता है। उसके आसपास बड़ी मात्रा में गुलाब पैदा होता है और गुलाब का इत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्मपाल सिंह]

और गुलाब–जल पूरे भारतवर्ष में भेजा जाता है। वर्मानी में जाने आने का कोई रास्ता नहीं है जबकि वहां से करोड़ों रुपये का यह सामान वर्षों से बाहर भेजा जाता रहा है। वहां पर सासनी से वर्मानी तक एक जिला परिषद् की सड़क है। उसी पर सिंग्री नदी का पुल टूटा पड़ा हुआ है, जिसके कारण 8–10 मील के रास्ते को 20 मील की दूरी तय करने के उपरान्त तय करना पड़ता है। तो वहां पर जनता गुलाब पैदा करती है, वहां पर गेहूं होता है जो कि पूरे प्रदेश और देश में जाता है, लेकिन आने–जाने का रास्ता कोई है या नहीं, इस ओर वरिष्ठ अधिकारियों ने या सरकार ने कोई नजर नहीं उठाई। चाहे चीन का हमला हुआ हो या पाकिस्तान का या कोई और लड़ाई हुई हो, वहां की जनता हमेशा आगे रही और लेवी के मामले में भी सबसे आगे रही। अल्प–बचत योजना में भी सबसे आगे रही लेकिन वहां के सुधार के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया और जनता उस इलाके को उपेक्षित और पिछड़ा हुआ ही मानती है। अगर इस रोड के बनने में पैसे का अभाव हो तो इस पुल को जरूर बनवाया जाय। उस इलाके का सर्वेक्षण होना चाहिये और गुलाब की खेती की उन्नति की तरफ नजर उठानी चाहिये। वहां वरिष्ठ अधिकारियों का दल भेजा जाय और देखा जाय कि कितनी सुन्दर भूमि है, गुलाब की खेती के लिये। गुलाब तो लखनऊ के पास मलीहाबाद में भी होता है, लेकिन बाड़ और बरमाना की जमीन की एक विशेषता रही है कि फूल और उसके इत्र में बड़ी सुगन्ध होती है और वहां तैयार किये गुलाबजल में भी विशेषता होती है जो कि उच्च–कोटि का होता है, जिसे पूरे देश के लोग मानते हैं। वहां की जनता तो वैसी ही हीन–दशा में रही लेकिन उस पैदावारी से व्यापारियों ने लाभ उठाया और जिनके पास खाने–पीने को नहीं था, वे करोड़पति और लखपति हो गये। मार्च के महीने में फसल चलती है और उस एक महीने में व्यापारी लोग गुलकन्द बनाते हैं और गुल–कन्द के नाम पर 22 साल से एक एक आदमी के पास सौ–सौ बोरी चीनी के परमिट रहे हैं और जिनके पास खाने को नहीं था, आज उनकी बिल्डिगें की बिल्डिगें खड़ी हो गयीं।

श्री उपाध्यक्ष––

(कुछ सदस्यों से) माननीय सदस्य जरा सदन की मर्यादा कायम रखें। आखिर सदन का कार्य कैसे चलेगा? इस सदन की मर्यादा आप पर ही मुनहसिर करती है।

श्री धर्मपाल सिंह––

मैं पद–यात्रा के लिये उस क्षेत्र में गया था और पार्टी के कार्यकर्ता भी गये थे। तो जनता ने कहा कि हम जब इतना पैदा करते हैं तो हम तो वहीं पर हैं लेकिन जिस गुल कन्द के नाम से लोगों ने कोटा–परमिट ले लिये वे करोड़पति और लखपति हो गये। क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी? आज भी वहां पर इस प्रकार की बातें चलीं तो कल परसों ही 54 बोरी पकड़ी गयीं। एक व्यापारी मीसा में जरूर बन्द हुआ, लेकिन पता लगाया जाय कि कितने ऐसे व्यापारी जनता का खून–पसीना चूस रहे हैं और उसका शोषण कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि यहां से 10–15 मील के एरिया में कोई जाने का रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ नानऊ से सासनी, हाथरस जंकशन से लाड़पुर, सलेमपुर से इन्टर कालेज सिगतरा और नगला से विजयगढ़, ये ऐसी सड़कें हैं जिनके आस–पास कृषि का उत्पादन होता है लेकिन सिवाय सर पर बोझ ले जाने और बैलगाड़ी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो उस क्षेत्र का अवश्य सर्वेक्षण करायें। जब उत्पादन की ओर हमारा इतना ध्यान है तो उस क्षेत्र की ओर नजर अवश्य जानी चाहिये और वहां की जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिये।

इसके अलावा मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने हरिजनों के मामले में जो कदम उठाये हैं, पुलिस प्रशासन में 50 परसेन्ट करना, उससे प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि हरिजन वर्ग की जनता में बहुत ही सरकार की सराहना हुई है। इससे हरिजन जनता सरकार को बधाई देती है। किस प्रकार पुलिस प्रशासन में सरकार ने यह

कदम उठाया है उसी प्रकार स्वायत्त शासन में भी यह कदम उठाना चाहिये। चाहे वह नगरपालिका हो, चाहे टाउन एरिया हो, वह स्थानीय इकाई है। वह सरकार के हाथ में बहुत कम रहती है और जनप्रतिनिधियों के हाथ में ज्यादा रहती है और उसका चैयरमैन वहां की अथारिटी होता है। चेयरमैन आमतौर पर पैसे वाला ही होता है, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो वहां पर सिवाय मैला ढोने के उच्च पदों पर उनको भरती नहीं किया जाता है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह ऐसे आदेश पारित करें कि जल्द से जल्द वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का कर्मचारियों और अधिकारियों में कोटा पूरा हो।

मैं हाथरस का रहने वाला हूं और सासनी क्षेत्र से चुन कर आता हूं। हाथरस में एक गड्ढावाला मोहल्ला था। वहां पर 20 मर्दाने और 20 जनाने लैटरिन बने हुये थे। वहां चारों तरफ हरिजन रहते थे। वह एक, डेढ़ लाख रुपये की जमीन थी। वहां के अधिशासी अधिकारी ने 5 हजार रुपये में वह जमीन एक आदमी को नीलाम कर दी, जिसके पास 5–7 मिलें हैं। अब उन लैट्रिन्स को तोड़ने के आदेश होने जा रहे हैं लेकिन उन हरिजनों के टट्टी जाने के लिये कोई दूसरा इन्तजाम नहीं किया गया है। वह अधिशासी–अधिकारी दलबन्दी में फंसे हुये हैं। वह वहीं पर पैदा हुये, वहीं पर पढ़े लिखे और 8 साल से बराबर वहां पर हैं। दो साल से उनका आफिसर इन्चार्ज के पद पर प्रोमोशन हो गया है, लेकिन कैंसिल कराये पड़े हुये हैं। लाखों रुपयों की जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच दी लेकिन किसी हरिजन को मकान बनाने क लिये एक बिस्वा जमीन भी नहीं दी। ऐसे अधिकारी का तुरन्त स्थानान्तरण किया जाना चाहिये और जिन लोगों ने जमीन ली है, उनके खिलाफ जांच करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। या तो वह जमीन बोर्ड को चली जाय या हरिजनों में वितरित की जाय या उनके लिये लैटरिन की व्यवस्था करायी जाय। इस प्रकार धांधलेबाजी काफी दिनों से चल रही है और जब तक वह रहेंगे, चलती रहेगी। डायरेक्टर माथुर साहब ने कई बार उनका स्थानान्तरण भी किया लेकिन उनके मित्र वर्ग मेरठ से आते हैं, चार-चार दिन वहां पड़े रहते हैं और उनका ट्रांस्फर रुकवा जाते हैं। उनके बारे में जनता की तरफ से शिकायतें आयीं और हमारी सहयोगी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी प्रस्ताव पास किया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

जिला अलीगढ़ के बारे में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अलीगढ़ जिला ने सब से ज्यादा गेहूं दिया, और भी चीजें दीं, वहां पर काफी उत्पादन होता है लेकिन वहां की ग्रामीण जनता की उपेक्षा की जा रही है। हाथरस में बेरोजगारी बहुत है। उसके पास ही एक जंक्शन स्टेशन है। वहां पर एन0 ई0 आर0, एन0 आर0 का रेलवे स्टेशन है, जी0 टी0 रोड भी है और इसीलिये वहां पर एक खाद का कारखाना बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार की तरफ से सर्वेक्षण वगैरह भी हुआ था। एक दल इन्जीनियरों का भी देखने गया था और लिखा पढ़ी भी कुछ हुई थी। पर अभी तक पता नहीं उसका क्या हुआ। अगर वहां पर खाद का कारखाना खुल जाय तो उससे उस क्षेत्र के लोगों का बड़ा भला होगा, लोगों को रोजगार मिल पायेगा और बेकारी की समस्या हल होगी। मेरा अनुरोध है कि सरकार वहां अविलम्ब खाद का कारखाना खुलवाय।

वहां पर रोडवेज का कोई भी बस स्टेशन नहीं है जब कि वहां से हजारों यात्री आते जाते हैं, तमाम बसें आया जाया करती हैं। कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई तक की सवारियां वहां आती हैं। बस स्टेशन न होने के कारण सवारियां इधर-उधर खड़ी रहती हैं। इसके न होने से वहां की जनता में बड़ी निराशा है और परेशानी भी है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार वहां पर एक बस स्टेशन अविलम्ब बनवाये।

मेरे क्षेत्र में पशु चिकित्सालय भी केवल 2 ही हैं। वह क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्षेत्र को देखते हुये यह आवश्यक है कि वहां पर एक पशु चिकित्सालय और खोला जाय। इस ओर भी सरकार ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं इस सामान्य बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर ध्यान देगी।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने 1976–77 के बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिये मुझे अवसर दिया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजट में करीब 70.67 करोड़ रुपये का घाटा है, पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से उस घाटे को 16.15 करोड़ तक लाने के लिये कर प्रस्तावित किये हैं। बिक्री-कर बढ़ाने, शहरी क्षेत्र में खाली भूमि पर कर लगाने, पशु मेला आदि पर भी कर लगाने का प्रस्ताव है, राजस्व में समीचीनीकरण करने का भी प्रस्ताव है। बिक्री–कर में समता लाने की भी बात है। शासन में मितव्ययता लाने की बात भी कही गयी है। इन सब से घाटा पूरा करने की बात कही गयी है। आबकारी से भी काफी पैसा मिलने की बात कही गयी है। फारेन लिकर की नीलामी से ही, मैं समझता हूं, जो प्राप्तियां हुई हैं उसका भी घाटा पूरा होगा और मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं कि विदेशी शराब की दूकानें जो इस प्रदेश में थीं और जिनसे कुछ अनुचित लोग फायदा उठाते थे और मुंह देखी बात की जाती थी, सरकार के ऊपर बदनामी होती थी और लाइसेंस देने में भी भ्रष्टाचार की बात कही जाती थी, उसको अब हमेशा हमेशा के लिये समाप्त कर दिया गया है और नीलामी करके निष्पक्षता की बात की गयी है और यह एक ऐसा काम किया गया है जिससे राजस्व में भी वृद्धि हुई है। कुछ लोग जो यह कहते थे कि नीलामी करके बहुत सी दूकानें खोल दी गयी हैं, मान्यवर, दूकानें चाहे कम हों या अधिक हों, जो पीने वाले हैं वे उस स्थान पर निश्चित रूप से पहुंच ही जायेंगे जहां शराब उपलब्ध है। नीलामी जो हुई है उससे शराब महंगी होगी और जो पीने वाले हैं, चाहे शराब महंगी हो या सस्ती वे शराब पीयेंगे क्योंकि उनका नम्बर दो का पैसा होता है, ब्लैक मारकेटिंग का बहुत अधिक पैसा होता है जिसको वे उसमें लगायेंगे। ऐसा कार्य जो इस उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसकी तो प्रशंसा ही होनी चाहिये और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह के कार्य इस प्रदेश में हमारी सरकार करती रहेगी।

अगली जो योजना है, चाहे हमारे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, उसका उल्लेख माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में भी 20-सूत्री कार्यक्रम के रूप में किया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी बतलाया कि जो हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम है उस पर 371.40 करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा। बीस सूत्री योजना को आप देखें तो उस योजना का पहला सूत्र जो है, वह यह है कि जो हमारी आवश्यक वस्तुयें हैं उनकी कीमतों पर नियन्त्रण हो और कीमत इतने नीचे स्तर तक गिरा दिया जाय कि जिससे छोटे–छोटे आदमी भी, जिनकी आय बहुत कम है उनकी भी पहुंच वहां तक हो सके। हमने देखा है कि पिछले साल से इस वक्त में जो चीजों की कीमतें कम हुई हैं उसको हम एक अभूतपूर्व सफलता कह सकते हैं। यह केवल इस प्रदेश की बात नहीं है। यदि हम दूसरे देशों से भी इसका मुकाबला करें तो मुद्रास्फीति पर हमारे देश ने जितना नियन्त्रण किया है, वह इतिहास में याद करने वाली बात है। बड़े-बड़े देश जो अपने को बहुत बड़े वैज्ञानिक और सभ्य कहते हैं और बड़ी बड़ी योजनाओं को कार्यरूप में परिणत करने में सक्षम हैं, वे भी अपने यहां मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण नहीं कर सके, लेकिन हमारे देश में उसके ऊपर नियन्त्रण हो गया है।

जहां तक सीलिंग से निकली भूमि के वितरण की बात है, फरवरी के अन्त तक 16 लाख एकड़ भूमि का वितरण हो चुका है। जो भूमि वितरित की गयी है, उसमें ऐसा हुआ है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें छोटे–छोटे टुकड़ों में भूमि मिली है और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उस भूमि से उनके परिवार का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। इसीलिये इस बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि 10 लाख रुपया उनको दिया जाय जिससे वे कुक्कुट पालन या छोटे–छोटे उद्योग उसके साथ-साथ कर सकें जिससे वे समन्वित प्रयास से अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सकें। आवास स्थल के लिये 12 लाख व्यक्तियों को भूमि दी गयी है। आगे भी जो लोग रह गये हैं, उनको आवास के लिये भूमि देने के लिये बजट में 1 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। उस एक करोड़ रुपये से जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है या जहां मकान बनाना आवश्यक है, वहां यह रुपया व्यय किया जायेगा। जैसा कि इस प्रस्ताव में लिखा गया है, केवल यही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में कुछ लोगों को

आवास के लिये भूमि देना आवश्यक है। ग्रामीण अंचलों में तो हम वह आवास भूमि देने की व्यवस्था कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में भी जो कुछ मजदूर भाई हैं, जो गरीब भाई हैं और जो उपेक्षित स्थानों पर अपनी अपनी झोपड़ियां डाल कर रह रहे हैं, उनको भी आवास के लिये भूमि दी जायगी। अब नागरिक क्षेत्रों में जहां सीलिंग कानून लागू किया जा रहा है, मैं तो निश्चित रूप से समझता हूं कि उससे जो भूमि उपलब्ध होगी उसका कुछ अंश गरीब भाइयों को भी आवास के लिये अवश्य ही मिलेगा।

मान्यवर, सरकार ने बुक–बैंक क लिये 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त नियंत्रित मूल्यों पर छात्रावासों में जरूरी चीजों की व्यवस्था करायी जा रही है। धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि हमारी जो योजनायें है उन्हें उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से चलाया जा रहा है। इस प्रदेश के विकास के लिये जो रण–नीति बनायी गयी है, वह दो चीजों पर आधारित है। एक कृषि और दूसरा औद्योगिक विकास। कृषि हमारे प्रदेश का मुख्य आधार है। इस पर यह निर्भर करता है कि आर्थिक दृष्टि से हम कितना ऊंचा उठते हैं। कृषि के बारे में हम सचेष्ट रहे हैं और इस बजट में कृषि से संबंधित विषयों पर 82 प्रतिशत रुपया व्यय किया जायगा। कृषि के अन्तर्गत बीज, सिंचाई बिजली और खाद महत्वपूर्ण हैं। इन सबके लिये पूरी व्यवस्था की जा रही है। पिछले दिनों की अपेक्षा हम देख रहे हैं, किसान चाहता है कि चाहे उसका उत्पादन किसी कीमत पर लिया जाय पर जो उसक उपयोग की वस्तुयें हैं वह उनको किसी खास कीमत पर उपलब्ध करायी जाय। सरकार ने प्रयास किया है और किसान के उपयोग की चीजों के दाम कम हुये हैं। लेकिन जितने दाम कम हुये हैं मैं समझता हूं उससे किसान संतुष्ट नहीं हैं। खेती में बिजली पानी और खाद के अलावा भी कुछ और चीजों की आवश्यकता होती है। आज जब हरित क्रांति की ओर प्रयास कर रहे हैं। एक-एक खेत से 3 फसलें लेने की बात करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हम यांत्रिक खेती का सहारा लें। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि जो कृषि यंत्र है, जिनका किसान उपयोग करता हैं उनके मूल्यों की तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि बिना ट्रैक्टर क, हैरो के, प्लाउ के यांत्रिक खेती नहीं की जा सकती और इनके दाम भी कम नहीं हुये। इन कीमतों में 5–6 गुनी बृद्धि हुयी है तो मैं समझता हूं कि कृषि यंत्रों की कीमत बढ़ने से किसान को बहुत परेशानी हुयी है। मैं आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र सरकार के ऊपर दबाव डाल कर ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों की कीमत कम कराये। खेती क बारे में आज गांव का किसान यह सोचता है कि पता नहीं सरकार उसके बारे में क्या सोचती है, और सरकार की क्या योजना ह जिससे लाभ उठाया जा सके।

गन्ने के बारे में ऐलान किया गया कि 12½ रुपये और 13½ रुपये प्रति क्विन्टल जबसे फैक्टरियां इस वर्ष चली हैं तबसे मिल मालिक किसान को देंगे। लेकिन इस निर्णय के बावजूद भी किसानों को मिल मालिक पिछला पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि अगर किसी निर्णय का ऐलान किया जाता है और उसको कार्य रूप में नहीं परिणत किया जाता तो उसके ऐलान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर ऐलान किया गया है और मिल मालिक उसको नहीं मानते तो उनको मीसा या डी0 आई0 आर0 में बंद किया जाय। मैं नहीं जानता कि किसी मिल मालिक या पैसा न देने वाले को मीसा या डी0 आई0 आर0 में बन्द किया गया है। निजी मिल मालिकों की बात तो अलग रही, जो सरकार की मिलें हैं, जो शुगर कारपोरेशन की हैं, जो सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत हैं वे भी सरकार के निर्णय की उपेक्षा कर रहीं है। म मान्यवर, आपक माध्यम से मांग करता हूं कि किसानों का जो पैसा बाकी है वह पैसा उनको अविलम्ब दिलाया जाय और जो बाधा डाले उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

मान्यवर, मैं शिक्षा के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। शिक्षा बुनियादी चीज है किसी देश के विकास के लिये और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने हमें दी थी आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो बेसिक शिक्षा है जिससे बच्चों के विकास का कार्य हम शुरू करते हैं, वह ठीक होने चाहिये। व्यक्तित्व के विकास के

[श्री देव बहादुर सिंह]

लिये शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा से ही हम अवसर पाते हैं, प्रगति करने के लिये। जो अच्छी तरह से पढ़ लिख जाते हैं वही बुद्धिजीवी बनते हैं और अपनी शिक्षा के भरोसे अच्छी तरह से जीवन निर्वाह करते हैं। इस कसौटी पर जब हम देश और प्रदेश की शिक्षा को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे देश और प्रदेश में दो प्रकार की शिक्षा विद्यमान है। यदि समाजवादी हम अपने को कहते हैं तो दो प्रकार के जो स्कूल हैं—एक पब्लिक स्कूल और दूसरे बेसिक प्राइमरी स्कूल। बेसिक प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को बैठने के लिये टाट पट्टी नहीं है, श्यामपट नहीं है और मास्टर के लिये कुर्सी और मेज नहीं है, बच्चों के सिर के ऊपर छत नहीं है, वहां की पढ़ाई और पब्लिक स्कूल की पढ़ाई, जहां हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, इन दोनों में समानता कैसे हो सकती है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बेसिक प्राइमरी का पढ़ा बच्चा पब्लिक स्कूल का पढ़ा बच्चा के साथ कम्पीटीशन में क्या कभी बैठ सकता है? तो यह जानबूझ कर व्यवस्था क्यों कायम की गयी? शिक्षा की व्यवस्था एक प्रकार की हो और तब देखा जाय कि कौन आगे बढ़ता है। समान अवसर की बात कहना अपने साथ धोखा देना है। मैं तो यह कहूंगा कि 540 करोड़ रु0 जो वार्षिक योजना के लिये केन्द्र सरकार से उपलब्ध हुआ है उसमें से कम से कम बुनियादी चीजें जो है, बेसिक प्राइमरी स्कूल जो हैं उनमें टाट—पट्टी, श्याम-पट, कुर्सी, मेज और छत आदि मुहैय्या किया जाय। हम जब तक नहीं करते तब तक क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उन स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी? बेसिक शिक्षा को जिला परिषद् से इसलिये अलग किया गया था कि पढ़ाई अच्छी होगी लेकिन आज उसका उल्टा हुआ। शिक्षा का काम बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारी देखते हैं और स्कूल भवन को जिला परिषद् देखते हैं। इस प्रकार दुतरफा इन्तजाम होता है और इससे आपस में मेल नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि जिला परिषद् को बेसिक शिक्षा दे दें और जब तक नहीं देंगे तब तक योग्य बच्चे पाना संभव नहीं है। अच्छा यह होगा कि जबतक शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन नहीं करते तब तक निश्चित है कि हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। मैं तो कहूंगा कि शिक्षा जाब ओरिएन्टेड हो जिससे बच्चों को कोई न कोई रोजगार मिल सके और वह तब संभव है जबकि प्रोफेशनल शिक्षा को आगे बढ़ावें आज शासन हमारे हाथ में है तो क्या उसमें हम सोच नहीं पाते या योजना को कार्यरूप नहीं दे पाते या कोई असमर्थता है या कोई फिर चाल है जिससे शिक्षा पद्धति में आमूल—चूल परिवर्तन करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं।

मान्यवर, मैं कुछ विद्युत् विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी यहां हैं। अभी पद—यात्रा पर मैं अपने अपने क्षेत्र में गया था और देखा कि हमारे यहां भावर में 1971—72 में बिजली के कनेक्शन के लिये 25—25 रुपया लोगों ने जमा किया है मैं मानता हूं कि पिछले 2 वर्षों में बिजली की कमी रही इसलिये कनेक्शन नहीं मिल पाये। लेकिन अब जब बिजली उपलब्ध हो रही है तो मैं कहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर जिनका रुपया आपने स्वेच्छा से जमा करवाया है उनको भावर क्षेत्र हल्द्वानी में बिजली के कनेक्शन दिलवा दें। एक समस्या यह भी है कि कई गांवों में बिजली के पोल इतनी दूरी पर लगा दिये गये हैं कि पेड़ से वे टकराते हैं जिससे आशंका है कि कोई खतरा न हो जाय। इसलिये जब मंत्री जी यहां हैं जिनके सामने मैं यह बात कह रहा हूं तो इस समस्या का भी समाधान कर दिया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं। नैनीताल में लाल कुए में एक कागज के कारखाना लगाने का प्रस्ताव चल रहा है। आठ साल से सुन रहे हैं कि लगेगा। कभी सुनते हैं बिड़ला के पास है इसका लाइसेन्स और कभी सुनते हैं कि काम शुरू होने वाला है। वहां बन विभाग ने जो यूकेलिप्टस के पेड़ लगाये हैं वह खराब होते जा रहे हैं। कागज के रूप में उनका अच्छा उपयोग हो सकता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि जो कारखाना लाल—कुआं में लगने के लिये प्रस्तावित है उसको जल्दी ही लगवाया जाय। एक बात और है कि

पंतनगर म चुकन्दर से चीनी बनाने की बात सुन रहे हैं। वह चाहते हैं कि वहां एक कारखाना लग जाय जिससे चुकन्दर और गन्ने दोनों की चीनी बने। मैं नहीं समझ पाता कि उसके विषय में क्या हो रहा है। इतना अवश्य समझता हूं कि यह प्रदेश के लिये एक नई बात होगी। इसका हमें अवश्य लाभ उठाना चाहिये। इन शब्दों के साथ जो बजट प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो समस्याएं हमने आपके समक्ष रखी हैं, उनका भी समाधान निश्चित रूप से होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

चर्चा कल जारी रहेगी। नियम 51 के अन्तर्गत कोई सूचनाएं नहीं हैं।

कानपुर के लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, एथर्टन वेस्ट मिल्स तथा जयपुर जूट उद्योग के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य, जिन्होंने रखा था, वह नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

स्वीकृत हो चुका है। सुन लें।

श्रम मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मेसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कानपुर—

यह कारखाना आर्थिक कठिनाइयों के कारण दिनांक 10 मई, 1975 से बन्द पड़ा है। इस कारखाने में बन्दी होने के परिणामस्वरूप लगभग 3,186 श्रमिक प्रभावित हुये हैं। सेवा-योजकों ने दिनांक 24 नवम्बर, 1975 से अपने कैनवेस डिपार्टमेण्ट (Canvas department) को भी बन्द कर दिया है। इस कारखाने पर अर्जित वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी भत्ता, भविष्य-निधि तथा बीमा धन आदि सम्मिलित करके लगभग 76 लाख रुपया देय होगा। कारखाने की स्थिति में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। बकाया धनराशि की वसूली के लिये सेवायोजकों के विरुद्ध विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही की गई है।

मेसर्स एथर्टन वेस्ट एण्ड कम्पनी लि0 कानपुर—

यह कारखाना आर्थिक संकट में पड़ जाने के कारण उसमें नियोजित श्रमिकों का वेतन भुगतान नहीं कर सका और जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया बन्द हो जाने के कारण श्रमिकों की बैठकी कर दी गई। इस कारखाने में दिनांक 2 मई, 1975 से बैठकी घोषित की गई जिस से लगभग 2,760 श्रमिक प्रभावित हुये। श्रमिकों को देय अर्जित वेतन, बोनस, बैठकी भत्ता तथा भविष्य निधि आदि सम्मिलित करके लगभग 91 लाख रुपया बकाया है। इस कारखाने की आर्थिक हालत शोचनीय है और अभी तक कारखाना चालू नहीं हुआ है।

मेसर्स जयपुर जूट उद्योग, कानपुर—

यह कारखाना, सवाई माधोपुर, राजस्थान में स्थित जयपुर उद्योग लिमिटेड की एक कैप्टिव यूनिट है। मेसर्स जयपुर जूट उद्योग लि0, सवाई माधोपुर में सीमेन्ट बनाया जाता है और यह कारखाना सीमेन्ट के लिये जूट के बोरे बनाकर सवाई माधोपुर स्थगित कारखाने को भेजा करता था। सवाई माधोपुर स्थित सीमेन्ट का कारखाना आर्थिक कठिनाइयों के कारण दिनांक 9 सितम्बर, 1975 से बन्द हो गया जिसके परिणाम स्वरूप मेसर्स जयपुर जूट उद्योग, कानपुर में भी दिनांक 6 अक्तूबर, 1975 से उत्पादन कार्य बन्द हो गया है। मेसर्स जयपुर जूट उद्योग के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप लगभग 1300 श्रमिकों की बैठकी कर दी गयी है। इस प्रतिष्ठान पर श्रमिकों का लगभग 21 लाख रुपया बकाया है।

राज्य सरकार उपरोक्त कारखानों के बेकार मजदूरों की समस्याओं के प्रति जागरूक है। इन कारखानों को चालू कराने के लिये केन्द्र सरकार से वार्ता की जा रही है और इस बात के लिये प्रयत्न किया जा रहा है कि कारखानों को शीघ्र चालू कराया जाय।

श्री काशी नाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर के पढ़ने से यह ज्ञात हुआ कि मजदूरों का लाखों रुपया इन मिल मालिकों पर बकाया है। अब इस इमरजेन्सी में कोई कारखाना बन्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ कारखाने पहले से ही बन्द चले आ रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार कौन से ऐसे नियम बना रही है कि जिससे यह लाखों रुपयों का बकाया इन मिल मालिकों से वसूल करके इन मजदूरों को दिलाया जा सके ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि इन कारखानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय है और उनका जो देय है उसको ये देने में बिल्कुल ही असमर्थ हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया है कि इण्डस्ट्री डेवलपमेंट ऐन्ड रेगुलेशन ऐक्ट, 1951 के अन्तर्गत इनको ले लिया जाय। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है, ऐसी सूचना हमको उपलब्ध हुई है।

श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल एपेक्स बाडी ने सरकार से कहा कि इन कारखानों को लेकर स्वयं चलाये। ये मालिक ऐसे नहीं हैं कि इन कारखानों को चला सकें। स्टेट एपेक्स बाडी ने भी यही रेकमेन्ड किया है। पहले मुख्य मंत्री जी श्री बहुगुणा जी ने भी एपेक्स बाडी में इसकी घोषणा की थी। राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी ने भी ऐसा ही कहा था। म यह जानना चहता हूं कि इतनी कोशिश की जाने के बाद भी अब क्या दिक्कत है कि सरकार कारखानों को क्यों नहीं ले रही है और उसके रास्ते में क्या दिक्कतें हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

केन्द्र से उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है और मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और जल्दी ही इसका हल निकल आयेगा।

श्री राम नारायण पाठक (जिला कानपुर)--

यह तो पता चला कि सरकार जागरूक है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस समय 7,246 मजदूर बेकार हैं और लगभग 30 हजार परिवार भूखों मर रहे हैं। ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपने घर की वस्तुयें बेच डाली हैं। कुछ लोग रिक्शा चलाने लगे और टी0बी0 से पीड़ित हो गये। ऐसी परिस्थिति में सरकार जागरूक होते हुये भी क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार को इधर हमारी तरफ से कई पत्र गये हैं और हमने हायस्ट लेवल पर बातचीत की है और मुझे आशा है कि इसका समाधान बहुत जल्दी ही निकल आयेगा और ये कारखाने कन्द्रीय सरकार की मदद से शीघ्र ही चलने में समर्थ हो जायेंगे।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

म माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मजदूर बेकार हैं क्या उनको दूसरी जगह लगाने की चेष्टा की गई है ? दूसरी बात यह है कि जब हमारा जूट बैग का कारखाना बन्द हो गया तो क्या सरकार इसको चलाकर राजस्थान के अतिरिक्त कलकत्ता या अन्य दूसरे मार्केट की खोज नहीं कर सकती ताकि हमारा यह बन्द कारखाना चल सके। इस बारे में मंत्री जी ने क्या प्रयास किया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय सदस्य ने समझा नहीं। यह जो जयपुर की सीमेंट फैक्टरी है उसकी एक यूनिट बोरे बनाने के लये यहां खोली गयी थी। उसके बाद सेवायोजकों ने इसे बन्द किर दिया था। तब से यह प्रयत्न चल रहा है कि इसको किसी तरह से खोला जाय। इस

पर केन्द्रीय सरकार तथा उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई है। सरकार के हाथ में वह मिल नहीं है जिससे वह उसके बने माल के लिये दूसरा बाजार ढूंढती। सवाल यह नहीं है कि सूबे के मजदूरों को किसी दूसरी जगह भेज दिया जाय बल्कि यह है कि इन मिलों को कैसे चलाया जाय ताकि इन मजदूरों को काम दिलाया जा सके।

श्री रामनारायण पाठक--

जो पैसा मजदूरों का कारखानों पर है और कारखानों में जो माल पड़ा हुआ है उसको बेच कर उन मजदूरों को सहायता के रूप में वह रुपया देने में क्या आपत्ति है? केन्द्रीय सरकार से सहायता दिलाने में सरकार को क्या आपत्ति है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जब तक सरकार उन कारखानों को ले नहीं लेती तब तक उनके मालको बेचने की अधिकारी वह कैसे ले सकती ह?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मशीनों क अलावा कारखानों में और भी सम्पत्ति है जिसको बेचकर मजदूरों के वेतन का भुगतान किया जा सकता है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह सारा ही प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है कि किस तरह से हम यह कारखाना संचालित करते हे।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

केन्द्र से जो बात प्रदेश सरकार की चल रही है, उसमें सरकार किस स्थिति पर है? क्या कोई संतोषजनक उत्तर वहां से आया है, जिसके फलस्वरूप हम यह आशा करें कि शीघ्र ही कोई कार्यवाही होगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

केन्द्रीय सरकार से हमें उत्तर संतोषजनक मिला है और हमें आशा है कि शीघ्र ही कार्यवाही होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन का समय मैं 15 मिनट के लिये बढ़ाता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

लाखों रुपया मजदूरों का मिल मालिकों पर बकाया है और उनकी सहायता करके कोई आप दया की भीख नहीं देंगे, उनको अपना बकाया वेतन पाने का अधिकार है, लेकिन जब मजदूर अपनी पसीने की कमाई नहीं पा रहा है तो मिल मालिक ने, जो पहले मुनाफा कमाया है और उसके पास चल व अचल सम्पत्ति है, उसको नीलाम व कुर्क करा कर क्या सरकार उनका वेतन दिलायेगी? इसमें सरकार को क्या आपत्ति है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अभी तो बात इस सम्बन्ध में चल रही है कि इन कारखानों को लेकर चलाया जाय। इसलिये इस विषय पर ही सारा कन्सेन्ट्रेशन है। पिछले वर्ष जो अलग-अलग श्रमिक कानून हैं उनके अन्तर्गत सेवायोजकों के खिलाफ कार्यवाही करके 15 लाख रुपया मजदूरों को दिलाया गया था। इस वर्ष इस कोशिश में सरकार लगी हुई है कि किस तरह से मिल को लेकर सरकार चलाये। मिल की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गयी है जिसके कारण कोई बैंक कर्जा देने को तैयार नहीं है। कोशिश यह है इस वर्ष कि आखिर ये मिलें चलें कैसे? इसलिये यह कार्यवाही हो रही है कि यह मिल खोली जा सके। अटैचमेंट हो जाने से सम्पत्ति का समाधान नहीं हो सकता। मजदूरों को काम मिले, इन सारी चीजों के ऊपर विचार हो रहा है।

श्री संत सिंह यूसुफ—

मेरी जानकारी है कि जयपुर उद्योग के सिलसिले में राजस्थान गवर्नमेंट ने सा तीन करो रुपया दिया है। जयपुर जूट मिल, जो यू0 पी0 में है, उसको वह चलाना नहीं चाहत। हमारे यहां दो सीमेन्ट फैक्ट्रीज हैं जिसका माल बंगाल को सप्लाई किया जाता है। इस प्राब्लम को आप देखें। उसी तरह से यह मसला हल हो सकता है। सीमेन्ट फैक्टरी को बोरों की जरूरत है। हमारे यहां कारखाने भी हैं और बोरियां सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप विचार करें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उन सब चीजों पर विचार किया जा रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न करने का एक ही अर्थ है कि अभी हमने बांडेड लेबर का कानून बनाया और बैगर्स का कानून पहले से बना हुआ है। जो पैसा मजदूरों का है, वह मिल मालिकों की सम्पत्ति से वसूल किया जा सकता है। उनको न देने के अपराध में मिल मालिकों का चालान गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है ? उसमें क्या कठिनाई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कठिनाई कुछ भी नहीं है। सवाल यह है कि मिल चले और उसके लिये जो कार्यवाही होनी चाहिये वह हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, साल भर से यह मिल बन्द है और मजदूर बेरोजगार हैं। क्या माननीय मंत्री जी कुछ आइडिया दे सकती हैं कि किस अवधि तक यह मामला सुलझ जायेगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

हमारी आशा तो यह है कि शायद अगले महीने तक मामला सुलझ जायेगा।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय सदस्यों ने मजदूरों की जो तस्वीर खींची उससे मालूम होता है कि वे भूखों मर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसी को भूख से न मरने दे। इसको देखते हुये जो मजदूर बेरोजगार हो गये हैं और भूखों मर रहे हैं, उनको तुरन्त खाना वगैरह देकर अन्तरिम प्रबन्ध हो रहा है या नहीं, यह सरकार देखें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

काम करने वाले आदमी भूखों नहीं मरते।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 11 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक क लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
27 अप्रैल, 1976

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 186 पर)

कृषि उद्योग एवम् विकास प्रदर्शनी 197 -76
आय-व्यय विवरण

(30-3-76 तक की स्थिति)

क्रम-सं0	आय मद	धनराशि	क्रम-सं0	व्यय मद	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	संगीत सम्मेलन				
	अ—विक्रय टिकट	17,532.00	1	निर्माण कार्य	7,942.30
	ब—गेट टिकट	1,131.00	2	बिजली व्यय विभागीय	5,208.00
2	किराया दूकान	12,465.94	3	पट्रोल	913.75
3	नीलाम बांस-बल्ली	2,198.00	4	ठेकेदार बिजली	7,833.75
4	दंगल	2,351.50	5	मुशायरा	2,226.80
5	गेट टिकट	24,948.00	6	दंगल	1,481.00
			7	कवि सम्मेलन	3,199.35
			8	संगीत सम्मेलन	10,274.46
	योग	60,626.44	9	विभागीय अग्रिम	600.00
			10	छपाई	1,469.20
			11	शामियाना	2,110.00
			12	बैड मिन्टन	150.00
			13	मौत की छलांग	4,195.00
			14	अ—पंच सम्मेलन	500.00
				ब—कृषि सम्मेलन	98.95
				स—पशुमेला	347.29
			15	लाउड स्पीकर	1,300.00
			15	फुटकर व्यय	1,533.29
			17	स्वीपर सफाई	731.50
				योग	52,115.44

समायोजन हेतु अवशेष अग्रिम

1	श्री पी0 पी0 खरे	1,000.00
2	श्री रामदत्त सिंह	2,155.00
	योग	3,155.00
	महायोग	55,270.44

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ 193 पर)

उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण--

(1) खण्ड 7 की पंक्ति 2 में शब्द "आरोपति" के स्थान पर शब्द "आरोपित" कर दिया गया है।

(2) खण्ड 17 की पंक्ति 4 तथा उसकी उपान्तिक टिप्पणी में प्रयुक्त शब्द "दुग्धशाला" में से "शाला" निकाल दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ 193 पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किया गया शाब्दिक संशोधन--

खण्ड 7 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) की पंक्ति 2 के प्रारम्भ में शब्द "प्रबन्धक" के स्थान पर शब्द "प्रबन्ध" रख दिया गया है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 193 पर)

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किया गया शाब्दिक संशोधन—

खण्ड 9 की पंक्ति 3 में शब्द "या हुई" के स्थान पर शब्द "या की हुई" रख दिए गए हैं।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 193 पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण—

1—खण्ड 20 (क) के अन्त में छपा शब्द "और" निकाल कर खंड 20 (ख) के अन्त में जोड़ दिया गया है।

2—खंड 22(4) द्वारा मूल अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (3) के पश्चात् बढ़ाई गई उपधारा (3-ग) की पंक्ति 4 में शब्द "आशायित" के स्थान पर शब्द "आशयित" रख दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 205 पर)

(श्री कमला प्रसाद वर्मा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर)

प्रश्न	उत्तर
16—क्या सरकार को जानकारी है कि जिला गोंडा के ग्राम मझगवां स्थित कृषि बीज गोदाम से 90,000 रुपए के गबन की रिपोर्ट 1975 में विभागीय अधिकारियों ने स्टोर इन्चार्ज के विरुद्ध पुलिस में दर्ज कराई है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और अब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी?	16—जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

वीरेन्द्र वर्मा,
कृषि मन्त्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 206 पर)

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश राज्य में फल पौधशालाओं को लाइसेन्स देने और उनके विनियमन का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में—

(क) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए गए प्राधिकारी से है ;

(ख) "फल पौधशाला" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जहां प्रतिरोपण के लिए फल के पौधों का उत्पादन और विक्रय कारोबार के नियमित अनुक्रम में किया जाता हो, किन्तु उसके अन्तर्गत—

(i) 0.2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के फल पौधशाला नहीं है ;

(ii) सरकार की या उसके द्वारा प्रबन्धित पौधाशाला नहीं है;

(ग) "फल के पौधे" का तात्पर्य किसी ऐसे पौधे से है, जो खाने योग्य फल या गिरीदार फल उत्पादित कर सकते हैं, और उसके अन्तर्गत, कुडन् काष्ठ, बीजांकुर उपरोपण, टब्बा, गुट्टी, बीज, कन्द, सकर, प्रकन्द [आंख वाली टहनी, बीजू पौध, कलम बांधना, दाब डाली, गुट्टी, बीज कन्द, अंकुर, प्रकन्द (राइजोम)] और ऐसे किसी पौधे की कलम भी है ;

(घ) "लाइसेन्स" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन दिए गए लाइसेन्स से है ;

(ङ) "लाइसेन्सधारी" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त कोई लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति से है ;

(च) "लाइसेन्स प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन नियुक्त लाइसेन्स प्राधिकारी से है ;

(छ) "स्वामी" का तात्पर्य किसी फल पौधशाला के सम्बन्ध में उस व्यक्ति या प्राधिकारी से है जिसका ऐसी फल पौधशाला के कार्य कलाप पर अन्तिम नियन्त्रण हो, और उसके अन्तर्गत ऐसी फल पौधशाला का प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्ता या कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति भी है ;

(ज) "मूल वृन्त" का तात्पर्य किसी ऐसे फल के पौधे या उसके भाग से है जिस पर किसी फल के पौधे के किसी भाग के कलम या आंख लगायी जाती है ;

(झ) "उपरोपिका" का तात्पर्य किसी फल के पौध के ऐसे भाग से है जो मूल वृन्त पर कलम या आंख के रूप में लगाया जाता है।

लाइसेन्स प्राधिकारी की नियुक्ति

3—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझे, लाइसेन्स प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है और उनकी अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमा भी परिनिश्चित कर सकती है।

फल पौधशाला का कारोबार चलाने पर निर्बन्धन

4—(1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक के पश्चात् या उस दिनांक से जब वह किसी फल पौधशाला का प्रथम बार स्वामी बनता है, उनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, छः माह की समाप्ति के पश्चात् सिवाय इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेन्स के निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन और उनके अनुसार फल पौधशाला का कारोबार संचालित नहीं करेगा और न उसे जारी रखेगा।

(2) जहां एक व्यक्ति के स्वामित्व में एक से अधिक फल पौधशाला हो, चाहे एक ही नगर या ग्राम में या विभिन्न नगरों या ग्रामों में, वहां ऐसी प्रत्येक फल पौधशाला के सम्बन्ध में अलग-अलग लाइसेन्स दिए जाएंगे।

लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र

5—(1) इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र, लाइसेन्स प्राधिकारी को विहित प्रपत्र में, और विहित फीस के साथ दिया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेन्स नहीं दिया जाएगा, यदि लाइसेन्स प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि —

(क) वह फल पौधशाला ऐसे फल के पौधों के, जिनके सम्बन्ध में लाइसेन्स दिए जाने के लिए आवेदन किया गया है, उचित उत्पादन के उपयुक्त नहीं है ;

(ख) आवेदक ऐसी फल पौधशाला को संचालित करने के लिए सक्षम नहीं है ;

(ग) आवेदन-पत्र के साथ विहित फीस नहीं दी गई है ;

(घ) आवेदक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध-दोष हुआ है।

लाइसेन्स की अवधि और उसका नवीकरण

6—(1) धारा 5 के अधीन दिया गया लाइसेन्स ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो विहित की जाय और उसको इस निमित्त आवेदन-पत्र देने और विहित फीस देने पर लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है जो विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई लाइसेन्स नवीकृत नहीं किया जायगा, यदि लाइसेन्स प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि —

(क) धारा 5 की उपधारा (2) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है ;

(ख) लाइसेन्सधारी ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या लाइसेन्स के निबन्धनों और शर्तों के किसी उपबन्ध का जानबूझ कर उल्लंघन किया है।

लाइसेन्स का निलम्बन और रद्द किया जाना

7—(1) इस अधिनियम के अधीन दिया गया लाइसेन्स निलम्बित या रद्द किया जा सकता है, यदि लाइसेन्स प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि :—

(क) धारा 6 की उपधारा (2) में उल्लिखित कोई आधार वर्तमान हैं ; या

(ख) लाइसेन्सधारी ने फल पौधशाला पर कब्जा या नियन्त्रण पूर्णतः या अंशतः छोड़ दिया है या उसे चला लेना बन्द कर दिया है।

(2) जहां कोई लाइसेन्स निलम्बित या रद्द किया जाय वहां लाइसेन्स-धारी उसके लिए न तो किसी प्रतिकर का और न लाइसेन्स के लिए अपने द्वारा दी गई किसी फीस की वापसी का हकदार होगा।

आदेश में कारण दिये जाएंगे

8—(1) धारा 5 के अधीन लाइसेन्स देने से इन्कार करने का, या धारा 6 के अधीन लाइसेन्स का नवीकरण करने से इन्कार करने का, या धारा 7 के अधीन लाइसेन्स को निलम्बित या रद्द करने का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और उसमें उसके समर्थन में कारण दिये जायेंगे, और ऐसा प्रत्येक आदेश आवेदक या सम्बद्ध लाइसेन्सधारी को सूचित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आदेश देने से पूर्व लाइसेन्स प्राधिकारी, यथास्थिति, आवेदक या लाइसेन्सधारी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

लाइसेन्स की दूसरी प्रति

9—जहां कोई लाइसेन्स खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय, वहां लाइसेन्स प्राधिकारी विहित रीति से और विहित फीस देने पर, लाइसेंन्स की दूसरी प्रति जारी करेगा।

अपील

10—(1) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेन्स देने से इन्कार करने के, या धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन उसे नवीकृत करने से इन्कार करने के, या धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन उसे निलम्बित या रद्द करने के लाइसेन्स प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश संसूचित किए जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है :

परन्तु अपील प्राधिकारी इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलार्थी अपील को समय पर पर्याप्त कारणवश दायर नहीं कर सका था।

(2) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश देगा जिसे वह उचित समझे।

(3) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश, धारा 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

राज्य सरकार की अभिलेख मंगाने की शक्ति

11—(1) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन-पत्र देने पर, किसी भी समय, इस अधिनियम के अधीन दिये गए किसी आदेश की वैधता अथवा औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ, किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और उसकी परीक्षा कर सकती है और उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे :

परन्तु राज्य सरकार धारा 11 के अधीन किसी अपील के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी अपील के लिए निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति के पूर्व, इस धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी :

परन्तु यह और कि ऐसे मामले में जिसमें राज्य सरकार स्वप्रेरणा से किसी मामले का अभिलेख मंगाती है, इस धारा के अधीन कोई आदेश, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब तक नहीं देगी, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर न दिया गया हो।

(2) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

लाइसेन्सधारी के कर्तव्य

12—प्रत्येक लाइसेन्सधारी :—

(क) उत्पादन और विक्रय के लिए उपरोपिका या मूल वृन्त से सम्बन्धित, लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट किस्मों में से केवल ऐसी किस्मों के ही फल के पौधे लगाएगा जैसा लाइसेन्स प्राधिकारी निर्देश दे ;

(ख) प्रत्येक मूल वृन्त और प्रत्येक उपरोपिका के मूल या स्रोत का पूर्ण अभिलेख रखेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी जाएंगी :—

(1) प्रयुक्त मूल वृन्त का वानस्पतिक नाम और स्थानीय नाम, यदि कोई हो ;

(2) फल के पौधों को उगाने में प्रयुक्त उपरोपिका का वानस्पतिक नाम और स्थानीय नाम, यदि कोई हो ;

(ग) फल के पौधों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त पौधशाला स्थल और पित्तृ वृक्ष को भी कीट, नाशिकीट और पौधों के रोगों से मुक्त रखेगा ;

(घ) फल के पौधे ऐसी रीति से तैयार करेगा जैसा लाइसेन्स प्राधिकारी निर्देश दें ;

(ङ) विक्रय के लिए अभिप्रेत किसी पैकेज में अवेष्टित प्रत्येक किस्म के फल के पौध का नाम और विहित रीति में यथा अवधारित उसकी आयु, उसके लेबिल पर स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जायेगी ;

(च) विक्रय या वितरण के लिए केवल ऐसे फल के पौधे देगा जो किसी प्रकार के कीट, नाशिकीट या पौधों के रोग से पूर्णतया मुक्त हों।

लाइसेन्सधारी -लेखा-बही, रजिस्टर आदि रखेगा

13—प्रत्येक लाइसेन्सधारी ऐसी प्रपत्र में और ऐसी रीति से लेखाबही रजिस्टर और अभिलेख रखेगा, जो विहित की जाय।

कतिपय फल के पौधों का आयात निर्यात या परिवहन को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति

14—राज्य सरकार, राज्य के किसी भाग में उगाए गए किसी फल के पौधे की विशेषता को बनाए रखने या हानिकारक कीट, नाशिकीट या पौधों के रोग से उनका संरक्षण करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट कर, अज्ञात नसल (अभिजाति) के या किसी सांक्रमिक या सांसर्गिक नाशिकीट या रोग से प्रभावित किन्हीं फल के पौधों को राज्य या उसके किसी भाग में लाने या उसके बाहर ले जाने, या राज्य के भीतर उनका परिवहन करने को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकती है।

शास्ति

15—जो कोई भी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध-दोष होने पर जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक हो सकता है, दन्डनीय होगा।

कम्पनियों-द्वारा अपराध

16—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्यसंचालन का प्रभारी और उस के लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दन्ड दिए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए दोषी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दन्ड दिए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ :—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का संज्ञान

17—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए, सिवाय लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी शिकायत पर, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायगा।

लाइसेन्स प्राधिकारी की शक्ति

18—लाइसेन्स प्राधिकारी :—

(क) किसी लाइसेन्सधारी से उसके स्वामित्व में या उसके द्वारा चलाई जा रही फल पौधशाला के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह विनिर्दिष्ट करे।

(ख) अपना यह समाधान करने के लिए कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है, किसी फल पौधशाला में प्रवेश कर सकता है और उसका और उसमें स्थित फल के पौधों का और उससे सम्बन्धित लेखा-बही और अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है या करा सकता है ;

(ग) फल के पौधों का नमूना ले सकता है और उनका विश्लेषण, परीक्षण या जांच इस प्रयोजन के लिए निश्चित की गई किसी प्रयोगशाला में करा सकता है।

सद्भाव से किए गए कार्य का संरक्षण

19—(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भाव से किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भाव से किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या सम्भावित क्षति के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

आदेश विषयक अपवाद

20—इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी शक्ति के प्रयोग में दिए गए किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा निर्देश

21—लाइसैन्स प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में नीति सम्बन्धी विषयों पर राज्य सरकार के ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर जारी करे।

नियम

22—इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस विहित करने के लिये कोई नियम भी है।

विधान सभा

उद्देश्य और कारण

सुगठित फल पौधशालाओं के होने की आवश्यकता सुविदित है। यद्यपि राज्य में निजी फल पौधशालाओं का बाहुल्य है किन्तु उनमें से अधिकांश किसी वैज्ञानिक अधार पर कार्य नहीं कर रही हैं और इस प्रकार उनसे कोई सहायता मिलने के बजाय राज्य में फल के पौधे लगाने की प्रगति में रुकावट हुई है। अतएव, यह प्रस्तावित है कि राज्य में फल पौधशालाओं को लाइसेन्स देने और उनका विनियमन करने की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

वीरेन्द्र वर्मा,
कृषि मन्त्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ 206 पर)

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976

जनसाधारण के हित में, साहूकारी का विनियमन करने और साहूकारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए, और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

अपवाद

2—(1) इस अधिनियम की कोई बात —

(क) किसी बैंक या सहकारी समिति पर,

(ख) किसी उधार या अग्रिम पर जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य परिनियत निगम या सार्वजनिक कम्पनी (जैसा कि वह कम्पनी अधनियम, 1956 में परिभाषित है) या सरकारी डाकघर बचत बैंक को या उसके द्वारा दिया जाय या किसी निक्षेप पर जो उस के यहां रखा जाय,

(ग) कोई प्रतिभूति जिसमें कोई न्यासी न्यासधन का विनियोजन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर सकता है उसके क्रय या विक्रय या अन्य अन्तरण पर (जिसके अन्तर्गत स्थावर सम्पति का बन्धक नहीं है),

(घ) कोई भविष्य निधि जिस पर प्राविडेन्ट फण्ड ऐक्ट, 1925 लागू होता है या कोई मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, जैसा कि वह आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (38) में परिभाषित है या कोई लोक भविष्य निधि जो लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के अधीन स्थापित की गयी है उसके अभिदाता या जमाकर्ता को निधि में उसके नाम जमा राशि से ऐसे निधि के नियमों के अनुसार दिए गए किसी उधार पर,

(ङ) उत्तर प्रदेश धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 की धारा 3 में निर्दिष्ट किसी करार पर,

(च) किसी उधार अग्रिम या निक्षेप पर जो किसी हुंडी या अन्य विनियमन पत्र पर (जैसा कि वह पर क्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में परिभाषित है) या माल पर हक की दस्तावेज पर (जैसा कि वह माल विक्रय अधिनियम, 1930 में परिभाषित है) दिया जाय,

(छ) किसी उधार या अग्रिम पर जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के या किसी सार्वजनिक धर्मार्थ या पुण्यार्थ उद्देश्य से सम्बन्धित

किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या एसोसिएशन को या उसके द्वारा दिया जाय या किसी निक्षेप पर जो उनको दिया जाय,

(ज) किसी उधार पर जो किसी सरकारी सेवक को ऐसे सेवकों के कल्याण या सहायता के लिए स्थापित किसी निधि से दिया जाय और जो सरकार द्वारा स्वीकृत हो, और उसके सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(2) धारा 12 की कोई बात किसी रजिस्ट्रीकृत साहूकार या किसी संविदाकार या कोई वृत्ति व्यापार या उद्योग करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उधार दी गयी पांच हजार रुपए से अधिक राशि के सम्बन्ध में लागू न होगी।

परिभाषायें

3—इस अधिनियम में —

(1) बैंक का तात्पर्य निम्नलिखित से है :—

(क) बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 में परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी ;

(ख) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1955 के अधीन गठित स्टेट बैंक आफ इण्डिया ;

(ग) स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सब्सीडियरी बैंक) ऐक्ट, 1959 में परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक ;

(घ) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित "तत्समान नया बैंक" ;

(ङ) रीजनल रूरल बैंक ऐक्ट, 1976 की धारा 3 की उपधारा (i) के अधीन स्थापित रीजनल रूरल बैंक ;

(च) बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई बैंककारी संस्था; या

(छ) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बैंक के रूप में अधिसूचित कोई अन्य बैंककारी या वित्तीय संस्था;

(2) "साहूकारी कारबार" का तात्पर्य उधार देने के कारबार से है, चाहे वह किसी अन्य कारबार के सम्बन्ध में हो या उसके अतिरिक्त हो या न हो;

(3) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में परिभाषित सहकारी समिति से है ;

(4) "ब्याज" के अन्तर्गत उधार के सम्बन्ध में कई ऐसी धनराशि है चाहे उसका नाम कुछ भी हो, जो उधार के प्रतिफलार्थ या अन्यथा उसके सम्बन्ध में साहूकार को मूलधन के अतिरिक्त दी गई या देय हो, किन्तु उसके अन्तर्गत साहूकार द्वारा खर्च, प्रभार या व्यय के लिये या उसके कारण इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विधिपूर्वक ली जाने वाली कोई धनराशि नहीं है ;

(5) "उधार" का तात्पर्य नकदी या जिन्सी ब्याज पर दी जाने वाली राशि से है और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा समव्यवहार है जो तत्वतः उधार हो किन्तु उसके अन्तर्गत किसी माल का ऐसे माल के व्यापारी द्वारा साख पर या अवक्रय पर विक्रय नहीं है ;

(6) "साहूकार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो साहूकारी का कारबार करता हो;

(7) "मूलधन" का तात्पर्य किसी उधार के सम्बन्ध में, ऋणी को वस्तुतः दी गयी धनराशि से है ;

(8) "रजिस्ट्रीकरण" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण से है, और "रजिस्ट्रीकृत" का अर्थ तदनुसार लगाया जायगा।

अध्याय 2

अधिकारियों की नियुक्ति

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

4—(1) राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित करके, एक प्रधान रजिस्ट्रार, साहूकारी (जिसे आगे प्रधान रजिस्ट्रार कहा गया है) जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगी, और उतने साहूकारी रजिस्ट्रार (जिन्हें आगे रजिस्ट्रार कहा गया है), या साहूकारी उपरजिस्ट्रार (जिन्हें आगे उप रजिस्ट्रार कहा गया ह) और साहूकारी सहायक रजिस्ट्रार (जिन्हें आगे सहायक रजिस्ट्रार कहा गया ह) जितने वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है और उनमें से प्रत्येक की अधिकारिता ऐसे क्षेत्र में होगी जो निर्दिष्ट की जाय।

(2) प्रधान रजिस्ट्रार का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार पर इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में होगा।

लेखा और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति

5—प्रधान रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार को किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे साहूकारी के कारबार के लेखों और अन्य अभिलेखों के सम्बन्ध में निरीक्षण करने की शक्ति, और ऐसी अन्य शक्ति होगी जो विहित की जाय।

साहूकारों का रजिस्टर

6—प्रत्येक रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत क्षेत्र के लिए साहूकारों का एक रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में रखेगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिए जाएंगे जो विहित किए जायं।

अध्याय 3

साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

7—(1) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर साहूकारी का कारोबार करने वाला कोई व्यक्ति वह कारबार उत्तर प्रदेश के किसी भाग में ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् करना चाहता है, तो वह, जिस रजिस्टर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके कारोबार का मुख्य स्थान स्थित हो, उसको और जहां उसके कारबार का मुख्य स्थान उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित है, वहां किसी रजिस्ट्रार को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा कारबार किया जाय या करना प्रस्तावित हो, इस अधिनियम के अधीन साहूकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र दे सकता है

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले से उक्त कारबार करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास के भीतर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र दे सकता है ;

(2) आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिए जायेंगे और उसके साथ ऐसी फीस जमा की जाएगी जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जायगा, जो विहित किय जाएं।

(3) रजिस्ट्रार अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि आवेदन-पत्र उपधारा (2) की अपेक्षाओं के अनुरूप है, और आवेदक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध धारा 16 या 22 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तत्समय प्रवृत्त है, उसका नाम और अन्य ब्योरे धारा 6 में निर्दिष्ट साहूकार रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसे विहित प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र देगा।

(4) ऐसा प्रमाण-पत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मान्य होगा और जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन पहले ही निरस्त या निलम्बित न कर दिया जाय, अपने प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, और साहूकार ऐसी फीस देने पर, जो विहित की जाय, अपने प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए हकदार होगा जब तक कि रजिस्ट्रार पर्याप्त कारण से प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने से इनकार न करे परन्तु किसी प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने से इनकार करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि साहूकार को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का निरसन और निलम्बन

8—(1) रजिस्ट्रार किसी भी समय, पर्याप्त कारणवश, धारा 7 के अधीन दिए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को निरस्त या निलम्बित कर सकता है:

परन्तु किसी प्रमाण-पत्र को निरस्त करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि साहूकार को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रमाण-पत्र निलम्बित या निरस्त किया जाय वहां कोई व्यक्ति किसी प्रतिकर या किसी रजिस्ट्रीकरण फीस को वापस पाने का हकदार न होगा।

अपील

9—धारा 7 के अधीन प्रमाण-पत्र न देने या धारा 8 के अधीन उसे निरस्त या निलम्बित करने के रजिस्ट्रार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रधान रजिस्ट्रार को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है जो उस पर ऐसा आदेश देगा जिसे वह उचित समझे।

अध्याय 4

साहूकार के कर्त्तव्य और दायित्व

साहूकारी के कारबार पर निर्बन्धन

10—(1) कोई व्यक्ति साहूकारी का कारबार नहीं करेगा जब तक कि उसके पास रजिस्ट्रीकरण का मान्य प्रमाण-पत्र न हो:

परन्तु धारा 7 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त परन्तुक में उल्लिखित अवधि पर्यन्त और तत्पश्चात् जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के लिए उसका आवेदन-पत्र अस्वीकृत न कर दिया जाय कारबार करता रहेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत साहूकार अपने रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र का प्रदर्शन ऐसी रीति से करेगा जो विहित की जाय।

नगद परिसम्पत्ति का अनुरक्षण

11—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत साहूकार जो अमानत के रूप में जनता से धन का उद्ग्रहण करता है द्रव्य सम्पत्ति (लिक्विड असेट्स) के रूप में ऐसी राशि को सुरक्षित रखेगा जो कारबार की समाप्ति पर किसी दिन ऐसे अमानतों के सम्बन्ध में उसके परिशोधनीय दायित्व के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई साहूकार किसी समय ऐसे अप्रतिभूत उधार में जो किसी भी दिन कारबार बन्द करने पर उसके पास जमा धनराशि के पचास प्रतिशत या उसके द्वारा अनुरक्षित नकद परिसम्पत्तियों के दुगने से अधिक धनराशि जो भी अधिक है, विनियोजित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, साहूकार के सम्बन्ध में पद "द्रव्य सम्पत्ति" का तात्पर्य निम्नलिखित से है :—

(क) साहूकार के पास रोकड़बाकी, या

(ख) किसी अनुसूचित बैंक में चालू खाता या किसी अन्य निक्षेप लेखे में उसके द्वारा धृत कोई धनराशि , या

(ग) स्थावर सम्पत्ति के बन्धक को छोड़कर. ऐसे भारमुक्त प्रतिभूतियों में उसके द्वारा विनियोजन जिसमें कोई न्यासी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन न्यास धन का विनियोजन कर सकता है।

ब्याज की अधिकतम दर

12—(1) कोई साहूकार, तत्समय प्रवृत्त किसी बिक्री, आदेश, रूढ़ि, संविदा या लिखित या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी उधार के सम्बन्ध में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् दिया गया हो, ऐसी दर से अधिक दर पर ब्याज लेने का हकदार न होगा जिसे उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित किया जाय।

(2) राज्य सरकार, वाणिज्यिक उधार के लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा सामान्यतया ली जाने वाली ब्याज की दर पर विचार करने के पश्चात् ब्याज की अधिकतम दर अधिसूचित कर सकती है जो साहूकार ले सकता है :

प्रन्तु प्रतिभूत और अप्रतिभूत उधार के लिए भिन्न-भिन्न दर अधिसूचित की जा सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित ब्याज की दर में किसी परिवर्तन से ऐसे परिवर्तन के पूर्व दिए गए किसी उधार के सम्बन्ध में ब्याज के किसी दावे की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

साहूकार के कर्तव्य

13—(1) प्रत्येक साहूकार:—

(क) अपने साहूकारी के कारबार के दौरान दिए गए किसी उधार के साक्ष्यस्वरूप प्रत्येक दस्तावेज में —

(i) वास्तविक मूलधन, और

(ii) अपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या उल्लिखित करेगा या कराएगा ;

(ख) ऐसा लेखा, प्रपत्र और रजिस्टर रखेगा, जो विहित किए जाएं, और रजिस्ट्रार को ऐसी नियतकालिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए,

(ग) ऋणी या उसके एजेन्ट द्वारा किए गए प्रत्येक भुगतान के लिए उसे कम से कम एक साक्षी द्वारा अभिप्रमाणित रसीद देगा, और

(घ) विहित प्रभार या भुगतान करने पर, ऋणी को ऐसा दस्तावेज या वार्षिक लेखा-विवरण देगा जो विहित किए जाएं।

(2) कोई ऋणी जिसे उपधारा (1) खण्ड (घ) के अधीन कोई दस्तावेज या लेखा-विवरण दिया गया हो, उसकी सत्यता को अभिस्वीकार या अस्वीकार करने के लिए बाध्य न होगा और उसके द्वारा ऐसा न करना स्वत: उसकी सत्यता को स्वीकार कर लेना नहीं समझा जाएगा।

कतिपय उधार केवल चेक द्वारा दिया जायगा

14—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी साहूकार द्वारा दिया जाने वाला प्रत्येक उधार, यदि ऐसे उधार की धनराशि एक हजार रुपए या इससे अधिक हो, चेक द्वारा दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के उल्लंघन में दिए गए किसी उधार के सम्बन्ध में साहूकारी का प्रत्येक संव्यवहार शून्य होगा।

अध्याय 5

वाद प्रक्रिया

साहूकार के दावों का प्रोज्य विशेष उपबन्ध

15—(1) इस धारा के उपबन्ध—

(क) किसी साहूकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् दिए गए उधार की वसूली के लिए,

(ख) किसी साहूकार द्वारा किसी उधार के सम्बन्ध में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व दिया गया हो या उसके पश्चात्, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् ली गयी किसी प्रतिभूति या किए गए किसी करार को, चाहे वह लेखा परिशोधन के रूप में या अन्य प्रकार से हो, प्रवृत्त करने के लिए,

(ग) किसी साहूकार के विरुद्ध किसी उधार के सम्बन्ध में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् दिया गया हो, अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् मोचन के लिए,

प्रत्येक वाद पर, चाहे उसकी सुनवाई एक पक्षीय की जाय या अन्य प्रकार से, लागू होंगे।

(2) किसी ऐसे वाद में, यदि न्यायालय को यह प्रतीत हो कि साहूकार का दावा, पूर्णत : या अंशत : असत्य है, और यह कि साहूकार ने धारा 13 की उपधारा (1) की किसी भी अपेक्षा का पालन करने में चूक की है तो न्ययायालय उसे वाद व्यय का दिया जाना अस्वीकार कर देगा और उसे देय सम्पूर्ण व्याज या उसके किसी भाग को भी अस्वीकृत कर सकता है, और जहां इस अपेक्षा के विषय में चूक की गयी है कि उधार विषयक किसी भुगतान के लिए ऋणी को रसीद दी जायगी या जहां साहूकार द्वारा मूल धन को सही नहीं बताया गया है, वहां न्यायालय मूलधन के किसी भाग को भी अस्वीकार कर सकता है।

वाद आदि निर्णीत करने वाले न्यायालय द्वारा प्रमाण-पत्र का निरसन या निलम्बन

16—(1) धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी बात में, यदि न्यायालय की यह राय हो कि साहूकार ने इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का जानबूझ कर उल्लंघन किया है, तो वह उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकता है या ऐसी अवधि के लिए, जो विनिर्दिष्ट की जाय निलम्बित कर सकता है।

(2) कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय जिसके यहां किसी ऐसे वाद के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया हो, कारण अभिलिखित करके उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन को ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे स्थगित कर सकता है, और ऐसे आदेश का परिष्कार या अभिशून्यन कर सकता है।

धारा 16 और 22 के अधीन आदेशों के सम्बन्ध में सामान्य उपबन्ध

17—(1) धारा 16 या धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश देने वाला न्यायालय अपने आदेश की एक प्रतिलिपि उस रजिस्ट्रार को भेजेगा, जिसने उक्त प्रमाण पत्र जारी किया हो और रजिस्ट्रार तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(2) धारा 15 की उपधारा (2), धारा 16 और धारा 22 के उपबन्धों में से प्रत्येक उपबन्ध, उक्त उपबन्धों में से किसी भी अन्य उपबन्ध के अतिरिक्त है और उनमें से किसी अन्य उपबन्ध का अल्पीकारक न होगा।

साहूकारों के कतिपय वादों पर रोक

18—किसी साहूकार द्वारा धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी उधार, करार या प्रतिभूति के आधार पर कोई वाद संस्थित न किया जा सकेगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् कोई ऐसा उधार देने या करार करने या प्रतिभूति लेने के समय उसके पास रजिस्ट्रीकरण का मान्य प्रमाण-पत्र न हो :

परन्तु ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किसी दिए गए उधार, किए गए करार या ली गई प्रतिभूति के प्रवर्तन के लिए कोई वाद संस्थित किया या जारी रखा जा सकता है यदि साहूकार ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता है और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र उसे जारी किया जाता है।

वाद संस्थित किये जाने का स्थान

19—तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा या किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी साहूकार द्वारा उत्तर प्रदेश में वास्तव में या स्वेच्छा से निवास करने वाले या कोई कारबार करने वाले या लाभ के लिए स्वयं कार्य करने वाले व्यक्ति को दिए गए किसी उधार या उसके सम्बन्ध में देय ब्याज की वसूली के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् वाद केवल ऐसे न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऋणी निवास करता है या कारबार करता है, या लाभ के लिए कार्य करता है, न कि किसी अन्य न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है।

अध्याय 6

ऋणी द्वारा धनराशि का जमा किया जाना

साहूकार को देय धनराशि का न्यायालय में जमा किया जाना

20—(1) कोई ऋणी अपने द्वारा साहूकार को किसी उधार के सम्बन्ध में मूलधन, ब्याज या दोनों के रूप में देय धनराशि का निविदा साहूकार को कर सकता है, भले ही वह धनराशि देय हो चुकी हो या नहीं।

(2) यदि साहूकार, इस प्रकार निविदत्त कोई धनराशि स्वीकार न करे तो ऋणी उस धनराशि को मुन्सिफ के न्यायालय में जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता हो, उस साहूकार के नाम जमा कर सकता है।

(3) तदुपरान्त न्यायालय जमा की गयी धनराशि का लिखित नोटिस साहूकार पर तामील कराएगा, और वह ऐसी याचिका देने पर, जिसमें उधार के सम्बन्ध में तत्समय देय धनराशि और उक्त धनराशि को लेने की स्वीकृति उल्लिखित होगी, उस धनराशि को प्राप्त कर सकता है और उसका विनियोजन प्रथमतः ब्याज के प्रति और अवशेष धनराशि का, यदि कोई हों, मूलधन के प्रति कर सकता है।

जमा की गई धनराशि ऋणी को भुगतान की गयी समझी जाएगी

21—जहां ऋणी ने धारा 20 के अधीन कोई धनराशि न्यायालय में जमा की हो, वहां ऐसी धनराशि साहूकार को भुगतान की गयी समझी जाएगी, और, यथास्थिति, मूलधन या उसके भाग पर ब्याज का लगाना इस प्रकार जमा किए जाने के दिनांक से समाप्त हो जाएगा।

अध्याय 7

अपराध और शास्ति

शास्ति

22—(1) धारा 10 या धारा 11 के किसी उपबन्ध का जानबूझ कर उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माना से, जो पांच हजार रुपए तक हो सकता है या दोनों से दन्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय उसके रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र भी निरस्त कर सकता है या उसे ऐसी अवधि के लिए निलम्बित कर सकता है, जो विनिर्दिष्ट की जाय, और कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय ऐसे किसी आदेश के प्रवर्तन को ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है और ऐसे आदेश को परिष्कृत या निष्प्रभावी कर सकता है।

(3) कोई न्यायालय, रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन दन्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

ऋणी को उत्पीड़ित करने के लिए शास्ति

23—(1) जो कोई ऋणी द्वारा ऋणदाता को देय ऋण की वसूली के लिए ऋणी को उत्पीड़ित करता है या उत्पीड़ित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जो तीन मास तक हो सकता है या जुर्माना से जो पांच सौ रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दन्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि वह व्यक्ति जो,

(एक) इस आशय से कि ऋणी को उस कार्य से, जिसे करने का उसे अधिकार है, विरत कराया जाय, या वह कार्य, जिसे विरत होने का उसे अधिकार है, उससे कराया जाय, उस ऋणी का अवरोध करता है या उसके प्रति हिंसा या अभित्रास का प्रयोग करता है, या

(दो) साहूकार या साहूकार का एजेन्ट या कर्मचारी होने के नाते किसी वेतन दिवस पर उस कारखाना या कार्यालय की बाहरी सीमा या फाटक पर, जिसमें ऋणी सेवायोजित हो, या उससे पचास मीटर के अन्दर चक्कर लगाता है, वह उस ऋणी का उत्पीड़न करता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन दन्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

24—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला कोई व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दन्ड दिए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दन्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बर्ती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इसके अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्त्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उपेक्षा जनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दन्ड दिए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का समस्त अन्य समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में 'निदेशक', का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का शमन

25—(1) प्रधान रजिस्ट्रार, और उसके नियन्त्रण के अधीन, कोई रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन दन्डनीय किसी अपराध के लिए कार्यवाही संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् ऐसे अपराध के लिए किसी दोषारोपित व्यक्ति से अपराध के शमन के रूप में एक हजार रुपए से अनधिक राशि स्वीकार कर सकता है।

(2) ऐसी राशि के भुगतान करने पर, उसी अपराध के सम्बन्ध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जाएगी, और यदि अभिरक्षा में हो, तो उसे उन्मुक्त कर दिया जायगा और ऐसे शमन का प्रभाव उस अभियुक्त को दोषमुक्त करना होगा, जिसके अपराध का शमन किया गया हो।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

प्रत्येक साहूकार ऋण और जमा धनराशि का ब्योरा देगा

26—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व से साहूकारी का कारबार करने वाला प्रत्येक साहूकार रजिस्ट्रार को ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर विहित प्रपत्र में विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, विवरण-पत्र में, प्रत्येक साहूकार को प्राप्य ऋण और उसके पास जमा धनराशि का ब्यौरा और ऐसा अन्य ब्यौरा दिया जाएगा जो विहित किया जाय।

(3) प्रत्येक ऐसे विवरण-पत्र पर रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षर किए जायेंगे और मुहर लगायी जायगी और उन्हें विहित रीति से रखा और अनुरक्षित किया जायगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा, डिक्री या आदेश या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई साहूकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दिए गए किसी उधार के सम्बन्ध में किसी ऋणी से किसी धनराशि के दावा करने का हकदार न होगा, जब तक कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण-पत्र मे ऐसे ऋणी का नाम और उससे प्राप्त धनराशि विनिर्दिष्ट न हो।

आदेशों का अन्तिम होना

27—(1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

(2) इस अधिनियम के या इसके अधीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भाव से किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

नियम बनाने की शक्ति

28—राज्य सरकार, अधिसूचना प्रकाशित करके, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

ऐक्ट संख्या 10, 1918 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में निरसन

29—धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन पहली बार जारी की गयी किसी अधिसूचना के दिनांक से यूजूरिअस लोन्स ऐक्ट, 1918, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में निरस्त हो जायगा।

30—यू0 पी0 रेगुलेशन आफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऐक्ट, 1940 में, धारा 2 के खन्ड (1), (3) से (5) और (7) से (13), धारा 3 से 7 और 10 से 35 निकाल दी जायगी। यू0पी0 ऐक्ट 14, 1940 का संशोधन

31—उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध अधिनियम, 1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44, 1975 का निरसन

विधान सभा प्रदेश

उद्देश्य और कारण

ऐसी शिकायतें हैं कि अनेक साहूकार जनता में निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के साथ अपना कारबार करने में अनाचार करते आ रहे हैं और वे उनका शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार के अनाचार तथा शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से साहूकारी के कारबार को विनियमित करना तथा साहूकारों के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करना आवश्यक है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976, पुरः-स्थापित किया जाता है।

स्वामी प्रसाद सिंह,
राजस्व मन्त्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी0एस0 यू0पी0—एल0 88 वि0 सभा (190)—1976—840।